लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

5th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
Parliament Library

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया   Price One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 29, गुरुवार, 1 जुलाई, 1971/ 10 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 29, Thursday, July 1, 1971/ Asadha 10, 1893 (Saka)

निधन सम्बन्धी उल्लेख **Obituary Reference**

रूसी अन्तरिक्ष यात्रियों का स्वर्गवास Death of Soviet Cosmonants

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र.संख्या/S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
841	बिहार में फसलों को हुई क्षति की जांच करने वाले अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Team on Damage to Crops in Bihar	2-4
843	मंत्रालयों द्वारा नियोजित नैमितिक श्रमिकों की जन-गणना	Census of Casual Labour Employed by Ministries	4-6
844	समुद्री उत्पादों के लिए गुजरात राज्य के समुद्र तट का सर्वेक्षण	Survey of Sea Coast of Gujarat State for Marine Products	6-7
845	चीनी मिलों में चीनी के भंडार तथा वित्तीय संकट	Stock of Sugar and Financial Crisis in Sugar Mills	7-9
847	वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परा-मर्शदाता दल	Consultative Group on International Agricultural Research at Washington ...	9-10
848	बंगला देश के शरणार्थियों के भोजन की व्यवस्था हेतु उत्तरी बंगाल को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to North Bengal to Feed the Evacuees from Bangla Desh ...	10-12
849	बंगला देश से आये शरणा-र्थियों के लिये तम्बुओं की सप्लाई	Supply of Tents for Refugees from Bangla Desh	12-13

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के मौखिक उत्तर-(जारी)/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

850	राज्यों को भूमि सुधार अधिनियम लागू करने हेतु केन्द्रीय निदेश	Central Directives to States for Implementation of their Land Reform Act	14-17
851	भूमि कटाव को रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to check Soil Erosion ...	17-19
855	नारियल के उत्पादन में कमी	Fall in Production of Coconut	19-21
857	बंगला देश से आई शरणार्थी गर्भवती स्त्रियों के लिये विशेष आश्रय स्थल और भोजन	Special Shelter and Food for Refugee Expectant Mothers from Bangla Desh..	21-23

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S Q.No.

842	रेल भाड़ा बढ़ने का तैयार इस्पात के मूल्य तथा लौह और मैंगनीज अयस्कों के निर्यात मूल्य पर प्रभाव	Impact of Rise in Railway Freight on Price of Finished Steel and Export Price of Iron and Manganese Ores	23
846	भूमि को वन क्षेत्र में परिवर्तित करने के बारे में प्रगति	Progress regarding Conversion of Land into Forest Area ...	24
852	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्रमिकों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में मुठभेड़	Clashes between Workers of Durgapur Steel Plant and Central Industrial Security Force ...	24-25
853	लौह अयस्क सम्बन्धी स्वामित्व	Royalty on Iron Ore ...	25
854	पशुओं के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme for Animals ...	25-26
856	राजस्थान में भूमिगत जल के लिये सर्वेक्षण	Survey for underground water in Rajasthan	26
858	कृषकों को सस्ते मूल्य पर ट्रैक्टरों की सप्लाई	Supply of Tractors to Farmers at Cheaper Rates ...	2›
859	लोह छड़ों का वितरण	Distribution of Iron Bars ...	26-27
860	उर्वरकों की कमी	Shortage of Fertilisers ...	27
861	औद्योगिक रोजगार(स्थाई आदेश) अधिनियम,1946 से छूट प्राप्त कारखाना	Factories exempted from Industrial Employment (Standing Orders) Act. 1946	28

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

ता. प्र. संख्या/S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
862	मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप	Deposits of Lime Stones in Madhya Pradesh	28-29
863	अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ द्वारा मुख्य मंत्रियों के 1971 के सम्मेलन को दिया गया ज्ञापन	Memorandum by the Federation of All India Foodgrain Dealers Association to the Chief Ministers Conference in 1971 ...	29-30
864	वनस्पति घी के मूल्यों में बार-बार की जाने वाली वृद्धि	Frequent Increase in the Price of Vanaspati Oil	30
865	भारतीय निर्माताओं से वस्तुएं खरीदना	Procurement of Items from Indian Manufacturers ...	30-31
866	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, बर्नपुर में कोक ओवन बैटरियों का बन्द होना	Closure of Coke Oven Batteries in Indian Iron and Steel Works, Burnpore ...	31
867	चौथी योजना की अवधि में सहकारी संयुक्त कृषि के अन्तर्गत लाये जाने वाले क्षेत्र तथा वित्तीय लक्ष्य	Physical and Financial Targets for Co-operative Joint Farming during Fourth Plan ...	31-32
868	उत्तर प्रदेश की मण्डियों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का न उठाया जाना	Non-lifting of wheat by Food Corporation of India from mandis in Uttar-Pradesh	32-33
869	इस्पात के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Steel	33
870	तमिलनाडु और मैसूर में ऐस्बेस्टॉस के निक्षेप	Deposits of Asbestos in Tamil Nadu and Mysore	33

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. No.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3565	पुनर्वास मंत्रालय द्वारा मकानों और दुकानों के स्वामित्व का दिल्ली नगर निगम / दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाना	Transfer of Ownership of Houses and Shops to Delhi Municipal Corporation/DDA by Rehabilitation Ministry	33-34
3566	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रमों का मूल्यांकन	Evaluation of Rural Manpower Programme conducted by Programme Evaluation Organisation ...	34-36

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3568	राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यकरण	Working of National Seeds Corporation ...	36-37
3569	विदेशी सहयोग से स्थापित बीज फार्म	Seed Farms established with Foreign Collaboration ...	37
3570	चावल के आवंटन के लिये असम सरकार का अनुरोध	Request from Assam Government for allotment of Rice	37-38
3571	भारतीय खाद्य निगम की हानि अथवा लाभ	Loss or Profit by Food Corporation of India ...	38
3572	पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलाम कर्त्ताओं की नियुक्ति का कार्यकाल	Term of Appointment of Auctioners in DGS and D ...	38-39
3573	पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलाम-कर्त्ताओं की नियुक्ति	Appointment of Auctioners in DGS & D ...	39
3574	पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलाम-कर्त्ताओं की नियुक्ति के लिये पूर्वापेक्षायें	Pre-Requisites for Appointment of Auctioners in DGS & D	40
3575	कर्मचारियों की उद्योगवार प्रति व्यक्ति आय	Industry wise per capita income of workers	40
3576	भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था की हवाई शाखा का एक फ्रांसीसी फर्म से सहयोग	Collaboration of Aerial wing of Geological Survey of India with a French Firm ...	41
3577	ट्रैक्टरों की चोर बाजार में बिक्री	Sale of Tractors in Blackmarket ...	41-42
3578	बिहार अलाय स्टील लिमिटेड का निर्माण	Construction of Bihar Alloy Steel Limited...	42
3579	बंगला देश के शरणार्थियों की अनाज की आवश्यकताओं का मूल्यांकन	Assessment of Foodgrains Requirements for Bangla Desh Refugees –	42-43
3580	गोवध पर आंशिक प्रतिबंध लगाने के लिये विधान बनाना	Enactment fo legislation for Imposing Partial Ban on Slaughter of Cow	43
3582	बंगला देश से आए शरणार्थियों पर व्यय	Expenditure on Evacuees from Bangla Desh	44

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3583	त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों के के लिये उठाऊ सिंचाई योजना	Lift Irrigation Scheme for Hill Areas of Tripura ...	44
3584	मध्य प्रदेश में खानों के विकास पर व्यय	Expenditure on Development of Mines in Madhya Pradesh ...	44
3585	लघु सिंचाई योजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Encouragement to Minor Irrigation Scheme	44-45
3586	फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योगों के उत्पादों का उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात	Production, Consumption and Export of Fruits and Vegetables Preservation Industries ..	45-46
3587	अल्युमीनियम पर विचार गोष्ठी	Seminar on Aluminium	46-47
3588	मैसूर की सहकारी संस्थाओं को केन्द्रीय अनुदान	Centrel Grant to Co-operative Societies of Mysore	47
3589	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से लघु सिंचाई, फार्मों के कृषि यत्रीकरण तथा भूमि समतल करने के लिये वित्त	Finance from International Development Association for Minor Irrigation Farm Mechanisation and Land Levelling ...	47-48
3590	मनीपुर में लघु सिंचाई योजना के अधीन परियोजनाएं	Projects under Minor Irrigation Scheme in Manipur ...	48-49
3591	विदेशों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे भारतीय	Indians working as Labourers in Foreign Countries	49-51
3592	बंगाल देश से आने वाले शरणार्थियों के बारे में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व	Shouldering of responsibility of refugees from Bangla Desh by the Central Government	51
3593	गन्ना अनुसंधान केन्द्र और नई किस्मों का निकाला जाना	Sugar Cane Research Centres and new Varieties introduced	51-52
3594	गन्ने और चीनी की उत्पादन लागत	Cost of production of sugarcane and sugar	52-53
3596	हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची के श्रमिकों को मनोरंजन की सुविधायें	Recreation facilities for workers of Heavy Engineering Corporation Ranchi ...	53-54

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3597	गिरीदिह खान में कोयले का जमा होना	Accumulation of coal in Giridih Colliery ...	54-55
3598	बिहार के न्यायालयों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अनिर्णीत मामले	Pending cases under Employees Provident Fund Act in Bihar Courts	55
3599	बरसुआ लौह अयस्क खान, उड़ीसा के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Barsua Iron Mines, Orissa ...	56
3600	ग्राम्य कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिपुरा में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए योजना	Scheme for drought affected areas of Tripura under rural works programme...	56
3601	सरकारी प्रेस, त्रिपुरा के कर्मचारियों पर दण्डादेश	Punishment orders on employees of Government press, Tripura ...	56-57
3602	पन्त नगर कृषि विश्व विद्यालय और तराई विकास निगम के वर्षा में खराब हुए गेहूं के बीजों की बिक्री	Sale of Rain affected wheat seeds of Pant Nagar Agricultural University and Tarai Development Corporation ...	57
3603	ग्रामीण बेरोजगारी को हटाने के लिये द्रुत योजना को क्रियान्विति में कठिनाइयां	Difficulties in implementation of Crash Plan for removing Rural unemployment	57-58
3604	विदेशी जहाजों द्वारा गुजरात के पश्चिमी तट पर मछली पकड़ना	Fishing Operations by Foreign Vessels off West Coast of Gujarat	58-59
3605	भारतीय वन्य पशु बोर्ड की बैठक	Meeting of Indian Board of Wild Life	59
3606	विभाजन के बाद पाकिस्तान से शरणार्थियों का भारी संख्या में आना	Influx of Refugees from Pakistan since partition	59
3607	पंजाब के हरिजनों में निष्क्रान्त भूमि का वितरण	Distribution of Evacuee Lands to Harijans in Punjab	60
3608	इमारती लकड़ी का उत्पादन	Yield of Forest Timber ..	60-61
3609	अनुसंधान संस्था देहरादून उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया अनुसन्धान	Research conducted by Forest Research Institute, Dehra Dun, U. P. ...	61-62

3610	बंगाली बाघ, भारतीय गैंड़ों और चीते की नस्लों का समाप्त होने से बचाना	Preservation of species of Bengal Tiger, Indian Rhinoceros, Cheetah from Extinction ...	62
3611	युवक मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार	Incentive awards to Yuvak Mandals	62
3612	हाल ही की वर्षा में खाद्य फसलों को हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये केन्द्रीय दल का उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों का दौरा	Visit of Central Team to U. P. and Other States to Assess Damage to Food Crops due to Recent Rains	63
3613	लोक निर्माण विभाग मनीपुर को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to PWD Manipur ...	63
3614	श्रम ठेका सहकारी समितियां	Labour Contract Co-operative Socieities ...	63-64
3615	मनीपुर में सहकारी क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन	Changes in Administration of the cooperative Sector in Manipur	64
3616	मनीपुर में फलों का विकास और परिरक्षण	Development and Preservation of Fruits in Manipur	65
3617	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का खानों पर लागू होना	Application of E.P.F. Act, 1952 to Mines ...	65 66
3618	बिहार और राजस्थान में अभ्रक की खानों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लागू किया जाना	Introduction of EPF Scheme in Mica Mines in Bihar and Rajasthan	66
3619	निर्माण कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Construction Workers ...	66-67
3620	चीनी मिलों को दी जाने वाली सहायता	Subsidy Paid to Sugar Mills ...	67
3621	बिहार में बड़ा गेमडा और गुआ लौह अयस्क खानों में ठेका उत्पादन अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of Abolition of Contract Act in Iron Ore Mines of Baragemda and Gua, Bihar	67
3622	देश में कपास की कमी	Shortage of Cotton in the country	68-69

3623	फार्म सूचना प्रचार यूनिट	Farm Information publicity Unit ...	69
3624	चावल संबंधी अर्थ व्यवस्था और व्यापार के संबंध में खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्ययन दल के सुझाव	Suggestion by Study Group of FAO on Rice Economy and Trade	69-70
3625	मैक्सिकन गेहूं का क्षेत्र	Acreage of Mexican Wheat	70
3626	पटसन उत्पादन क्षेत्र	Area under Jute Production ...	70-71
3627	छोटे लौह अयस्क खान मालिकों द्वारा खानों का मशीनीकरण	Mechanisation of Mines by Small Iron Ore Mine Owners ...	71-72
3628	खाद्यान्नों की क्षति और गोदामों की भंडार क्षमता	Damage to Foodgrains and Storing capacity of the Warehouses	72
3629	उड़ीसा में स्पंज लोहा सयंत्र की स्थापना	Setting up of sponge Iron Plant in Orissa ...	73
3630	स्पंज लोहा संयंत्र, उड़ीसा का विस्तार	Expansion of Sponge Iron Plant, Orissa ...	73
3631	चावल का उत्पादन	Rice Production ...	73 74
3632	कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली का नगर निगम को सौंपा जाना	Handing over of Kalkaji Colony, New Delhi to Municipal Corporation	74
3633	सहकारी क्षेत्रों में चीनी मिल और उन पर खर्च की गई राशि	Sugar Factories in cooperative Sector and Money spent on them ...	74-75
3634	गन्ने की खेती वाला क्षेत्र	Area under Sugarcane Cultivation	75
3635	मध्य प्रदेश में कृषि फार्म संचार केन्द्र की स्थापना	Setting up of Agricultural Farm Communication Centre in Madhya Pradesh	75 76
3636	मध्य प्रदेश में कम्प्रेसरों की कमी	Shortage of Compressors in Madhya Pradesh ... —	76
3637	मध्य प्रदेश में डेयरी संयंत्र लगाने के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid for setting up of a Dairy Plant in Madhya Pradesh ..	76-77
3638	भारतीय खाद्य निगम, दरभंगा, बिहार के ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों को पुन: काम पर लगाया जाना	Absorption of Labcurers working under the Contractors of FCI Darbhanga, Bihar ...	77
3639	पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन	Amendment of Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960	77

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

अता. प्र. सं./U.S Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3640	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना	National Social Security Scheme	77-78
3641	बंगला देश के शरणार्थियों की स्थिति तथा उनको अलग अलग लिया जाना	Condition of Bangla Desh Refugees and their Dispersal	78
3642	कोटा, राजस्थान में केन्द्रीय सहायता से कृषि फार्म	Agricultural Farms with Central aid in Kotah, Rajasthan	78
3643	किसानों को सुधरी किस्म के बीजों की सप्लाई	Supply of Improved Variety of Seeds to Farmers ...	78-79
3644	राज्यों में बीज के भण्डार खोलना	Setting up of Seed Stores in States ...	79
3645	बंगला देश के शरणार्थियों को विमान द्वारा ले जाने का व्यय	Cost of airlifting of Bangla Desh refugees...	79
3646	चावल की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि	Increase in per Acre yield of Rice... ...	79-80
3647	कृषि सम्बन्धी यन्त्रों और उपकरणों का उत्पादन	Manufacture of Agricultural Machinery and Equipment	80
3648	तम्बाकू की खेती के अधीन क्षेत्र	Area under Tobacco Cultivation	80-81
3649	कपड़ा उद्योग में औसतन दैनिक नियुक्तियां	Average Daily Employment in Textile Industry	81
3650	औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 का उल्लंघन	Violation of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946	81
3651	सरकारी उपक्रमों में स्थाई आदेशों के मसौदे का प्रमाणीकरण	Certification of Draft Standing Orders in Public Undertakings	81-82
3652	ए. वी. बी. कर्मचारी संघ का कार्यालय	AVB Employees' Union Office	82
3653	पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption Charges against FCI Authorities in West Bengal	82
3654	उड़ीसा की बरसुआ लोह खानों के श्रमिकों के लिये खनन भत्ता	Mining Allowance to Workers of Barsua Iron Mines, Orissa	82-83

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3655	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि योजना से छूट	Exemption from Coal Mines Provident Fund Scheme to workers in NCDC ...	83
3656	मिल उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की रूई सप्लाई के लिये उसको एगमार्क दिया जाना	Cotton Agmarked for Quality Supply to Mill Consumers	83-84
3657	चंडीगढ़ में ग्राम्य बेरोजगारी योजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Rural Unemployment Scheme in Chandigarh ...	84
3658	चण्डीगढ़ के निष्काषितों में व्याप्त बेरोजगारी	Unemployment Amongst Chandigarh Oustees ... —	84
3659	कच्छ में लिग्नाइट के निक्षेप	Lignite Deposits in Kutch	84-85
3660	सेलम, तमिलनाडु में कंद-मूल की फसल में सुधार के लिये परियोजना	Project for improvement of Tubar Crop in Salem, Tamil Nadu	85
3661	मूल्यों को स्थितर करने में सुपर बाजार का योगदान	Effect of Super Bazars in Stabilising of Prices	85-86
3662	नष्ट होने से बचाने के लिये तथा उचित उपयोग के लिये सब्जियों तथा फलों का पकाया जाना तथा बोतलों में बन्द किया जाना	Proper Utilisation of Fruits and Vegetables for Processing and Bottling to avoid waste ...	86
3663	सब्जियों तथा फलों को तैयार करने और डिब्बों तथा बोतलों में बन्द करने हेतु बिहार में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries for Processing Canning and Bottling of Vegetable and Fruits in Bihar ...	86-87
3664	रेलवे एम्प्लाईज एसोशियेशन द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजे गये विवादास्पद मामले	Disputes referred by Railway Employees Associations to Regional Labour Commissioners ...	87

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

3665	कर्मचारी भविष्य निधि के दावे	Employees Provident Fund Claims... ...	87-88
3666	चाय बागानों को अमोनिया सल्फेट का वितरण	Distribution of Ammonia Sulphate to Tea Plantations	88-89
3667	मन्नम शुगर मिल लिमिटेड, केरल को ब्याज मुक्त ऋण	Interest Free Loan to Mannam Sugar Mill Limited, Kerala	89
3668	केरल में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	Geological Surveys in Kerala ...	89-90
3669	बालू तथा चीनी मिट्टी पर अनुसन्धान करने के लिए केरल अनुसंधान केन्द्र	Research Centres in Kerala for Beach Sands and China Clay	90
3670	विदेशी तेल कम्पनियों में रोजगार की सुरक्षा	Job Security in Foreign Oil Companies ...	90-91
3671	बेरोजगारी दूर करने के लिये कारखानों और खानों में कार्य घंटों को कम करना	Reduction of working hours in factories and mines to solve unemployment ...	91
3672	गोवा में खनिज सम्बन्धी रियायतों को समाप्त करना	Stoppage of Mineral concesseions in Goa ...	91-92
3673	तमिलनाडु में ताम्बे के निक्षेप	Copper deposit in Tamil Nadu	92
3674	बंगला देश के शरणार्थियों द्वारा दमदम हवाई अड्डे के कुछ भाग पर कब्जा	Occupation of a part of Dum Dum Aerodrome by Refugees from Bangla Desh	93
3675	आन्ध्र प्रदेश में दोषपूर्ण आर. एस. 09 ट्रैक्टरों का वितरण	Return of defective Rs. 09 Tractors in Andhra Pradesh — ...	93
3676	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन इस्पात कारखानों का कार्यकरण	Working of Steel Plants under Hindustan Steel, Limited	93-94
3677	कृषि के विस्तार के लिये क्षेत्र विकास कार्यक्रम	Area development programme for expansion of Agricultural	94-96
3678	मेघालय में बंगला देश के शरणार्थियों की स्थिति	Condition of Bangla Desh refugees in Meghalaya ... —	96-97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papars Laid on the Table	97-98
अनुदानों की मांगे, 1971-72	Demands for Grants, 1971-72	98
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of Labour and Rehabilitation	
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar	98-101
इस्पात और खान मंत्रालय	Ministry of Steel and Mines	105
श्री कृष्ण हाल्दर	Shri Krishna Halder	105
श्री प्रबोध चन्द्र	Shri Prabodh Chandra	113
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	114
श्री दामोदर पाण्डेय	Shri Damodar Pandey	114
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	115
श्री केन० एन० तिवारी	Shri K. N. Tiwary ...	116
श्री ईश्वर चौधरी	Shri Ishwar Chaudhry	117
श्री जे० बी० पटनायक	Shri J. B. Patnaik	117
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	118
श्री पी० ए० पी० राव	Shri P. Ankineedu Prasada Rao ...	119
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo ...	1 0
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	121
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	121
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	122
श्री चपल भट्टाचार्य	Shri Chapal Bhattacharyyia	123
डा० मेल्कोटे	Dr. Melkote	124
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	125
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	127
श्री ए० पी० शर्मा	Shri A. P. Sharma	128
श्री के० बासप्पा	Shri K. Basappa	128
श्री परीपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli ...	129
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya ...	130
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Ghosh ...	131
श्री गजाधर माझी	Shri Gajadhar Majhi ...	131
श्री रामसहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey ...	132
डा० कैलास	Dr. Kailash ...	132
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody ...	133
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	133
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	134
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nethu Ram Ahirwar ...	134

लोक–सभा
LOK--SABHA

गुरूवार, 1 जुलाई, 1971/10 आषाढ़, 1893 (शक)
Thursday, July 1, 1971/ Asadha 10, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

रूसी अन्तरिक्ष यात्रियों का स्वर्गवास

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : ज्ञान की खोज तथा बलिदान की भावना ही विज्ञान की सच्ची भावना है। अन्तरिक्ष की खोज ने हम सब में आश्चर्य की भावना को पुनर्जीवित किया है। अन्तरिक्ष यात्री चाहे तो सोवियत संघ के हों और चाहे वे अमेरिका के हों हम उन्हें सम्पूर्ण मानव जाति के प्रतिनिधि ही मानते हैं। हमने उनकी यात्रा में, उनकी प्रत्येक गतिविधि में और उनके परिवारों एवं देश की उत्सुकता में अपने आपको भी शरीक अनुभव किया है। हमें उनकी उपलब्धियों में आनन्द प्राप्त हुआ है।

सोवियत अन्तरिक्ष यात्रियों, लेफ्टि. कर्नल जार्जी दोब्रोवोल्स्की, फ्लाइट इन्जीनियर व्लादीस्लाव, वोल्कोव तथा टेस्ट इन्जीनियर विक्टर वात्सायेव, की दुःखद मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि यह सफल खोज के बिल्कुल बाद घटी है। जैसा कि सदन को पता है इन व्यक्तियों ने सेल्यूट में, जो कि 19 अप्रेल को छोड़ी गई 25 टन की अन्तरिक्ष प्रयोगशाला है, 23 दिन व्यतीत करने का रिकार्ड स्थापित किया। इस प्रयोग में सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने बहुत सी अमूल्य सूचनाएं एकत्र कीं। उन सूचनाओं के भागी बनने के लिए चाहे वे इस संसार में नहीं हैं, परन्तु हम जानते हैं कि संसार की प्रगति में यह अन्शदान है।

मैं अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध करूंगी कि वह इस सभा की ओर से सोवियत संघ के प्रति और विशेषरूप से इन वीर एवं साहसी युवकों के परिवारों के प्रति हमारी गहन सहानुभूति व्यक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : अन्तरिक्ष यान सोयुज-11 के तीन अन्तरिक्ष यात्रियों—जार्जी दोब्रोवोल्स्की, ब्लादीस्लाव वोल्कोव तथा विक्टर बात्सायेव की दु:खद मृत्यु पर प्रधान मन्त्री ने जो दुख और शोक व्यक्त किया है उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से तथा इस सदन की ओर से शरीक होता हूं। वे विज्ञान के व्यापक ज्ञान के मिशन पर गये थे और उनका अन्त उस समय हुआ जब उन्होंने अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया था। यह न केवल सोवियत संघ और वहां के लोगों की हानि है अपितु सारी मानव जाति की हानि है। मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवारों, सोवियत संघ सरकार तथा वहां की जनता को अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करने में सभा मेरे साथ शरीक होगी।

अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए हम कुछ समय के लिए खड़े होंगे।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Report of Study Team on Damage to Crops in Bihar

***841 Shri Ramavatar Shastri :**

Will the Minister of Agriculture be pleased to state;

(a) whether Government had sent a Study Team to Bihar to enquire into the damage caused to Rabi crops due to untimely rains;

(b) if so, whether the said Study Team has submitted its report to Government;

(c) the main points of the recommendations; and

(d) the action taken or proposed to be taken to implement them?

Minister of State in the Ministry of Agriculture Shri Annasaheb P. Shinde :

(a) **to** (d) **:** A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) Yes Sir. The Central Team has visited the State to study the situation and **requirement of funds for relief measures of scarcity conditions in** the State, one of the **reasons for which has been attributed to damage to crops by untimely** rains in April May, **1971.**

(b) Yes Sir.

(c) The Central Team has recommeded the following ceilings of expenditure for relief during 1971-72 :

1971-72	Rs. in lakhs.
1. Relief Items	
(i) Hard Manual Labour Schemes, transport charges and other relief schemes (under Revenue Department)	132.00
(ii) Gratuitous relief	20.00
(iii) Preventive health measures (under Public Health Department)	6.00
	158.00

2. **Loans :**

Provision on Drinking Water Rs. 1 crore.

(d) The Government have accepted the team's recommendations. The decision is being communicated to the State Government and others concerned.

Shri Ramautar Shastri : Before arriving at the conclusions what places were visited by the Study team to assess the loss of Crops due to rains and what persons and organisations were contacted by it in order to make correct assessment ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : बिहार का दौरा करने वाले दल ने स्वभावतया राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और कुछ जिलों की यात्रा की थी। जिन स्थानों पर वह दल गया उनकी सूची इस समय मेरे पास नहीं है परन्तु दल के विशेषज्ञों तथा कुछ सदस्यों ने बिहार के भीतरी भागों का भी दौरा किया था। परन्तु स्थिति का मूल्यांकन राज्य सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर तथा उसके परामर्श के साथ किया जाता है।

Shri Ramavatar Shastri : Is there any difference between the assessment of the Study Team and that of Bihar Government ? If so, the Hon. Minister should elucidate it. Did the Bihar Government make any demand to the Central Government to meet the situation ? If so what are the details thereof ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, कभी-कभी बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। परन्तु जब केन्द्रीय दल वहां गया और राज्य सरकार से क्षति के आंकड़े मांगे तो वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

Shri K. N. Tiwary : It has been stated by the Hon. Minister that Bihar Government could not furnish proper assessment. What action is proposed to be taken now by the Central Government and what ralief has been provided to the agriculturists so far ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : मोटे तौर पर यह बताया गया था कि 25 प्रतिशत रबी

की फसल को क्षति पहुंची है, परन्तु वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे । परन्तु केन्द्रीय दल ने उन सभी समस्याओं की जांच की जिनके सम्बन्ध में सहायता अपेक्षित थी और केन्द्रीय दल ने बिहार सरकार को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं ।

Shri Shankar Dayal Singh : Do the Central Government's feel that it is getting late in giving loans or assistance, because the farmers are preparing for the next crop and they had invested all their resources in Rabi Crop. Therefore the farmers are in difficulty. What are the reasons for the delay in giving assistance ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : सदन तथा माननीय सदस्यों को यह बात माननी चाहिये कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इस बारे में कोई देरी नहीं हुई है, क्योंकि संविधान के अनुसार प्राकृतिक विपदाओं के अवसरों पर सहायता प्रदान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है । इस बारे मे उन्हें कार्यवाही करनी होती है और क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने तो केवल राज्य सरकार की सहायता करनी होती है अतः राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती । इस दृष्टि से कोई देरी नहीं हुई है । राज्य सरकार राहत कार्य प्रारंभ कर सकती है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : राहत के लिए जितनी धनराशि की सिफारिश की जाय वह प्रभावित हुए व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होनी चाहिये । क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इससे कितने व्यक्ति प्रभावित हुए थे ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैने बताया है वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । हम आंकड़े तभी बता सकते हैं यदि राज्य सरकार के पास वास्तविक जानकारी हो । हमारे पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है । माननीय सदस्यों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष दी गई धनराशि को भी खर्च नहीं किया गया था । राहत के लिए अधिक धनराशि की मांग करना अलग बात है । परन्तु बिहार सरकार उस धनराशि को तो उपयोग में लावे जो उसे दी गई है । हम बाद में और धन देने को भी तैयार हैं ।

मंत्रालयों द्वारा नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों की जनगणना

***843. श्री एम० एम० हाशिम :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या भारत सरकार के सभी मंत्रालयों द्वारा नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों की कोई जनगणना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri M. M Hashim : Are the Government thinking of changing their policy in this regard and will the Casual Labour be regularised after putting in certain period of service ? There are many Government Departments where persons are working as Casual Labour for many years.

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि

रेलवे, केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत बोर्ड, बन्दरगाह तथा गोदी जैसे कुछ केन्द्रीय विभाग हैं जिनमें नैमित्तिक श्रमिकों को नियोजित किया जाता है। रेल विभाग ने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि छह महीनों तक नियोजित रहने के उपरान्त नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित श्रमिक के लाभ दिये जायें। तथापि इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन अनुदेशों का पूरी तरह अनुपालन नहीं हो रहा है।

श्री एस० बी० गिरि : क्या सरकार का इस बारे में कोई कानून बनाने का विचार है जिससे कि नैमित्तिक श्रमिकों को, जो स्थायी श्रमिकों जैसा कार्य ही करते हैं, समान वेतन तथा मजूरी मिल सके ?

श्री आर० के० खाडिलकर : श्रम विभाग ने केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा नियोजित नैमित्तिक श्रमिकों के लिए आदर्श विनियमनों का मसौदा तैयार किया है और वह विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडे।

श्री एस० बी० गिरि : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री पांडे का नाम पुकारा है।

श्री एन० एन० पांडे : क्या माननीय मंत्री का ध्यान श्रम आयोग के नैमित्तिक श्रमिकों सम्बन्धी प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री० आर० के० खाडिलकर : श्रम आयोग की सिफारिशें सरकार के समक्ष हैं और इस बारे में विचार हो रहा है कि क्या कार्यवाही की जाये।

श्री एन० श्रीकन्तन नायर : क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि रेल विभाग में तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में तीन वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व नैमित्तिक श्रमिकों को सेवामुक्त कर दिया जाता है जिससे कि उन्हें मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी न मिल सके और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई नया मूल्यांकन किया जायेगा और नया मानदंड नियत किया जायेगा कि न्यूनतम मजूरी देने के लिए नियोजन के कुल दिनों को गिना जाये ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जब मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया था तो उस समय शायद माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं थे। मैंने बताया है कि रेल विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं कि जिन नैमित्तिक श्रमिकों ने छह मास की सेवा पूरी करली है उन्हें नियमित कर दिया जाये। अब प्रश्न इसके कार्यान्वयन का है। यह सच है कि नियमित करने से बचने के लिए सेवा विच्छेद कर दिया जाता है।

श्रीमती शीला कौल : क्या माननीय मंत्री खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिकों के तुल्य समझते हैं क्योंकि दोनों को एक जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह बात इस प्रश्न से संगत नहीं है और मैं अपने मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने उत्तर में इस विषय पर अपने विचार प्रकट करूंगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Casual workers are engaged in P.W.D. Railways. Electricity and many Industrial undertakings of State Governments and Central Government. As has been stated, they would be reguarised in six months' time. Is there any proposal to treat them permanent with effect from the day of their employment, be it five years or 10 years ? Secondly, many contractors are engaged in their sectors and they employ a number of labourers. They are also working for a number of years with them. Is there any proposal before the Government to terminate these contracts and regularise there Casual Labourers also ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने बताया, जहां तक नैमित्तिक श्रमिकों का सम्बन्ध है रेल विभाग के सम्बन्ध में उल्लेख हो चुका है। केन्द्रीय सरकार ने भी विनियम न तैयार किये हैं परन्तु वे अभी विचाराधीन हैं। माननीय मंत्री गोदी श्रमिकों को स्थायी करने के बारे में जानना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। अन्य मामलों के लिए संविद श्रमिक अधिनियम है जिसका समुचित कार्यान्वयन होना है जिससे कि माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट शिकायतें दूर हो सकेंगी ।

समुद्री उत्पादों के लिए गुजरात राज्य के समुद्र तट का सर्वेक्षण

***844. श्री जदेजा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री उत्पादों के लिए गुजरात राज्य के समुद्र तट का सर्वेक्षण कराने का है क्योंकि पश्चिम तट के सागर तल में समुद्री उत्पाद सबसे अधिक मात्रा में पाये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख) : गुजरात राज्य के समुद्र तट से दूर मीन क्षेत्रों के सर्वेक्षण वर्ष 1948 से व्यापक और निरन्तर रूप से भारत सरकार के गहरे समुद्र में मीन हरण संख्या के समन्वेषी मीन हरण जलयानों द्वारा किए जा रहे हैं। इन सर्वेक्षणों का सम्बन्ध मुख्यतः 80 मीटर की गहराई तक के मीन हरण क्षेत्रों तथा समुद्र तल मे रहने वाली उन जातियों से भी है जो ट्राल जालों द्वारा पकड़ी जाती है। इन सर्वेक्षणों को गहरे तल क्षेत्रों तथा जल के बीच वाले क्षेत्रों तक विस्तृत करने का विचार है। कान्दला में 2 तथा वेरावल में 3 नये जलयानों की सहायता से एक सर्वेक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। ये सर्वेक्षण कार्य शिम्प तथा अन्य तलीय मछलियों के लिए ट्रालिंग, पलेगिक-फिश तथा पर्स सीविंग मुख्यतः पाम्प्रेटों हेतु गिलनैटिंग के लिए भी किये जाएंगे ।

श्री जदेजा : माननीय मंत्री ने सदन के समक्ष जो विवरण रखा है उसमें सागर तल में पाये जाने वाले केवल कुछ ही जीवों का उल्लेख है परंतु समुद्री वनस्पति और प्रवालों जैसे समुद्री उत्पादों का कोई उल्लेख नहीं, जो पर्याप्त महत्व के हैं। क्या इन उत्पादों का सर्वेक्षण करने की भी कोई योजना है ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : जब कोई सर्वेक्षण किया जाता है तो वह सब प्रकार की मछलियों के बारे में होता है। यदि विवरण में मैंने केवल कुछ विशेष प्रकार के जीवों का उल्लेख किया है तो इसका यह अर्थ नहीं कि यह सर्वेक्षण केवल इन तक ही सीमित रखा गया था।

श्री जदेजा : माननीय मंत्री ने अब कहा है कि सवक्षण का अर्थ है सभी जीवों का सर्वेक्षण। क्या सरकार को यह पता है कि सौराष्ट्र समुद्र तट के कुछ आगे विदेशी मछुआ नावें चलती हैं और एफ०ए०ओ० के प्रतिवेदन के अनुसार यह तट समुद्री उत्पादों की दृष्टि से संसारभर में मूल्यवान क्षेत्र समझा जाता है ? अतः क्या केन्द्रीय सरकार उस क्षेत्र से लाभ उठाने के सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : यह सच है कि 'मतस्य' की दृष्टि से यह क्षेत्र मूल्यवान क्षेत्रों में से एक है। मुझे प्रसन्नता है कि गुजरात में मतस्थ उद्योग का अच्छा विकास हो रहा है। केन्द्रीय सरकार गुजरात सरकार की ओर भी सहायता करना चाहेगी जिससे 'मतस्य सम्बन्धी कार्यवाहियों का विस्तार किया जा सके।

चीनी मिलों में चीनी के भण्डार तथा वित्तीय संकट

***845. श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों में चीनी के भारी भंडार जमा हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम स्थिति क्या है तथा अगले पिराई के मौसम के आरम्भ तक वे कितना स्टाक बेच चुकेंगी; और

(ग) क्या बित्तीय संकट में अन्तर्ग्रस्त चीनी मिलों को कुछ राहत देने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। चीनी मिलों के पास 15 जून, 1971 को 27·9 लाख मी० टन चीनी का स्टाक था जबकि गत वर्ष की उसी तारीख की यह स्टाक 30·6 लाख मी० टन था। इसके बाद 30 सितम्बर, 1971 तक स्टाक की निकासी लगभग 11 लाख मी० टन हो सकती है। इस अवधि में लगभग 65,000 मी० टन और उत्पादन होने की भी आशा की जाती है।

(ग) चीनी के मूल्य और वितरण पर से प्रतिबन्ध 25 मई, 1971 से उठा लिए गए हैं और अब कोई वित्तीय संकट नहीं होना चाहिये क्योंकि स्टाक का जमाव पिछले वर्ष की अपेक्षा कम है।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या मिल मालिकों द्वारा किसानों को उनकी बकाया धन-

राशि की अदायगी कर दी गई है और यदि नहीं, तो कितनी धनराशि बकाया है ? दूसरे, क्या चीनी से नियन्त्रण हटाने के बाद देश के कुछ भागों में चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही प्रश्न में दो प्रश्न कर रहे हैं।

श्री शेरसिंह : आपके प्रथम प्रश्न के उत्तर में तो मुझे यही कहना है कि सम्पूर्ण देश में मिल मालिकों की ओर, गन्ना उत्पादकों की 50 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है। उत्तर-प्रदेश में लगभग 19 करोड़ रुपया बकाया है और सम्पूर्ण देश में 50 करोड़ रुपया। उन्होंने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर यही है कि मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। यदि हम 25 मई से उनके आम विक्रय-मूल्यों से तुलना करें तो पता चलेगा कि मूल्यों में कमी हुई है। इस महीने भी हमें 4 67 लाख टन चीनी प्राप्त हुई है जिसके फलस्वरूप मूल्यों में पिछले 6 या 7 दिनों में और कमी हुई है। **(व्यवधान)**

Shri Hukam Chand Kachwai : The suger is being sold at the rate of **Rs. 2.25** per **Kg.** The prices have gone up by **25** paise per Kg. He is simply reading at the information supplied by the officers.

Shri Phool Chand Verma : Sugar in being sold at the rate of Rs. 2.30 per Kg. in Super Bazar itself. The Government can enquire for its information.

श्री एस० आर० दामाणी : जब कोई स्टाक जमा नहीं है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या बकाया राशि अदा कर दी गयी है और यदि हां तो कितनी और कितनी राशि अभी बकाया है ? उन्होंने केवल कुछ समय पूर्व दिये गये आंकड़ों को ही दोहरा दिया है और ठीक आंकड़े नहीं दिये हैं। इस वर्ष तो गन्ने की खेती काफी अधिक थी। मिलों के लिए उसे समय पर पेरना भी कठिन था। क्या सरकार का लाईसेन्स नीति में कुछ ढील देने का विचार है ताकि सहकारी, संयुक्त और निजि क्षेत्र में अधिक चीनी मिलें लगाई जा सके ?

श्री शेरसिंह : मैं नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत करता हूँ। 31 मई 1971 तक गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि 42,68,59,000 रुपये थी। अब यह कम हो गई है। जहां तक चीनी की मिलों के लिए अधिक लाईसेन्स देने का प्रश्न है, हमने हाल ही में सहकारी कारखानों को 30 लाइसेन्स दिये हैं और कुछ कारखाने तो लगाये भी जा रहे हैं। इनकी कुल क्षमता 47 लाख मीटरी टन होगी।

Shri Genda Singh : Is it a fact that out of the total arrears of Rs. 42 crores, 19 crores of rupees are outstanding in U. P. alone ? Is it also a fact that these 19 crores of rupees are outstanding against a few sugar mills only ? Is it not a fact that the mill-owners who have to pay arrears to the farmers are being arrested and their factories are being auctioned for the non-payment of the Government dues ? If so, why can't the Government postpone the recovery of its dues and take concrete action against millowners so that payment to farmers could be made early ?

Shri Sher Singh : As some more payment has been made, so I would like to correct the figures of Uttar Pradesh. At present it is Rs. 15, 19, 94000. It has already been stated that action is being taken against six mills. The auction is also being effected so that they may be able to make payment. As regards the payment of the arrears to the farmers, I will pass on the suggestions of hon. Member to Uttar Pradesh Government for action.

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मन्त्री ने गन्ने की जो बकाया धनराशि बताई है वह 42 करोड़ और कुछ लाख रुपये है। क्या सरकार ने चीनी के भंडारों को जब्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है ताकि उन्हें बाजार में बेचकर, किसानों को अदायगी की जा सके ?

श्री शेरसिंह : हम कठोर कार्यवाही कर रहे हैं। हमने 6 मिलों की नीलामी करने का निर्णय किया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह भंडारों को जब्त कर उन्हें बाजार में बेचेंगे ?

श्री शेरसिंह : हमारी कठिनाई यह है कि इनमें से अधिकांश भंडार मिलमालिकों द्वारा बैंकों के पास गिरवी रखे गये हैं और वे बैंकों से पैसा ले चुके हैं। अतः हम उन पर कब्जा कर उन्हें बेच नहीं सकते।

श्री एस० एम० बनर्जी : तो फिर आपने क्या कठोर कार्यवाही की है ?

श्री शेरसिंह : राज्य सरकारों से भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए कहा गया है और वे इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रही हैं। कुछ मामलों में तो मिलों की नीलामी भी की जा रही है। हमने राज्य सरकारों को सख्त कार्यवाही करने के लिए कहा है।

श्री आर० एस० पांडे : उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग द्वारा बकाया राशियों का भुगतान न किये जाने की दृष्टि से क्या सरकार सम्पूर्ण चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेगी ?

श्री शेरसिंह : उस दिन एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुये मैंने सदन को सूचित किया था कि इस सम्बन्ध में हमें उत्तर प्रदेश सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके बारे में कुछ कार्यवाही कर रही है और शीघ्र ही इसका पता चल जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान् जी इस पर अल्पावधिक चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष महोदय : मैं यह सुझाव कार्य–मंत्रणासमिति को दूंगा और इस पर विचार किया जायेगा।

वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शदाता दल

***847. श्री रामशेखरप्रसादसिंह :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के बारे में वाशिंगटन में स्थापित नये परामर्शदाता दल के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है :

(ख) यदि हां, तो उक्त दल के कृत्य क्या हैं; और

(ग) परामर्शदाता दल के अन्य सदस्य कौन-कौन से हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीअण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) खाद्य और कृषि संगठन ने अप्रेल, 1970 में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के विषय में एक सलाहकार मंडल की नियुक्ति करने का प्रस्ताव रखा था ताकि विकासोन्मुख देशों में ऐसे अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिये सम्पूर्ण वित्त सहायता का प्रबन्ध किया जा सके। भारत को सलाहकार मंडल की सहायता के लिये बनाई गई तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामजद किया गया है। समिति का कार्यालय खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय रोम में स्थित है और इसमें विकसित और विकासोन्मुख देशों से स्वतन्त्र वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान विकास को ध्यान रखते हुये, शामिल किये गये हैं। जहां तक सलाहकार मंडल का सम्बन्ध है, कुछ सदस्य खाद्य और कृषि संगठन के मुख्य सहायता देने वाले देशों, फोर्ड, रोकफेलर और अन्तर्राष्ट्रीय केनेडा और फाऊन्डेशन और क्षेत्रीय विकास बैंकों में से लिये गये हैं।

Shri Ramshekhar Prasad Singh : What programmes have been chalked out by India, being a Member of this organisation, and has any meeting of this organisation been held ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया।

श्री रामशेखर प्रसादसिंह : इस संस्था के सदस्य के रूप में भारत की ओर से कौन-कौन से कार्यक्रम बनाये गये हैं और क्या इस संस्था की कोई बैठक हुई भी या नही ? यदि हुई है तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वास्तव में कोई देश इस संस्था का सदस्य नहीं है। इसमें कई देशों के प्रमुख वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता है। यह एक प्रकार का पैनल या अध्ययन दल है। भारत से डा० स्वामीनाथन् को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। विभिन्न देशों में जो अनुसंधान–कार्य हो रहा है, उसे उन्होंने देखा है और वे अनुभव का आदान–प्रदान करना चाहते हैं।

बंगला देश के शरणार्थियों के भोजन की व्यास्था हेतु उत्तरी बंगाल को चावल की सप्लाई

\+

***848. श्री एम० सत्यनारायण राव :**
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि बंगला देश के शरणार्थियों के भोजन की व्यवस्था के लिए उत्तरी बंगाल को चावल की कम से कम छः विशेष रेल गाड़ियां भेजी जाएं ;

(ख) यदि हां, तो उत्तरी बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई करने में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) शरणार्थियों के लिए अब तक कुल कितना खाद्यान्न भेजा गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे):

(क) जी हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सामान्य तथा उत्तरी बंगाल में अतिरिक्त उत्पातों को पूरा करने के लिए प्रति मास 30,000 मी० टन चावल सप्लाई करने के लिए केवल हाल ही में कहा है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और पंजाब से चावल की इस मात्रा को भेजने के लिए पग उठाये गए हैं। उत्तरी बंगाल के डिपो में गेहूं का पर्याप्त स्टाक पड़ा है तथा और स्टाक भी भेजा जा रहा है।

(ग) पश्चिमी बंगाल कमी वाला राज्य होने के कारण भारत सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को उनकी सामान्य जरूरतों तथा बंगला देश से आए शरणार्थियों के लिए भी खाद्यान्न सप्लाई करती है। बंगला देश के विस्थापितों के लिए 19-6-71 तक खाद्यान्नों की सप्लाई की गई कुल मात्रा 29, 768 मी० टन चावल और 580 मी० टन गेहूं की थी।

श्री एम० सत्यनारायणराव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थियों के आगमन को दृष्टि में रखते हुए क्या हमारा देश न केवल हमारे लोगों को अपितु बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों को भी खाद्यान्न जुटाने में आत्मनिर्भर है; यदि नहीं, तो इस संबध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे : मैं फिर कह दूं कि बगला देश के शरणार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का उत्तरदायित्व है परन्तु इसके बावजूद हमारी खाद्य स्थिति संतोषप्रद है कि हम पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं कि इन अभागे लोगों को जो यहां आये हैं, समुचित रुप से भोजन दिया जाये।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं उन राज्यों के नाम जानना चाहूंगा जहां खाद्यान्न अतिरिक्त मात्रा में है और जो पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई करने की स्थिति में है। विशेषकर मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आंध्र प्रदेश अतिरिक्त चावल पैदा करने वाला राज्य है और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उसे चावल की सप्लाई करने को कहा है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : क्या आप इस प्रश्न का उत्तर मेरे से दिलाना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही, यह एक अप्रत्यक्ष प्रश्न है। आप आन्ध्र प्रदेश से भी चावल क्यों नहीं लत हे?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने अपने उत्तर के मुख्य भाग में कहा है, सहूलियत को दृष्टि में रखते हुए हम पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब से चावल की सप्लाई करते हैं, यद्यपि आंध्र अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, हम वहां से केरल को चावल की सप्लाई करना सुविधाजनक समझते हैं जो कि उसके निकट है, अतएव यह नीति राष्ट्रीय आधार पर बनायी गई है और स्वाभावतः कतिपय विस्तृत बातों को ध्यान में रखते हुए अधिक खाद्यान्न वाले राज्यों से कम खाद्यान्न वाले राज्यों को खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था की जाती है।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को खाद्यानों की तत्कालिक सप्लाई करने का कोई विशेष प्रस्ताव किया है क्योंकि यह सच है कि जब भी भारत सरकार उन स्थानों में खाद्यान्नों की सप्लाई करती है

तो विलम्ब होता है अथवा अन्य कारणों से उसमें बहुत समय लग जाता है और शरणार्थियों को राशन की दुकानों में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या पश्चिम बंगाल की सामान्य आवश्यकताओं के अलावा पश्चिम बंगाल में हाल ही में शरणार्थियों के आगमन से भारत सरकार खाद्यानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरा प्रबंध कर सकती है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक आवंटन का प्रश्न है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, मैं यह दोहराना चाहूंगा कि पश्चिम बगाल में खाद्यान्न के भंडार की स्थिति बहुत ही संतोषप्रद है । इस समय पश्चिम बंगाल में 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल का भंडार है और हम पश्चिम बंगाल की मांग के अनुसार सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं । माल डिब्बों के आने जाने में कतिमय कठिनाइयां हैं जो कि मेरे मंत्रालय के नियंत्रण से बाहर हैं । परन्तु हम आवश्यकता से भी अधिक खाद्यान्न की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं तथा उसके लिए योजना बना रहे हैं ।

श्री समरगुह : मैं यह जानना चाहूंगा कि विशेषकर शरणार्थियों को सप्लाई किया जाने वाला खाद्यान्न सीधे शरणार्थी शिविरों को सप्लाई किया जाता है अथवा पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से सप्लाई किया जाता है ? क्या माल डिब्बों से खाद्यान्नों को चढाने उतारने में कोई कठिनाई है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हम स्वभावत: पश्चिम बंगाल सरकार को इन खाद्यानों का आवंटन करते हैं और पश्चिम बंगाल सरकार इन खाद्यानों का वितरण करती है । माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि श्रम सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण खाद्यान्नों के उतारने में कुछ कठिनाइयां हैं ?

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए तम्बुओं की सप्लाई

***849. श्री एस० एम० बनर्जी :**

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये तम्बुओं की शीघ्र सप्लाई करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या अधिकांश क्रयादेश, आयुध वस्त्र कारखानों को अथवा गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री श्री बाल गोविन्द वर्मा : (क) पूर्वी बंगाल से आए शरणार्थियों को आश्रय देने के उद्देश्य से, वर्तमान फालतू स्टाक में से 6,000 तम्बू देने की व्यवस्था कर दी गई है और 82026 तम्बुओं/छोलदारियों और 24,000 तिरपालों के आदेश, तात्कालिक मांग पत्र के रूप में भारत सरकार द्वारा पूर्ति और निपटान, महानिदेशक, नई दिल्ली को दे दिए गए हैं । शरणार्थियों के लिए आश्रय सामग्री देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और विदेशी एजेन्सियों से भी अपील की गई है ।

(ख) तम्बुओं की सप्लाई के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा गैर सरकारी देशी निर्माताओं को आदेश दे दिए गए हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यहां आयुक्त कारखानों के महानिदेशक के अधीन चार आयुध कपड़ा कारखाने चल रहे हैं और अधिकांश क्रयादेश गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिये गये हैं जो कि उत्तम किस्म की वस्तुएं कभी नहीं बनाऐंगे। चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान हमारा ऐसा अनुभव रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक ने अधिकांश क्रयादेश गैर-सरकारी लोगों को क्यों दिये हैं? क्या इस बात की जांच करवाई जायेगी कि ऐसा क्यों किया गया है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : सभी क्रयादेश केन्द्रीय क्रय संगठन-पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय-द्वारा दिये जाते हैं और उन्होंने निश्चय ही अपने अनुभवों से यह जाना होगा कि आयुध कारखाने इतनी बड़ी संख्या में क्रयदेश लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि आयुक्त कारखाने अपनी मांगों को पूरा नहीं कर सके हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि शाहजहांपुर आयुध कारखाने में 10,000 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, लगभग 15,000 व्यक्ति कानपुर पैराशूट कारखाने में कार्य कर रहे हैं और इतनी ही संख्या में व्यक्ति अवाडी आयुध कारखाने में कार्य कर रहे हैं जिन सबकी निर्माण क्षमता गैर-सरकारी एककों से अधिक है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह मंत्री महोदय की जानकारी में है कि इन कारखानों के कर्मचारियों ने यह निर्णय किया है कि यदि क्रयादेश उन्हें दिये जायें तो वे बिना समयोपरि भत्ता लिये समूची आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण करेंगे और साथ में वे निर्धारित अवधि से पूर्व कार्य कर देंगे?

श्री आर० के० खाडिलकर : शरणार्थी-समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं संबंधी सभी मामलों से प्रतिरक्षा सचिव सम्बद्ध हैं। यदि माननीय सदस्य द्वारा बताये गये तथ्य सही हैं। तो वे इन बातों को समिति के समक्ष रखें और हम निश्चय ही आयुध कारखानों से सप्लाई लेने में प्रसन्नता अनुभव करेंगे।

Shri R V. Bade : I want to know from the hon. Minister whether it is a fact that due to non-delivery of supply from the ordnance clothing factory,he had issued order to purchase tarpaulin for Mana Camp from Private dealers and when they were not available from that source tents were made with wood brought from forests and thus a number of evacuces are living in the open fields ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है परन्तु अपने-अपने विचार हैं।

Shri R. V. Bade : But mention of ordnance factory has also been made.

श्री आर० के० खाडिलकर : रहने के स्थानों की समूची समस्या सुनियोजित है और यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं इस विषय पर विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रख सकता हूं कि हमने क्या किया है, हमारे पास कितनी सप्लाई है और रहने के स्थानों की व्यवस्था करने में हम कहां तक सफल हुए हैं, परन्तु यदि किसी व्यक्ति विशेष के मामले में कोई कठिनाई हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है।

राज्यों को भूमि सुधार अधिनियम लागू करने हेतु केन्द्रीय निदेश

***850. श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने भूमि सुधार अधिनियम शीघ्रता से लागू करने के निदेश दिए हैं; और

(ख) इस पर प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उन राज्य सरकारों का विचार उनको कब तक पूर्ण रूप से लागू करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भूमि सुधार राज्य सरकारों का विषय है, इसलिये भूमि सुधार पर केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं होता। परन्तु, भूमि सुधार के कानून तथा उनके कार्यान्वियन के विस्तृत मार्गनिर्देशन का चौथी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख किया गया है और तदनन्तर 1969 तथा 1970 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इसकी पुनरावृत्ति की गई है। प्रधान मंत्री तथा कृषि मन्त्री ने कई बार राज्य सरकारों को लिखा है कि वे भूमि सुधार के कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करें।

(ख) सन् 1970 में हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों ने भूमि सुधार सम्बन्धी उपाय अपनाना स्वीकार कर लिया। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे भूमि सुधार के शीघ्र तथा प्रभावशाली कार्यान्वियन के लिये कदम उठायें।

Shri Narendra Singh Bist : The main problem regarding land reform is ceiling. I want to know from the Government what Ceiling has been fixed for different states and how far it has been implemented there ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : प्रत्येक राज्य में भूमि की अधिकतम सीमा के संबंध में मैंने पहले भी सभा-पटल पर विवरण रखा है। हाल ही में केरल सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून बनाया है और मोटे तौर पर अधिकतम सीमा परिवार के आधार पर 5 से 7 हेक्टेयर है। हमने पश्चिम बंगाल में भी जब वहां राष्ट्रपति शासन था तो भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी नियम बनाया था, जिसमें परिवार को ईकाई मानकर मोटे तौर पर यह सीमा एक परिवार के लिए 12 और 17 एकड़ के बीच निर्धारित की गई है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने कानून में सुधार किया है और भूमि की अधिकतम सीमा 30 एकड़ से कम करके 15 एकड़ कर दी है। आसाम ने भी तत्सम्बन्धी कानूनों में संशोधन किया है। परन्तु कई राज्यों में इसका कार्यान्वियन बहुत प्रभावी नहीं रहा है।

Shri Narendra Singh Bist : May I know whether the Government is aware that even today many persons have thousand acres of land in Uttar Pradesh and to evade this measure they have transferred the land in the names of their relatives by adopting illegal ways, so what steps the Government proposes to take to rectify such things ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे लिए एकड़ों की सही जानकारी बताना कठिन होगा

परन्तु यह सर्वविदित है कि बहुत से लोगों ने दूसरों के नाम में जमीन लिखकर तथा विभिन्न तरीके अपनाकर भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून से धोखे से बचने का प्रयत्न किया है ।

Shri Sarjoo Pandey : The problem of land is very complicated and a massive campaign was launched in the country on this issue. The State Governments do not want to solve the problem of land inspite of the directive of the Governments. So will the Government reconvene the meeting of Chief Ministers and give directives to effect land reforms and to distribute land among poor and will any suggesting regarding land landreforms be given to them because this is a complicated problem and there is unrest in the whole Country on this issue ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक भूमि सुधारों को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता का संबंध है, भारत सरकार इस मामले में बहुत स्पष्ट है । इसलिए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया गया था और भूमि सुधार समिति जो मुख्य मंत्रियों के उप-दल के समान है, की नियुक्ति की गई है जो भूमि की अधिकतम सीमा के प्रश्न पर विचार करेगी । भूमि सुधारों के बहुत पहलू हैं । दुर्भाग्यवश कतिपय राज्यों में कृषकों के हितों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है । हम राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे कि वे इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार करें । हम उनसे कई-बार अनुरोध कर रहे हैं और प्रधान मंत्री ने भी राज्य सरकारों से इस मामले को उठाया है ।

श्री अमृत नाहाटा : भूमि सुधार राज्यों का विषय होने से केन्द्रीय सरकार ने हमेशा असमर्थता ही प्रकट की है, इस तथ्य को देखते हुए राज्यों में भूमि संबंधी हित राज्य सरकारों के साथ बहुत ही जुड़े हुए हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार संविधान में इस आशय का सशोधन करने की व्यवहार्यता पर विचार करेगी जिससे भूमि सुधार के कार्य को राज्यों के विषय से निकालकर समवर्ती सूची में ले लिया जाय, जिससे इस विषय पर राज्य विधान सभाओं के पास कानून बवाने का अधिकार सुरक्षित रहे परन्तु केन्द्रीय सरकार समूचे देश में समान भूमि सुधार लागू कर सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० सिन्दे : जहां तक संविधान में संशोधन करने का प्रश्न है, यह निर्णय सभा ने करना है !

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में मिलाया गया था तो उस समय तेलंगना काश्तकारी अधिनियम को आंध्र में पूर्णतया क्यों नहीं लागू किया गया ? आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्याशित भूमि सुधारों को लागू करने के लिए कहां तक कार्यवाही की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : आंध्रप्रदेश ने हाल ही में कतिपय कार्यवाहियां की हैं,उदाहरण के लिए उसने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी अधिनियम के अंतर्गत छूट को समाप्त कर दिया है । उन्होंने काश्तकारी अधिनियम से संबंधित संशोधन पर हमारी स्वीकृति मांगी हैं, हमने कति-पय टिप्पणियां की हैं । क्योंकि इमने सोचा था कि यह जमींदारों को अपनी भूमि लेने के लिए अवसर देगा । अतएव हमने राज्य सरकार को इस अधिनियम पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है ।

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए अलग-अलग अधिनियम हैं, अलग-अलग अधिनियम क्यों होने चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : तेलगाना की जनता भली है। कृपया बैठ जाइये।

Shri N. N. Pande : What is the opinion of the Hon. Minister regarding the decision taken in the Chief Ministers' Conference as to the implementation of a Central ceiling legistation. What progress has been made in this direction ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस समय संविधानके अन्तर्गत इस प्रकार का केन्द्रीय विधान बनाना संभव नहीं है, हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में इस बारे में कितनी समानता लाई जा सकती है। हम विभिन्न राज्यों में उनकी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हैं।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या हरियाणा सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी एक अध्यादेश केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा था ? यदि हां तो यह कब भेजा गया था ? इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ? इसका अनुमोदन अभी तक क्यों नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : अध्यादेश किस लिये.........

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : भूमि सुधार के बारे में जो हरियाणा सरकार द्वारा भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय : जब आप मुख्य मन्त्री थे ?

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : अभी वर्तमान सरकार द्वारा भेजा गया था।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमें हरियाणा सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : उसका अनुमोदन करने में कितना समय लगेगा ? यह विचारार्थ कब से पड़ा था ?

अध्यक्ष महोदय : "विचारार्थ की" कोई सीमा नहीं होती है।

श्री पीलू मोदी : उन्होंने पूछा है कि यह कब से विचारार्थ पड़ा है, यही विशिष्ट प्रश्न है।

श्री के० एस० चावला : मैं जान सकता हूं कि वे राज्यों को अपने-अपने भूमि सुधार अधिनियमों को शीघ्र लागू करने में क्या प्रोत्साहन देना चाहते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : किसी भी तरह का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है। यह राज्य सरकारों का दायित्व है और इसकी क्रियान्विति के मामले में उन्हें जोरदार प्रयत्न करने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले वाले प्रश्न के सम्बन्ध में श्री पीलू मोदी का कहना सही है, यह विचारार्थ कब तक रहेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं इस मामले में सभा को विश्वास में लेना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। कतिपद प्रावधानों के

बारे में हमारा विचार है कि उन पर विस्तृत रूप से विचार किया जाये और इसीलिए हम हरियाणा सरकार के साथ भूमि सुधार अधिनियम पर विचार विमर्श कर रहे हैं........

श्री पीलू मोदी : यह कब प्राप्त हुआ था ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमें यह एक महीने पूर्व प्राप्त हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री पीलू मोदी अब संतुष्ट है ?

श्री पीलू मोदी : न केवल उनके साथ बल्कि आपके साथ भी संतुष्ट हूं।

भूमि कटाव को रोकने के लिये कार्यवाही

851. श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या 48 लाख एकड़ कृषि योग्य तथा बंजर भूमि और 10 लाख एकड़ वन भूमि में कटाव की समस्या उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) ; (क), (ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) यद्यपि देश में समग्र रूप से भूमि तथा जल संरक्षण विषयक समस्याओं की ठीक स्थिति का अनुमान लगाने के लिये कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किए गये हैं तथापि अनुमान है कि वनों के अन्तर्गत भूमि सहित कुल लगभग 1450 लाख हैक्टार भूमि के बारे मृदा तथा जल संरक्षण की समस्यायें मौजूद हैं।

(ख) और (ग) ; केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों द्वारा इन समस्याओं को हल करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिये तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान कृषि योग्य परती भूमि के सुधार तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अधीन राज्य सरकारें भूमि के सुधार तथा विकास के लिये 750 रुपये प्रति हैक्टार की दर से तथा खेती शुरू करने के लिये प्रतिपरिवार के हिसाब से कृषि सम्बन्धी साज-सामान के क्रय के लिए 750 रुपये केन्द्रीय सहायता की पात्र थीं। यह योजना पहली अप्रेल, 1969 से राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई है। योजना प्रचालन की अवधि के दौरान राज्य सरकारों को कुल 614.85 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई। इस योजना के अन्तर्गत कुल लगभग 2 लाख हेक्टार क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने की रिपोर्ट मिली है।

उपरोक्त केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपने अधीन अपनी सामान्य विकासमान योजनाओं में कृषि योग्य परती भूमि के विकास के लिये भी कार्यक्रम शुरू किये। सन् 1968–69 तक राज्य सरकारों द्वारा कुल लगभग 42 लाख हैक्टार कृषि योग्य परती भूमि के सुधार की रिपोर्ट मिली है।

पहाड़ी क्षेत्रों में तेजी से भू-क्षरण होने तथा वन्य सम्पदा नष्ट होने से नहरी नालियां तथा जलाशय शीघ्रता से भर जाते हैं जिसके परिणामस्वरुप उनकी संचयन क्षमता को क्षति पहुंचती है जिससे अत्यधिक लागत से बने बांधों की आयु कम हो जाती है। तीसरी योजना में भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य जोर स्वतंत्र स्वामित्व वाली कृषिभूमि में कन्टूर बाँध और सीढ़ीदार खेत बनाने और अन्य भूमि में वनरोपण तथा चरागाह विकास पर दिया गया था। सूक्ष्म रूप से भूमि संरक्षण का अर्थ भू-क्षरण को रोकना है, जब कि इसका विस्तृत अर्थ भूमि की क्षमता को बनाए रखने के लिये उन समस्त आवश्यक तकनीकों का प्रयोग करना है। जो कि सबसे उपयुक्त हैं और जिनसे कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ती है। चौथी योजना के दौरान इस कार्यक्रम की नीति में और अधिक समय तक लाभ प्रदान करने वाली चुनींदा पनधाराओं में समस्त प्रकार की भूमि का उपचार करना शामिल है।

पहली दो पंच वर्षीय योजना अवधियों के दौरान विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के अन्तर्गत विकसित जलाशयों की आयु बढ़ाने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में 13 मुख्य नदी घाटी परियोजना के श्रवण-क्षेत्रों में भूमि संरक्षण का एक समन्वित कार्यक्रम गहन आधार पर शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रवण–क्षेत्रों मे बुरी तरह से अपरदित क्षेत्रों का प्राथमिक आधार पर उपचार करना है ताकि यथाशीघ्र तलछट निक्षेपण को कम किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत कृष्ट तथा अकृष्ट दोनों प्रकार की भूमि के उपचार के लिये एक व्यापक योजना अपनाई गई है। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि और उसके उपरान्त वर्ष 1968–69 तक तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान 13 श्रवण–क्षेत्रों में 23 करोड रुपये की लागत से लगभग 7 लाख हैक्टार कृष्ट तथा वन भूमि का उपचार किया गया। चौथी योजना के कार्यक्रम में 21 श्रवण-क्षेत्रों (8 नये श्रवण-क्षेत्रों) की 6 लाख हैक्टार भूमि 2·6 लाख हैक्टार कृष्ट भूमि तथा 3·4 लाख हेक्टार अकृष्ट भूमि में 27 करोड़ रुपये के परिव्यय से उपचार करने की व्यवस्था की गई है। चौथी योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 7·5 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 2 लाख हैक्टार क्षेत्र का उपचार किया गया है।

खो-खड वाली भूमि के सुधार के कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादक भूमि के उपचार तथा संरक्षण और उपान्त खो-खड वाली भूमि और जलदर-शीर्षों के स्थायीकरण पर जोर दिया गया। चौथी योजना के दौरान 2 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 0·08 लाख हैक्टार खो-खड वाली भूमि को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य है।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने पहली योजना की शुरूआत से 1968-69 तक 163·37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विभिन्न भूमि-संरक्षण पद्धतियों से 89 लाख हैक्टार कृष्ट भूमि का उपचार किया चौथी योजना के दौरान उनका 124 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 62 लाख हैक्टार कृष्ट भूमि का उपचार करने का विचार है।

केन्द्रीय क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 नदी घाटी परियोजना क्षेत्रों के श्रवण-क्षेत्रों में 55 लाख हैक्टार भूमि और पुनर्वास तथा अन्य विशेष क्षेत्रों की 32 लाख हैक्टार भूमि पर सर्वेक्षण किया गया है।

श्री पी. गंगादेव : भारत के सभी राज्यों को जो 614.85 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी, उसमें से उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि दी गई थी और इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य द्वारा कितने क्षेत्र का सुधार कियार किया गया है ?

श्री शेर सिंह : उड़ीसा द्वाराकुल 674 हेक्टेयर क्षेत्र का सुधार किया गया है और उस पर 380 परिवार पुनः बसाये गये हैं जिस पर 6.20 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

श्री पी० गंगादेव : मोटे तौर पर जिसे भूमि कटाव कहा जाता है, उसकी समस्या से निपटने के लिए क्या कोई अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री शेरसिंह : केन्द्रीय क्षेत्र में हमारा भू-सर्वेक्षण कार्यक्रम है। 13 नदी घाटी परियोजनाओं के समवर्ती क्षेत्रों में लगभग 55 लाख हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण अब तक किया गया है और 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का पुनर्वास और अन्य विशेष क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया गया है।

श्री सुरेन्द्र महंती : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें सुधार की गई भूमि का उपयोग किस प्रकार किया गया है और इसमें से कितनी भूमि भूमिहीन लोगों में बांट दी गई है ?

श्री शेरसिंह : कुल 1,89,832 हेक्टेयर भूमि में सुधार किया गया है और यह भूमिहीन श्रमिकों में बांट दी गई है।

Shri Onkar Lal Berwa : Have Chambal ravines been included in the Land Protection Programme ? If so, how many acres of land will be reclamed ?

Shri Sher Singh : There is a very large area in Chambal ravines. We have formulated a plan of spending Rs. 2 crores for the reclamation of 8000 hectares of land there.

नारियल के उत्पादन में कमी

***855. श्री चन्द्रप्पन :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1950-51 से भारत में नारियल के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में लगातार कमी हो रही है।

(ख) यदि हां तो, 1950-51 की तुलना में 1969-70 में उत्पादन की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) इसमें कितनी कमी नारियल के वृक्षों में बीमारी लगने के कारण हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क), (ख) तथा (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) तथा (ख) : नारियल के प्रति हैक्टार उत्पादन में 1950-51 से ही प्रति वर्ष उतार

चढाव होता रहा है । निम्न सारिणी 1950-51 से 1969-70 तक की अवधि के दौरान नारियल के उत्पादन को भी प्रदर्शित करती है :-

वर्ष	प्रति हैक्टार उत्पादन	उत्पादन (दस लाख नारियलों में)
1950–51	5759	3582
1951–52	5724	3606
1952–53	6909	4498
1953–54	7012	4649
1954–55	6878	4409
1955–56	6532	4226
1956–57	6671	4383
1957–58	6689	4445
1958–59	6651	4589
1959–60	6621	4734
1960–61	6470	4639
1961–62	6194	4478
1962–63	6288	5017
1963–64	5920	4725
1964–65	5950	5043
1965–66	5698	5035
(आ)1966–67	5814	5192
(आ)1967–68	5760	5321
(आ)1968–69	5613	5546
(अ) 1969–70	5655	5779
1950–51 के उत्पादन के प्रतिशत के रूप में 1969–70 में उत्पादन प्रति हैक्टार उत्पादन	95·/.	161·3

(आ) आंशिक रूप से संशोधित अनुमान ।

(अ) अन्तिम अनुमान ।

(ग) जड़ मुरझान रोग (जो कि नारियल का एक बहुत ही विनाशक रोग है) नारियलों के उत्पादन दर की वृद्धि में एक बहुत ही बड़ी बाधा है ।

श्री चन्द्रप्पन : सरकार द्वारा विवरण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नारियल के पेड़ों के किसी रोग के कारण, नारियल के उत्पादन में कमी हुई है । इसे दृष्टिगत रखते हुए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के रोगों का अनुसंधान करने के लिए, सरकार का केरल में एक पूर्ण प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार है, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों में, विशेषतया फिलिपीन्स में इस प्रकार के अनुसंधान किये जा रहे हैं ? क्या

सरकार इन देशों के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने और केरल में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत एक बडी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उपाय करेगी ?

अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कार्यवाही के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुये हैं। उत्पादकता में वृद्धि तो नहीं हुई परन्तु कुल उत्पादन में काफी बृद्धि हुई है । माननीय सदस्य द्वारा जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है, उनके समाधान के लिए केरल में पहले से अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके सम्बन्ध में हम अन्य देशों से भी अपना सम्पर्क बनाये हुए हैं।

श्री चन्द्राप्पन : ऐसा लगता है कि रोगों के कारण, केरल में इनके उत्पादन में कमी हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार नारियल की अच्छी फसल के लिए केरल में किसानों को संकर किस्मों के नारियल के पौधे उपलब्ध करेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : केरल, मैसूर और अन्य क्षेत्रों को पौधे उपलब्ध करवाने के लिए हमने एक बीज फारम की स्थापना की हुई है।

डा० हैनरी आस्टिन : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसी के सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह कोयाकुलम में किये जा अनुसंधान कार्यक्रम की ओर भी कोई ध्यान देंगे ? "केरल" शब्द की उत्पति ही "कीरम" शब्द से होती है जिसका अर्थ है नारियल का वृक्ष। लोगों का यह विचार है कि यदि इस रोग को रोकने के लिए कोई कार्यवाही न की गई, तो केरल से नारियल की उपज ही समाप्त हो जायेगी । अतः क्या मन्त्री महोदय कोयाकुलम केन्द्र में हो रहे अनुसंधान कार्य को द्रुत गति प्रदान करने के लिए कोई कदम उठायेंगे ताकि बढ़ते हुये रोग को तुरन्त रोका जा सके ? मैं तो अक्सर वहां जाता रहता हूँ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हाल ही में, भारतीय अनुसंधान परिषद, फसल को हानि पहुंचाने वाले इस विषाणु रोग का पता लगाने में सफल हो गई है और इसकी रोकथाम के लिए उपाय किये जा रहे है।

बंगला देश से आई शरणार्थी गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष आश्रय स्थल और भोजन

*857. **श्री समर गुह :**

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आई शरणार्थी गर्भवती स्त्रियों तथा **जच्चाओं के** लिए विशेष **आश्रय स्थल और विशेष भोजन की** व्यवस्था करने के लिए कोई विशेष प्रबंध किये गये हैं;

(ख) क्या नवजात शिशुओं को दूध देने की व्यवस्था की जा रही है;

(ग) क्या विशेषकर बंगला देश के उपरोक्त श्रेणियों के शरणार्थियों को दूध की सप्लाई करने के लिए दूध का अधिक उत्पादन करने वाले देशों से विशेष अपील की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या बिना विलम्ब ऐसी कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री श्री बालगोविन्द वर्मा

(क) गर्भवती स्त्रियों को सामान्यतः शिविरों से सम्बद्ध या उनके आस-पास उपलब्ध अस्पतालों में प्रवेश दिया जाता है। गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं को भारतीय रेडक्रास समिति जैसे ऐच्छिक संगठनों की एजेन्सियों के माध्यम से दूध की सप्लाई की जा रही है।

(ख) शिशुओं को दूध और बालाहार दिया जा रहा है।

(ग) चूंकि वर्तमान मांग की पूर्ति के लिए विदेशी एजेन्सियों से दूध के पाउडर और बालाहार की सप्लाई आ रही है, इसलिए दूध का अधिक उत्पादन करने वाले देशों से अपील करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री समर गुह : क्या सरकार का ध्यान कल के डेट लाइन समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में कहा गया है कि 20 लाख से भी अधिक शरणार्थी बिना किसी तम्बू या तिरपाल के खुले स्थानों में रह रहे हैं और क्या यह सच है कि उनमें से कई गर्भवती मातायें और नवजात शिशु भी हैं; और क्या यह भी सच है कि वहां कई गर्भवती स्त्रियों और उनके बच्चों की असाधारण मृत्यु भी हुई है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : जैसा कि आपको मालूम ही है, इस देश में आने वाले शरणार्थियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और 28 जून तक इनकी संख्या 63,73,816 थी। उन्हें आश्रय देने का हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। इससे पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में मैं इसका विस्त्रत ब्यौरा दे चुका हूं कि हमने इसके लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को आर्डर दे दिये हैं और निदेशालय उचित कार्यवाही कर रहा है। हमें मालूम है कि ऐसी कुछ घटनायें घटी है और हम उन्हें आश्रय देने के लिए भरसक प्रयत्त कर रहे हैं। तम्बू और तिरपाल हमें देश और विदेश दोनों से प्राप्त हो रहे हैं। 28 जून तक पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 27,00 तम्बू सप्लाई किये जा चुके थे और शेष भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे। अतः सदस्य को इसकी महोदय चिन्ता नहीं करनी चाहिये।

श्री समर गुह : मत्री महोदय ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। मैंने यह पूछा था कि क्या 20 लाख शरणार्थी अभी भी तम्बूओं के बिना रह रहे हैं ? दूसरे क्या वहां खुले स्थानों पर रहने वाली गर्भवती स्त्रियों और नवजात शिशुओं की असामान्य मौते हुई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खडिलकर) : यह कहना ठीक नहीं हैं कि 20 लाख लोगों के पास आश्रय स्थान नहीं हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां कुछ कठिनाइयां अवश्य हैं। तम्बू साथ साथ लगे हुए हैं। जहां तक गर्भवती स्त्रियों आदि की मृत्यु का सम्बन्ध है, दुर्भाग्यवश वह ऐसी रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं। जिसकी जांच अभी होनी हैं। इस सदन को हम जो भी जानकारी देते हैं, पहले उसकी जांच की जाती है। मैं माननीय सदस्य महोदय से अनुरोध करुंगा कि उन्हें अपनी बात समाचार पत्रों में छपी ऐसी बतों के आधार पर नहीं कहनी चाहिये, जिसकी कि जांच अभी की जानी हो।

श्री समर गुह : मैं वहां गया हूं और यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या यह सच है कि दूध का अधिक उत्पादन करने वाले देशों, जैसे नीदरलैंडस, डैनमार्क, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि ने बंगला देश के शरणार्थियों के लिए सहानुभूति व्यक्त की है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इन देशों से अनुरोध किया है कि उन्हें सहयता में कुछ वस्तुएं भेजने की अपेक्षा, गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं के लिए दूध भेजना चाहिये ?

श्री आर. के. खडिलकर : इस प्रकार के किसी विशेष शिशु आहार के लिए अपील करने का कोई प्रश्न ही उत्पादन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही शिशुओं तथा गर्भवती माताओं के लिए अपेक्षित आहार की उपयुक्त मात्रा भेज दी है और अभी उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है।

श्री समर गुह : मैं दूध के पाउडर की बात कर रहा हूं। वह शिशु आहार की बात कर रहे हैं।

श्री. आर. के. खडिलकर : दूध का पाउडर भी उन्होंने भेजा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेल भाड़ा बढ़ने का तैयार इस्पात के मूल्य तथा लौह और मैंगनीज अयस्कों के निर्यात के मूल्य पर प्रभाव

***842 श्री त्रिदिब चौधरी :**

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई निश्चित अनुमान लगाया है कि रेल भाड़े की दरों के बढ़ने का तैयार इस्पात के मूल्य पर तथा लौह और मैंगनीज अयस्कों के निर्यात के मूल्य पर प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो अयस्कों पर रेलभाड़े में वृद्धि से विश्व मंडी में भारतीय मैंगनीज तथा लौह अयस्कों की प्रतियोगी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) :

(क) जी, नहीं। अस्थायी तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि रेल भाड़े में वृद्धि से तैयार इस्पात, लौह खनिज तथा मैंगनीज खनिज के मूल्यों पर क्रमश: लगभग 8.00 रुपये, 1.75 रुपये तथा 1.75 रुपये प्रति टन का प्रभाव पड़ेगा।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लोह खनिज तथा मैंगनीज खनिज की बड़ी होड़ को देखते हुए यह संभव है कि इस प्रभाव को बिक्री से हुई अधिक आय से पूरा न किया जा सके।

भूमि को वन क्षेत्र में परिवर्तित करने के बारे में प्रगति

846 : श्री भान सिंह भौरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुल भूमि क्षेत्र के एक तिहाई भाग को वन में परिवर्तित करने सम्बन्धी वन नीति, 1952 के अन्तर्गत, जिस क्षेत्र को वन में परिवर्तित किया जाना था, उसे अभी तक वन में परिवर्तित नहीं किया गया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राज्यों ने अब तक राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा कर लिया है; और

(ग) क्या वनों को बढ़ाने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का कार्य लक्ष्य के अनुसार नहीं चल रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) :

(क) तथा (ख) : सन् 1952 के राष्ट्रीय बन नीति प्रस्ताव में सम्पूर्ण देश के भू क्षेत्र का एक तिहाई भाग वनों के अन्तर्गत रखने का निश्चय किया गया था। किन्तु, सम्बन्धित राज्य सरकारों के लिये इस सम्बन्ध में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। संविधान की सातवीं अनुसूची में वन राज्य सरकारों का विषय है। असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा संघ राज्य क्षेत्र में अदमान और निकोबार द्वीप--समूह आदि कुछ राज्यों में वन क्षेत्र संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल भू क्षेत्र का क्रमश: 37.6, 38.8, 38.7, 43.3, तथा 79.3, प्रतिशत है। अन्य राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों जहां कि वन क्षेत्र कम हैं, वहां सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अधिकाधिक क्षेत्रों को वनों के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न किया जा रहा हैं। नदी घाटी योंजनाओं, पारेषण लाइनों, उद्योगों की स्थापना, कृषि तथा अन्य स्थायी वैकल्पिक उपयोग के कार्यो के लिये 18. 40 लाख हैक्टार वन भूमि निर्मुक्त करने के उपरान्त भी 1968-69 में देश का कुल वन क्षेत्र 734.40 लाख हैक्टार से बढ़ कर क्रमश: 752.70 लाख हैक्टार तक पहुच गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्रमिकों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल में मुठभेड़

***852. श्री विश्वनाथ झुन्झुनवाला :**

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के श्रमिकों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के बीच पहली जून, 1971 को मुठभेड़ हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो झगड़े के क्या कारण थे; और

(ग) कितने व्यक्ति घायल हुए तथा काम रुकने के कारण उत्पादन में कितनी क्षति हुई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम) : (क) जी, हां ।

(ख) 1 जून, 1971 को कारखाने के 'ए' पाली के कुछ श्रमिकों ने निर्धारित समय से आधा घंटा पहले अर्थात् लगभग 1–30 अपराह्न गेट संख्या 3 से बाहर निकलने की कोशिश की । ड्यूटी पर तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने उन्हें कारखाने से बाहर जाने से रोका । इस कारण आपस में कहा सुनी हो गयी जिसमें और श्रमिक भी शामिल हो गये । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर पत्थर फेंके गये और मुठभेड़ हो गयी । इसी प्रकार की एक घटना 2 जून, 1971 को तमला गेट पर हुई ।

(ग) 2 जून 1971 की घटनाओं में कुल 67 व्यक्ति घायल हुए जिनमें 35 कर्मचारी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के थे तथा 32 श्रमिक थे । इन घटनाओं के फलस्वरूप 9,527 टन विक्रेय उत्पादों तथा पहियों के 76 सेटों के उत्पादन की हानि होने का अनुमान है ।

लौह अयस्क सम्बन्धी स्वामित्व

*** 853. श्री पी० के० देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्ही राज्य सरकारों ने सरकार से एक रूपया प्रति टन के हिसाब से लौह अयस्क के स्वामित्व में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

पशुओं के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम

*** 854. श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया हैं;

(ख) क्या कृषि मंत्रालय ने इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ पूर्वपरामर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारें की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) "पशुओं के लिए परिवार नियोजन" हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है । अलाभ कर पशुओं की वृद्धि को सीमित करने के उद्देश्य से निकृष्ट नर पशुओं का नपुंसकीकरण विभिन्न पशु विकास कार्यक्रमों तथा आदर्श ग्राम योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों में शुरू की गई नियमित गतिविधियों में से एक है ।

(ख) तथा (ग) "पशुओं के लिए परिवार नियोजन" के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई विशेष परामर्श नहीं किए गए हैं। फिर भी, अच्छी किस्म के प्रजनन पशुओं को उत्पत्ति के विषय मे और अलाभदायक पशुओं की वृद्धि को सीमित करने के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया है।

Survey for Underground Water in Rajasthan

*856. **Shri Brijraj Singh(Kotah):** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether certain water reservoirs have recently been located in Rajasthan as a a result of survey undertaken for uuderground water;

(b) if so, in which district; and

(c) the further steps being taken to utilise these sources ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sber Singh): (a) Yes. Three potential groundwater reservoirs have been delineated and assessed in Western Rajasthan by the Central Groundwater Board during the course of exploratory programme undertaken by it with the assistance of United Nation's Development Programme (Special Fund).

(b) The groundwater reservoirs have been located in the following areas :

(i) 335.2 sq. kms. tract in Lathi-Chandhan Bhairwa area in Jaisalmer district.

(ii) 161 sq. kms. in Borunda area of Jodhpur district.

(iii) 76 sq. kms. in Doli-Jhanwar-Pal area of Jodhpur district.

(c) The State Government of Rajasthan have been apprised of results of the surveys undertaken by the Central Groundwater Board, and it is for them to undertake development of the groundwater resources of these areas keeping in view the results of this scientific investigation.

कृषकों को सस्ते मूल्य पर ट्रैक्टरों की सप्लाई

*858. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषकों को सस्ते मूल्य पर ट्रैक्टर देने की कोई योजना तैयार की है : और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

लोह--छड़ों का वितरण

*859. **श्री मुल्की राज सैनी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण में प्रयोग की जाने वाली लौह–छड़ें जन–सामान्य को उचित दरों पर उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या लौह-छड़ों का वितरण करने में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा पक्षपात किया जा रहा है; और

(ग) लौह–छड़ों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) भवन निर्माण के लिए इस्पात मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डों से विनियमित मूल्य पर दिया जाता है। स्टाकयार्डों द्वारा प्राप्त छड़, गोल छड़ इत्यादि का 30% इस प्रयोजन के लिए अलग रख दिया जाता है। इस वर्ष 1 मई से बिलेट पुर्नवेल्लकों के उत्पादन का कुछ भाग भी इन स्टाकयार्डों को दिया जाएगा। इस माल का 30% भी भवन निर्माण के लिए दिया जाएगा। इससे उपलब्धि बढ़ जाएगी।

(ख) और (ग) : पक्षपात का कोई विशिष्ट मामला इस मन्त्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। फिर भी, अब लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले जा चुके हैं जिनका एक काम स्टाकयार्डों द्वारा निर्धारित प्रणाली तथा मार्ग–दर्शी अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करना है।

उर्वरकों की कमी

***860. श्री वीरेन्द्रसिंह राव** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे उर्वरकों की कमी है; और (ख) इस समय देश में उर्वरकों की प्रति एकड़ खपत कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) नाईट्रोजन, फास्फेट और पोटाश की कोई कमी नहीं है, क्योंकि देशीय उत्पादन और आयोजित आयात को मिलाकर अनुमानित उपलब्धता राज्यों की 1971–72 की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है।

(लाख मीटरी टनों में)

	एन	पी	के
मांग	19.34	7.32	3.90
उपलब्धता	23.25	8.13	4.22

परन्तु, खरीफ, 1971 में कुछ क्षेत्रों में कुछ उत्पादों अर्थात् अमोनियम सल्फेट, केल्शियम अमोनियम नाईट्रेट तथा डाय अमोनियम फास्फेट की कमी रही है। खरीफ फसल के लिये यूरिया, सुपर फास्फेट और अन्य उर्वरक सस्य-विज्ञान तथा आर्थिक दृष्टि से काफी उपयुक्त हैं। आशा है आयात द्वारा रबी 1971–72 के लिये अमोनियम सल्फेट, केल्शियम अमोनियम नाईट्रेट और डाय अमोनियम फास्फेट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जायेगी।

(ख) देश में 1970-71 के दौरान उर्वरकों की प्रति हैक्टार औसत खपत 12.9 किलोग्राम पोषाहार प्रति हैक्टार थी।

औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 से छूट प्राप्त कारखाना

***861. डा० जी० एस० मेलकोटे :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 के प्रवर्तन से कुछ कारखानों को छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की छूट कितने कारखानों को दी गई है और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) और (ख) : केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के प्रवर्तन से कारखानों को छूट नहीं दी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, जिनमें कारखानें भी शामिल हैं, अधिनियम के क्षेत्र से छट दी है। इन प्रतिष्ठानों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन प्रतिष्ठानों को इस आधार पर छूट दी गई है कि इन प्रतिष्ठानों में श्रमिकों पर मूल और पूरक नियम लागू होते हैं या औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में उनके समुचित सेवा नियम हैं।

विवरण

(1) सभी मुख्य पत्तन, जिनमें उनके अपने रेलवेज भी शामिल हैं।

(2) भारत सरकार के मुद्रणालय।

(3) रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय के नियन्त्रणाधीन व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में पुनः स्थापन प्रशिक्षण योजनाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रतिष्ठान।

(4) मानचित्र उत्पादन और मुद्रण कार्यालय जो हाथीबार्कले लिथो आफिस और फोटो-लिथो आफिस, देहरादून तथा फोटोलिथो आफिस, कलकत्ता के नाम से जाने जाते हैं।

(5) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण।

(6) हीरा कुण्ड स्थित यान्त्रिक कर्मशाला।

(7) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और इन्टेग्रल कोच फैक्टरी सहित प्रादेशिक रेलवेज के औद्योगिक प्रतिष्ठान।

(8) भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इजतनगर। मुक्तेश्वर।

मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप

***862. श्री महाराजा मार्तण्ड सिंह :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी (ए० ग्रेड) के चूना पत्थर के पर्याप्त निक्षेप हैं जिससे कि वहां सीमेंट के कारखानों की स्थापना की जा सकती है ;

(ख) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्था ने बेला में (रीवा नगर के निकट) और रीवा जिले के आसपास के प्रदेश में बड़ी मात्रा में चूना पत्थर के निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां तो इन निक्षेपों का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहनकुमार मंगलम्) : (क) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश के रेवा, सतना, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर, दुर्ग आदि जिलों में सीमेन्ट ग्रेड चूना पत्थर के पर्याप्त निक्षेप अवस्थापित किए गए हैं। उपलभ्य राशियों का अनुमान लगभग 125 करोड़ टन है। देश में मध्य प्रदेश पहले ही अधिक सीमेन्ट उत्पादक राज्यों में है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा बेला और वनिकुइयन एवं नौबस्ता खण्डों के नजदीक फ्लेक्स ग्रेड चूना पत्थर के लगभग 28.1 करोड़ टन और सीमेन्ट ग्रेड चूना पत्थर के 8·2 करोड़ टन अवस्थापित किए गए हैं।

(ग) मध्य प्रदेश में खनिज चूना पत्थर, राज्य में विद्यमान सीमेन्ट संयंत्रों और हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड के भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों की अपेक्षाओं को सम्पोषित कर रहा है।

रेवा और सतना जिलों के भागों में 590 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जो कि पहले इस्पात संयत्रों के लिए आरक्षित किया गया था अब उसे अनारक्षित कर दिया गया है और वह अब सीमेन्ट उद्योग द्वारा समुपयोजन के लिए उपलब्ध है।

अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ द्वारा मुख्य मंत्रियों के 1971 के सम्मेलन को दिया गया ज्ञापन।

***863. श्री कृष्णचन्द्र पांण्डे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ ने अप्रैल, 1971 में दिल्ली में हुए मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य मांगें की गई थीं और प्रत्येक मांग पर मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में दी गई मांगों को बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। 17 अप्रैल, 1971 को नई दिल्ली में हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन केवल 1971-72 मौसम के लिए रबी खाद्यान्नों की मूल्य-नीति पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया था। ज्ञापन में कही गई बातों को सम्मेलन की कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था। तथापि, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने महाराष्ट्र के सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में गेहूं और गेहूं के पदार्थों के लाने-लेजाने पर से प्रतिबंध हटाने संबंधी प्रश्न को अवश्य ही उठाया था।

विवरण

17 अप्रैल, 1971 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ द्वारा ज्ञापन में की गई मांगें इस प्रकार हैं :—

1. उन राज्यों में जहां अब भी मोटे अनाजों के संचलन पर प्रतिबध लगे हुए हैं उन्हें वहां से उठा लेना चाहिए,

2. महाराष्ट्र में ज्वार की एकाधिकार अधिप्राप्ति की प्रणाली को समाप्त कर देना चाहिए।

3. बम्बई, कलकत्ता और आशनसोल-दुर्गापुर औद्योगिक कम्पलेक्स में सांविधिक राशन व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए।

4. चावल के सचलन पर लगे प्रतिबंधों को उठा लेना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो समस्त देश को चार बड़े चावल-क्षेत्रों में बांट देना चाहिए।

वनस्पति घी के मूल्यों में बार-बार की जाने वाली वृद्धि

***864. श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति तेल के मूल्यों में पिछले तीन वर्षों में कई बार वृद्धि की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में बार-बार ऐसी वृद्धि करने के क्या कारण हैं और वनस्पति तेलों के रक्षित भण्डार का वनस्पति तेल के मूल्यों पर क्या असर पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रति वर्ष औसतन 4-5 बार वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि की गई थी। उसी अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष उसके मूल्यों में 3-4 बार कमी भी की गई थी।

(ख) मूल्यों में ये संशोधन वनस्पति के उत्पादन में प्रयोग होने वाले देशी तेलों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव और अनुमेय स्तर पर सस्ते आयातित तेलों के प्रयोग के कारण किए गए थे। फिलहाल, वनस्पति तेल का बफर स्टाक तैयार करने का कोई विचार नहीं है।

भारतीय निर्माताओं से वस्तुएं खरीदना।

***865. श्री राजदेव सिंह :** क्या पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय निर्माताओं से अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने की सभी संभावनाओं की खोज की है; और

(ख) यदि हां, तो इण्डियन सप्लाई मिशन लन्दन। वाशिंगटन को 27,638 वस्तुओं के क्रयादेश देना क्यों आवश्यक हुआ जब कि इनका उत्पादन देश में हो सकता था ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) सरकार, भारतीय निर्माताओं से अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने की सम्भावनाओं की निरन्तर खोज कर रही है, और आयात केवल तभी किया जाता है जब वैसा करना अनिवार्य हो।

(ख) जिन मदों का आयात किया जाना है, उनके बारे में पहले तकनीकी विकास महानिदेशालय से स्वदेशी उपलब्धता की दृष्टि से मंजूरी लेनी होती है। जिन 27,638 मदों के

मांगपत्रों को भारत पूर्ति मिशन लंदन । वाशिंगटन को हस्तांतरित किया गया था, उनमें से 26,080 मदें, मूल रूप से विदेशों से प्राप्त हुई मशीनों और उपकरणों के फालतू हिस्से-पुर्जे के रूप में थीं और 1558 मदें ऐसी मशीनों और अन्य सामान के रूप में थीं जो स्वदेश में उपलब्ध नहीं थीं ।

इण्डियन आयरन एन्ड स्टील वर्क्स बर्नपुर में कोक ओवन बैटरियों का बन्द होना

*866. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, बर्नपुर में दो कोक ओवन बैटरियों (संख्या 5 और 6) वर्ष 1967 से बन्द पड़ी हैं;

(ख) इतनी लम्बी अवधि से इनके बन्द पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बाहरी स्रोतों से खरीद कर अपनी कोयले सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है;

(घ) बन्द पड़ी हुई बैटरियों को आवश्यक मरम्मत के बाद फिर से चालू न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या प्रबन्धकों ने बन्द पड़ी बैटरियों के श्रमिकों को फालतू घोषित करने का निश्चय किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमार मंगलम्) : (क) से (ङ) : मैसर्स इण्डियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स ने सूचित किया है कि उनकी कोक ओवर बैटरी नं० 5 और 6 क्रमशः 41 और 31 साल पुरानी है और ये बैटरियां नवम्बर 1967 से काम नहीं कर रहीं हैं क्योंकि उस समय फर्नेस कोक का स्टाक बहुत अधिक था और चूंकि इसका कोई निकास नहीं था इसलिए स्टाक रखने की जगह भरी पड़ी थी ।

इन भट्टियों के पुरानी होने के कारण इन्हें अभी दोबारा चालू नहीं किया गया है । धमन भट्टियों की कोक की समस्त आवश्यकता दूसरी तीन चालू बैटरियों से पूरी की जा रही है । बैटरी नं० 5 और 6 के कर्मचारियों को दूसरे यूनिटों में काम दे दिया गया है । इण्डियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स बाहर से कोक नहीं खरीद रही है ।

चौथी योजना की अवधि में सहकारी संयुक्त कृषि के अन्तर्गत लाये जाने वाले क्षेत्र तथा वित्तीय लक्ष्य

*867. **श्री बी० एस० मूर्ति :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सहकारी संयुक्त कृषि के अन्तर्गत लाये जाने वाले क्षेत्र सम्बन्धी तथा वित्तीय लक्ष्य क्या हैं;

(ख) इसमें अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई; और

(ग) सहकारी संयुक्त कृषि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार देने के लिए यह योजना कहां सहायक तक सिद्ध हुई है ।

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) चौथी योजना अवधि में देश में सहकारी संयुक्त-खेती समितियां गठित करने का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। चौथी पंच वर्षीय योजना में वर्तमान कमजोर सहकारी खेती समितियों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया है; नई समितियां केवल सुसम्बद्ध क्षेत्रों में ही गठित की जानी हैं, यदि वहां विकास के लिए सम्भाव्यता है ।

(ख) 30 जून, 1969 को देश में 5277 संयुक्त खेती सहकारी समितियां थीं। इन समितियों की काश्त में कुल 1.79 लाख हेक्टेयर भूमि थी और इन सहकारी समितियों द्वारा 1968–69 में कुल 6.59 करोड़ रु० के मूल्य की उपज पैदा की गई थी ।

(ग) 30 जून, 1969 को संयुक्त खेती समितियों के कुल 1.19 लाख सदस्य थे; इनमें से 0.88 लाख काम करने वाले सदस्य थे जिनमें 0.54 लाख वे सदस्य शामिल हैं, जो क्षेत्र कार्यों में पूर्णकालिक रूप में लगे हुए थे ।

उत्तर प्रदेश की मण्डियों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं का न उठाया जाना ।

***868. श्रीराम सेवक चौधरी :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1971 में उत्तर प्रदेश की मण्डियों में गेहूं की भारी मात्रा में आमद हुई थी और भारतीय खाद्य निगम के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा माल की कुछ खरीद नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना से उत्तर प्रदेश के किसान लाभ नहीं उठा सके; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी. शिन्दे) : (क) से (ग) : यह सच है कि उत्तर प्रदेश की मण्डियों में मई, 1971 में गेहूँ की भारी तथा अभूतपूर्व आमद हुई थी। भारी आमद से अधिप्राप्ति के लिए किए गए प्रबन्धों से प्रारम्भ में अवश्य ही विघ्न पड़ा था और इससे मंडियों में जमाव बोरियों की कमी, आदि जैसी कठिनाइयां पैदा हो गई थी। उच्चतम स्तर पर इन समस्याओं की समीक्षा की गई थी और इस स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल पग उठाये गए ।

2. उत्तर प्रदेश में निगम को प्रशासनिक मशीनरी को अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किया गया था। बोरियां भेजने और धनराशि सुलभ करने के लिए प्रबन्ध किए गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रेल द्वारा संचलन करने के अलावा, अधिप्राप्ति क्षेत्रों से डिपों को सड़क से लम्बी दूरी पर गेहूं भेजने के भी प्रबन्ध किए गए थे ताकि मंडियों में जमाव कम किया जा सके। राज्य सरकार की एजेन्सियों के साथ निकट समन्वय स्थापित किया गया था। अधिप्राप्ति कार्यों का समन्वय करने के लिए कलक्टर की अध्यक्षता में लोकप्रिय समितियां स्थापित की गयी थीं। असामयिक और बेमोसमी वर्षा से गेहूँ की क्षति होने के कारण किसानों

के संकट को दूर करने के लिए निर्दिष्टियों में तुरन्त और उपयुक्त ढील दी गयी। वर्षा से प्रभावित गेहूँ की खरीदारी भी शीघ्र आरम्भ की गयी थी। इसके परिणाम स्वरूप निगम मई 1971 के दौरान लगभग 3,81,000 मीटरी टन गेहूँ की खरीदारी करने में समर्थ हुआ था जब कि गत वर्ष की उसी अवधि में 1,14,000 मीटरी टन गेहूँ खरीदा गया था। जून मास के दौरान, अधिप्राप्ति कार्य अभी भी चल रहा है, लगभग 8 लाख मीटरी टन खाद्यान्न खरीदे जा चुके हैं जब कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल लक्ष्य 6,50,000 मीटरी टन था। भारतीय खाद्य निगम सहकारी समितियों की सहायता से मूल्य सहाय्य अधिप्राप्ति कर किसानों के हितों की सुरक्षा करने में कुल मिला कर सफल हुआ हैं।

इस्पात के मूल्य में वृद्धि

***869. श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस्पात के मूल्य में वृद्धि करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि, हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान और इस्पात मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तमिलनाडु और मैसूर में ऐस्बेस्टास के निक्षेप

***870. श्री जी० भुवाराहन :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विशेषज्ञों द्वारा भूतकाल में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु और मैसूर राज्यों के मध्य स्थित थिमवम वनो में ऐस्बेस्टास अयस्क आदि के निक्षेप बड़ी मात्रा में पाये गये हैं;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं। तमिलनाडु के थिमवान जंगलों में एस्बेस्टास के कोई भी निक्षेप नहीं बताए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

पुनर्वास मंत्रालय द्वारा मकानों और दुकानों के स्वामित्व का दिल्ली नगर निगम। दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाना

3565. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दिये गये मकानों और दुकानों के स्वामित्व को दिल्ली नगर निगम या दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्पत्ति का मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : केवल एक सम्पत्ति जिसके स्वामित्व का हस्तान्तरण निगम को करना शेष है वह लाजपत राय मार्केट का ऊपरी ढांचा है जो कि पुनर्वास विभाग के विचाराधीन है। स्वामित्व के हस्तान्तरण के प्रश्न के साथ-साथ लागत की वसूली की पद्धति पर भी विचार किया जा रहा है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रमों का मूल्यांकन

3566. श्री तेजासिंह स्वतंत्र : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने वर्ष 1967 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त मूल्यांकन से सरकार को आयोजन में सहायता मिली है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शेरसिंह : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) चौथी योजना में ग्राम निर्माण कार्यक्रम और ग्राम रोजगार की त्वरित योजना जैसे ग्राम रोजगार कार्यक्रमों को तैयार करने में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों पर ध्यान दिया गया है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की मूल्यांकन सम्बन्धी रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें तथा निष्कर्ष (1967)।

1. तीसरी योजना के 150.00 करोड़ रु० के परिव्यय के मुकाबले में ग्रामीण जन-शक्ति कार्यक्रम के लिए केवल 19 करोड़ रु० की राशि दी गई थी। परिणामस्वरूप राज्य सरकारें परियोजनाओं का व्यवस्थित ढंग से आयोजन तथा कार्यान्वयन नहीं कर सकीं। राज्य सरकारों को एक निश्चित अवधि में किए जाने वाले कार्यक्रम की मात्रा का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे कार्यक्रम को कारगर ढंग से कार्यान्वित करने की स्थिति में हो सकें।

2. कुछ क्षेत्रों का चुनाव चयन मानक के अनुसार हुआ प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि मद्रास, केरल, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में उत्पादी योजनाएं सर्वाधिक थीं, तथापि योजनाओं का चयन कभी-कभी उनके कार्यान्वयन की संभाव्यताओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना किया गया था। कुछ राज्यों में लघु सिंचाई योजनाओं की प्रगति में या तो उनकी तात्कालिक व्यवहार्यता की ओर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण या प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अनभ्यता के कारण रुकावट आई थी। कुछ क्षेत्रों में एक अन्य समस्या यह देखी

गई थी कि सम्बन्धित तकनीकी विभागों के बीच उपयुक्त समन्वय तथा सक्रिय सहभागिता का अभाव था।

3. जहां तक योजनाओं के कार्यान्वयन तथा पर्यवेक्षण का सम्बन्ध है, अधिकांश क्षेत्रों में पंचायतों का सहयोग संतोषजनक बताया गया। तथापि, योजनाओं के आयोजन तथा चयन में उनके सहयोग की सूचना केवल बाबुलगांव (महाराष्ट्र), कुनिहार (हि० प्र०), घर्मगढ़ (उड़ीसा) और गन्नावरम (आंन्ध्र प्रदेश) से मिली है।

4. इस कार्यक्रम में श्रमिक सहकारी समितियों के लिए जो भूमिका रखी गई थी वह किसी कारण से संतोषजनक नहीं रही है। या तो वे गठित ही नहीं की गई थीं या जहां वे गठित की गई थीं वहां उनके माध्यम से कोई ग्राम निर्माण कार्यक्रम नहीं किया गया। उनकी अनिश्चित क्षमता को देखते हुए नई श्रमिक सहकारी समितियों के गठन की गति धीमी रखी जाए। कम से कम, इन संस्थाओं की भूमिका के बारे में पर्याप्त नम्यता होनी चाहिए।

5. चुने हुए श्रमिकों से इकट्ठे किए गए आंकड़ों से पता चला है कि इस परियोजना में जुलाई 1961 से अप्रेल 1962 तक 33 दिनों का तथा 1963 में 32 दिनों का औसतन रोजगार रहा। 1962 में यह औसत और भी कम थी, अर्थात 17 दिन। यदि परियोजना क्षेत्र में कार्य की गति एवं रोजगार के सृजन को व्यवस्थित रूप देना हो, तो प्रशासनिक तथा कार्यकारी उपायों तथा कार्यविधियों मे पर्याप्त मात्रा में आशोधन करने तथा उन्हें सरल तथा कारगर बनाने की आवश्यकता होगी। सफल आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए अन्य पूर्वापेक्षित बातें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना और उपायों, नियमावलियों तथा कार्यविधियों में परिवर्तन करना है।

6. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए जाने वाले क्षेत्रों का चयन बेरोजगारी 'तथा आंशिक रोजगारी के नियमित सर्वेक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। इस सर्वेक्षण में अधिकतम बेरोजबारी तथा आंशिक रोजगारी की अवधियों के बारे में ब्यौरा उपलब्ध करना चाहिए और तदनुसार निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समय रखना चाहिए। इस प्रकार चुने गए क्षेत्रों के लिए निर्माण कार्य की एक "मास्टर प्लान" तैयार की जानी चाहिए। यह "मास्टर प्लान" पूर्णतया विस्तृत होनी चाहिए और उसका कार्यक्षेत्र केवल ग्रामीण जनशक्ति परियोजनाओं के उद्देश्यों और उसके अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली धनराशि द्वारा सीमित नहीं होना चाहिए। निर्माण कार्य की योजना क्षेत्र विकास की दृष्टि से बनाई जा सकती है। "मास्टर प्लान" बनाने से थोड़ी-थोड़ी तकनीकी स्वीकृतियां देने की समस्या दूर हो जाएगी और दूसरी ओर वह ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आरम्भ की गई योजनाओं का दूसरे कार्यक्रमों से सामंजस्य स्थापित करेगी।

7. चुने हुए श्रमिकों में लगभग 31 से 37 प्रतिशत तक कृषक थे और लगभग 31 से 44 प्रतिशत तक कृषि श्रमिक थे।

8. चुने हुए अधिकांश श्रमिक काम के स्थान से दो मील के भीतर स्थित गांवों से आए थे। अधिकांश श्रमिक परियोजना में दिन भर काम करने के बाद अपने गांव वापस चले जाते थे। तथापि, कुछ श्रमिक या तो काम के स्थान पर ही या अपने निवास स्थान के गांव के अतिरिक्त पास के गांव में रहते थे। यह पाया गया कि काम के लिए चुने गए स्थान पर्याप्त उपयुक्त थे।

9. मुख्य रूप से चुने हुए श्रमिकों को परियोजना के बाहर के स्रोतों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध किया गया था और सम्पूर्ण संदर्भित अवधि तथा साथ ही अलग-अलग रूप से व्यस्त

तथा मन्दी की अवधियों में ऐसा ही किया गया था। ग्राम निर्माण कार्यक्रम से प्रति श्रमिक 100 श्रम दिवस का रोजगार देने की जो आशा थी, वह मुश्किल से ही पूरी हो पाई है। इन वर्षों में इस बारे में स्थिति में सुधार हुआ प्रतीत नहीं होता है।

10. चुने हुए श्रमिकों में से लगभग 64 प्रतिशत परियोजना में काम करने के लिए आए थे, क्योंकि दूसरा कोई काम उपलब्ध नहीं था। लगभग 11 प्रतिशत ने मजदूरी को देखते हुए परियोजना का काम पसन्द किया था जबकि अन्य 8 प्रतिशत ने महसूस किया था कि बाहर के काम की तुलना में इन परियोजनाओं में मजदूरी का भुगतान अपेक्षाकृत नियमित रूप से होता था। यह पाया गया कि चुने गए प्रत्यार्थियों में से 8 प्रतिशत द्वारा दिया जाने वाला अन्य महत्वपूर्ण कारण परियोजनाओं का स्थान है।

राष्ट्रीय बीज निगम का कार्यकरण

3568. श्री रोबिन ककोटी : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा वर्ष 1969 तथा 1970 में वर्षवार तथा राज्यवार कुल कितनी मात्रा में बीज बैचे गये तथा उक्त वर्षों में इसे कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) उक्त निगम को गत तीन वर्षों में हुई हानि की पूर्ति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा उसे वर्षवार कुल कितना उपदान, अनुदान ऋण दिया गया।

(ग) उक्त निगम के अधीन चल रहे बीज फार्मों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) उन फार्मों में वर्ष 1969 तथा 1970 में वर्ष वार बीजों का उत्पादन कुल कितना हुआ; और

(ङ) इन फार्मों को वर्ष 1969 तथा 1970 में वर्षवार कितनी हानि अथवा लाभ हुआ ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1969-70 में 2,52,78,125रुपये के 77,600 क्विन्टल प्रमाणित बीज और 43,59,667 रुपये के 14,696 क्विन्टल मूल बीज बैचे। निगम का कार्यकारी वर्ष पहली जून से 31 मई तक है। पहली जून, 1970 से 31 मई, 1971 तक निगम के लेखों की अभी तक लेखा परीक्षा नहीं हुई। फिर भी, अनुमान है कि वर्ष में बेचे गए प्रमाणित बीजों की कुल मात्रा लगभग एक लाख क्विन्टल होगी और वसूल किया गया बिक्री मूल्य लगभग 350 लाख रुपये होगा। निगम ने भी 58 लाख के लगभग 16,418 क्विन्टल मूल बीज बैचे। राज्यवार बैचे गए बीजों की मात्रा के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बीज प्रादेशिक कार्यालयों द्वारा बैचे जाते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में एक राज्य से अधिक राज्य आते हैं। दिल्ली में भी एक केन्द्रीय बिक्री केन्द्र है जहां से बीज देश के सभी किसानों को बैचे जाते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1968-69 में 25,05,447 रुपये की हानि उठाई और वर्ष 1969-70 में उसे 26,370 रुपये का लाभ हुआ।

(ख) गत तीन वर्षों में निगम द्वारा उठाई गई किसी भी हानि को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कोई राज सहायता या अनुदान या ऋण नहीं दिया है। 1969-70 को समाप्त होने वाले गत वर्षों में निगम को केवल वर्ष 1968-69 में ही हानि उठानी पड़ी।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम के प्रत्यक्ष प्रबन्ध के अन्तर्गत तीन बीज फार्म हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1.	हेमपुर	उत्तर प्रदेश
2.	नन्दीकोटकुर	आन्ध्र प्रदेश
3.	यमुनानगर	हरियाणा

(घ) निगम ने इन तीन फार्मों में लिखित मात्रा में बीजों का उत्पादन किया:—

(क्विन्टलों में)

		1969–70	1970–71
1.	हेमपुर	6,129.73	7926.79
2.	नन्दीकोटकुर	1,198.27	694.90
3.	यमुनानगर	—	3527.17

यमुनानगर फार्म केवल खरीफ 1970 में ही स्थापित किया गया था।

(ङ) फार्मों में वर्ष 1968-69 में 3,73,724.30 रु० की हानि उठाई और वर्ष 1969-70 में 5,36,818.02 रु० का लाभ हुआ। निगम के वर्ष 1970-71 के लेखों की, जिसमें फार्मों के लेखे भी सम्मिलित हैं। इस समय लेखा-परीक्षा की जा रही है।

विदेशी सहयोग से स्थापित बीज फार्म

3569. श्री रोबिन ककोटी : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में विदेशी सहयोग तथा अनुदान से राज्यवार कितने बीज फार्म स्थापित किये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : भारत राजकीय फार्म निगम ने सोवियत संघ द्वारा उपहार तथा वाणिज्यिक आधार पर दिये गये उपकरणों से 6 केन्द्रीय राजकीय फार्म स्थापित किये हैं। इन फार्मों में से दो फार्मों की स्थापना राजस्थान में और एक-एक फार्म की स्थापना हरियाणा, मैसूर, उड़ीसा तथा केरल में की गई है। पंजाब में भी एक फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन फार्मों की स्थापना बीजों के उत्पादन के उद्देश्य से की गई है। राज्यों में विदेशी सहयोग से स्थापित किये गये अन्य फार्मों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चावल के आंवटन के लिये असम सरकार का अनुरोध

3570. श्री रोबिन ककोटी : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने असम में वर्तमान खाद्य स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्र सरकार से चावल का आवंटन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) राज्य सरकार ने चावल की कितनी मात्रा (टनों में) मांगी है तथा वस्तुतः कितनी मात्रा (टनों में) आवंटित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) असम सरकार ने अपनी चावल सम्बन्धी आवश्यकताओं का पहले अनुमान लगाया था और उसी अनुमान के आधार पर यह बताया गया था कि उन्हें 1971 के पूरे वर्ष के लिए

केन्द्रीय भण्डार से लगभग 75,000 मी० टन चावल की आवश्यकता होगी। आवश्यकतानुसार, उक्त सरकार वास्तव में अपेक्षित मात्रा बतलाएगी। अब तक राज्य सरकार ने 27,000 मी० टन चावल के आवंटन की मांग की थी और वह आवंटित भी कर दिया गया है।

भारतीय खाद्य निगम की हानि अथवा लाभ

3571. श्री रोबिन ककोटी : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम को गत एक वर्ष में राज्यवार कुल कितनी राशि की हानि अथवा लाभ हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान यदि कोई हानि हुई है तो उसकी पूर्ति के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितना उपदान, अनुदान अथवा ऋण दिया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) सभी सौदों के बारे में निगम के व्यापारिक परिणामों का संकलन अखिल भारतीय आधार पर न कि राज्यवार आधार पर किया जाता है क्योंकि निगम के खरीदारी तथा बिक्री विषयकसौदे अधिकांशत: अन्तर्राज्यीय होते हैं। निगम के वर्ष 1970-71 के लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है लेकिन अस्थायी लेखों के अनुसार निगम 1.47 करोड़ रुपये के निबल लाभ की आशा करता है।

(ख) निगम को घाटे को पूरा करने के लिए कोई अनुदान या ऋण नहीं दिया जाता है। तथापि, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, भण्डारण और वितरण में निगम को हुई निबल हानि की प्रति पूर्ति सरकार द्वारा प्रतिवर्ष की जानी होती हैं। केन्द्रीय खाते में वर्ष 1970-71 की हानि अनुमानत: 8.52 करोड़ रुपये है जिसमें से अब तक अस्थायी तौर पर 5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है और वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों के प्राप्त होने पर इस राशि का अन्तिम रूप से समायोजन किया जाना है।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलाम कर्त्ताओं की नियुक्ति का कार्यकाल

3572. श्री पन्नालाल बारुपाल : क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा वर्ष 1969–71 के लिये नियुक्त नीलाम कर्त्ताओं की नियुक्ति का कार्यकाल मार्च, 1971 में समाप्त हो गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 1971 के पश्चात नये नीलाम कर्त्ताओं की नियुक्ति की गई थी;

(ग) यदि नहीं तो पुराने नीलाम कर्त्ताओं को उनके नियुक्ति के कार्यकाल के बाद भी जारी रखने के कारण हैं;

(घ) क्या स्थापित प्रक्रियानुसार नीलामी ठेके की अवधि निश्चित रूप से दो वर्ष है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1971-73 के लिये इस अवधि को घटाकर $1\frac{1}{2}$ वर्ष करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नीलामकर्त्ताओं के माध्यम से सरकारी अधिशेष सामान की बिक्री पर कर की वसूली के सम्बन्ध में विभिन्न विनिर्णय होने के कारण नई अवधि के लिए नीलामी करार मे शामिल किए जाने वाले बिक्री कर के खण्ड का पुनरीक्षण करना आवश्यक था। अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण से कि खण्ड को अन्तिम रूप देने में समय लग रहा है, यह निर्णय किया गया कि चालू नीलामी करार को 30 सितम्बर, 1971 तक बढ़ा दिया जाए।

(घ) नीलामी-करार सामान्यतया दो वर्ष की अवधि के लिए होता है, परन्तु सरकार को इस अवधि को बढ़ाने या घटाने का अधिकार प्राप्त है।

(ङ) नीलामी करार की अवधि सामान्यतया वित्तीय वर्ष के साथ ही समाप्त हो जाती है। इस प्रथा के अनुसार 1971–73 का करार भी 31 मार्च, 1973 को समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से करार की अवधि $1\frac{1}{2}$ वर्ष तक के लिए ही रह जाएगी।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलामकर्ताओं की नियुक्ति।

3573. **श्री पन्नालाल बारुपाल** : क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा वर्ष 1965–67, 1967–69 तथा 1969–71 के दौरान सेन्ट्रल रीजन में कितने नीलामकर्त्ता नियुक्त किये गये ;

(ख) क्या यह घोषणा की गई है कि वर्ष 1971–73 के दौरान नियुक्त किये जाने वाले नीलामकर्त्ताओं की संख्या, सामान्यतया नियुक्त किये जाने वाले 10 नीलामकर्त्ताओं के स्थान पर 6 होगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त विभाग में नीलाम कार्य उसी अनुपात मे कम हो गया है, और यदि नहीं, तो इस संस्था में कमी करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में नियुक्त किए गए नीलाम कर्त्ताओं की संख्या इस प्रकार रही है :—

1965–67 (ठेका 1964–66 के लिए था, और वह एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था)	—	10
1967–69	—	10
1969–71	—	8

(ख) जी हां। इस व्यवस्था के अधीन कि नीलामकर्त्ताओं की संख्या काम के परिमाण के अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

(ग) फिलहाल ऐसा समझा जाता है कि छः नीलामकर्त्ताओं से भली भांति काम चलाया जा सकता है।

पूर्ति और निपटान महानिदेसालय में नीलामकर्त्ताओ की नियुक्ति के लिये पूर्वापेक्षायें ।

3574. **श्री पन्नालाल बारुपाल :** क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलामकर्ताओं की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षायें क्या हैं ;

(ख) क्या इन नियमों का गत तीन वर्षों के दौरान कड़ाई से पालन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन नियमों में छूट देने के क्या कारण हैं तथा उन मामलों का ब्यौरा क्या है जहां इन नियमों में छूट दी गई थी ?

पूर्ति मन्त्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में नीलामकर्त्ता के रूप में नियुक्ति के लिए नीलामकर्त्ता के लिए यह आवश्यक है कि :—

(1) वह नीलामकर्त्ता के रूप में अपने पिछले अनुभव के समर्थन में समुचित प्रमाण प्रस्तुत करे ;

(2) उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो कि वह सरकारी धन को संभाल सके ।

(3) उसके पास मान्य आयकर शोधा प्रमाणपत्र हो ;

(4) उसके पास अच्छे आचरण के सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट हो; और

(5) वह कमीशन की प्रतियोगी दर प्रस्तुत करे ।

(ख) जी, हां । प्रत्येक नियुक्ति मामले के गुणावगुण के आधार पर ही की जाती है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारियों की उद्योगवार प्रति व्यक्ति आय

3575. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 से 1970 की अवधि में 200 रुपये से कम तथा 400 रुपये से कम प्रति मास वेतन पाने वाले कर्मचारियों की राज्य वार, उद्योग-वार तथा वर्षवार प्रति व्यक्ति आय कितनी रही ; और

(ख) उक्त अवधि में राज्यवार तथा उद्योगवार, उनकी कुल आय में मूल वेतन और महंगाई भत्तों तथा अन्य परिलब्धियों का कितना-कितना भाग रहा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : उपलब्ध सूचना वर्ष 1968 और 1969 सम्बन्धी संलग्न विवरणों में दी गई है । **(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 568/71)** वर्ष 1970 के सम्बन्ध में इसी प्रकार के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । यह सूचना ऐसे निर्माण उद्योगों में जो इस समय मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत आते हैं, नियोजित 400 रु० प्रति मास से कम पाने वाले श्रमिकों की राज्यवार और उद्योगवार प्रति व्यक्ति आय और इस प्रकार की आय के संघटकों के सम्बन्ध में अलग सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था की हवाई शाखा का एक फ्रांसीसी फर्म से सहयोग

3576. **श्री देवेन्द्रसिंह गरचा :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था की हवाईशाखा ने मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात तथा दक्षिणी राजस्थान के विपुल अयस्क वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिये एक फ्रांसीसी फर्म के साथ सहयोग-करार किया है।

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है: और

(ग) यह योजना कितने समय में पूरी हो जायगी ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां। संभाव्य अयस्क वाले क्षेत्रों को अवस्थापित करने के लिए देश के कतिपय भागों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा फ्रांस सरकार के संगठन अर्थात् बी० आर० जी० एम० (ब्यूरो डी रिसंचिज जियोलोजिक्स एन्ड मिनियर्स). पेरिस के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संविदा के अधीन, फ्रांसीसी संगठन द्वारा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर के 80,000 वर्ग कि० मी० के चयित क्षेत्रों को सम्मिलित करने की आशा है।

(ख) इस प्रायोजना की लागत एफ० एफ० 11 583,000 (1,56,37,050 रुपए) होगी जिसमें से भारत सरकार एफ० एफ० 9,802,650 (1,32,33,577.50) रुपये फ्रांसीसी मुद्रा में और एफ० एफ० 1,780,350 (24,03,472.50 रुपए) की अधिशेष राशि समान भारतीय रुपयों में संदाय करेगी।

(ग) प्रायोजना का 1973 के अन्त तक सम्पूरित किया जाना प्रस्तावित है। संविदा को अनुमानित कालावधि 38 महीने है जो 24-9-1970 से आरम्भ होगी।

ट्रैक्टरों की चोर बाजार में बिक्री

3577. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिकांश ट्रैक्टरों को चोर बाजारी में ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता है तथा उनको एक राज्य से, जिसको ये आवंटित किये जाते हैं, अन्य राज्यों में भेजा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की बिक्री को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सरकार को पता लगा है कि कुछ राज्यों में कुछ मामलों में कृषकों को बेचे गये ट्रैक्टरों को अन्य राज्यों के खरीदारों को काले बाजार में फिर से बैचा जा रहा हैं।

(ख) ट्रैक्टरों में सम्भव काले बाजार को समाप्त करने के लिए सरकार, राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा पर्याप्त संख्या में आयातित ट्रैक्टर उपलब्ध कर रही है। सप्लाई की स्थिति को सुधारने के लिये विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों से भी ट्रैक्टर उपहार रूप में आयात करने की मंजूरी दे दी गई है। औद्योगिक विकास मन्त्रालय ट्रैक्टरों के देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिये

कदम उठा रहा है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टरों की बिक्री और वितरण के विषय में सरकार एक नियन्त्रण आदेश जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

बिहार अलाय स्टील लिमिटेड का निर्माण

3578 **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार अलाय स्टील लिमिटेड का निर्माण-कार्यक्रम क्या है; और

(ख) उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) मेसर्स बिहार अलाय स्टील्स लि० रांची को आशा है कि पटराटू (बिहार) में उनकी मिश्र-इस्पात प्रायोजना के लिए संयंत्र तथा मशीनों की स्थापना तथा उन्हें चालू करने का काम 1973 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। 1973 की तीसरी तिमाही तक इसमें निश्चित रूप से उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है।

(ख) योजना के प्रायोजकों ने रिपोर्ट दी है कि :—

1. परामर्श प्रबन्ध तथा विदेशी सहयोग के कार्य को मार्च 1967 में अन्तिम रूप दे दिया गया था;
2. आवश्यक मशीनरी की सप्लाई के लिए देश तथा विदेश के संभारकों को आर्डर देने के लिए कार्यवाही की जा रही है;
3. आवश्यक पूंजी की व्यवस्था की जा चुकी है;
4. आवश्यक पूंजी पूरी तरह अभिदत्त है;
5. भूमि, पानी तथा बिजली की व्यवस्था कर ली गई है;
6. भूमि के नीचे की मिट्टी तथा नींव की जांच इत्यादि का काम पूरा हो चुका है;
7. कारखाने की इमारतों का निर्माण शुरू हो गया है।

बंगला देश के शरणार्थियों की अनाज की आवश्यकताओं का मूल्यांकन

3579. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बगला देश के शरणार्थियों को खिलाने के लिये खाद्यानों की आवश्यकताओं का कोई मूल्यांकन कर लिया है;

(ख) सरकार को इन शरणार्थियों के लिये खाद्यान्न सप्लाई करने का आश्वासन कितने देशों ने दिया है; और

(ग) क्या इन स्रोतों से प्राप्त सहायता से उक्त आवश्यकतायें पूर्णतया पूरी हो जायेंगी, और यदि नहीं तो सरकार का विचार इस स्थिति का किस प्रकार सामना करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी. हां।

(ख) पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए खाद्यान्नों का प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमरीका रूस, इंगलैण्ड, जापान, स्विटजरलैंड और यूरोपियन आर्थिक समुदाय के छः सदस्य राज्यों से प्राप्त हुई है।

(ग) अब तक इन साधनों द्वारा जो सहायता प्रस्तावित की गई है वह शरणार्थी जनसंख्या के खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये आवश्यकताएं, इस समय देशी स्टाक से पूरी की जा रही है।

Enactment of Legislation for imposing Partial Ban on slaughter of cow.

3580. Shri B. R. Shukla : Will the **Minister of Agriculture कृषि मन्त्री** be pleased to state the names of the States and Union Territories in which no legislation has so far been enacted to impose even Partial ban on slaughter of cow and its progeny, indicating the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : States/Union Territories in which no legislation has so far been enacted to impose ban on slaughter of cow and its progeny :

S. No.	State	S. No.	Union Territories
1.	Kerala (Also see Note 1 below)	1.	Laccadive Islands
2.	Himachal Pradesh (Also see Note 2 below)	2.	Goa, Daman & Diu.
		3.	Tripura (Also see Note)
3.	Nagaland.	4.	Manipur (3 & 4 below).
		5.	Pondicherry

Imposition of ban on cow slaughter falls within the jurisdiction of the States, The reasons why the States like Kerala, Nagaland, Laccadive and Goa, Daman & Diu have not imposed partial ban is that in these States there is no objection from the people against cow Slaughtar, and they consider it in the interest of public health.

Notes :

(1) Although no legislation has been enacted in **Kerala**, yet as per Kerala Panchayat (Slaughter Houses and Meat Stalls) Rules, 1964 no certificate for slaughter under Rule 8 in respect of cow, is granted, unless the examining authoriry for reasons to be recorded in writing is of the opinion that (a) animal is over 10 years of age and is unfit for work and breeding or (b) the animal has become permanently incapacitated for work or breeding due to injury or deformity.

(2) In **Himachal Pradesh**. Section 43 of Punjab Laws Act, 1872 has been made applicable according to which slaughter of kine cannot take place except subject to rules to be framed from time to time, either general or in any particular instance, as prescribed by the State Government. The Government of Himachal Pradesh have informed the Government of India that the religious beliefs of the people provide protection to cows. The Himachal Pradesh Government have stated that to give legal protection, the Provision of Section 43 of Punjab Laws Act, 1872, as applicable to Himachal Pradesh seem to be adequate.

(3) In **Tripura**, according to an executive order issued in the year 1296 of the Tripura Era by the Maharaja of Tripura, cow slaughter is banned.

(4) There is no legislation in **Manipur** banning cow slaughter but in pursuance of a resolution issued by the erstwhile Manipur Darbar in 1936, cattle are not slaughtered in **Manipur Valley.**

बंगला देश से आए शरणार्थियों पर व्यय

3582. श्री एस० सी० सामन्त :
श्री समर गुह :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वित्तीय वर्ष 1971–72 में बंगला देश से शरणार्थियों के आगमन से भारत सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार पड़ा है; और

(ख) बंगला देश के शरणार्थियों के खाने तथा उनके लिये अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये 1 अप्रैल, 1971 से 30 जून, 1971 तक कितना धन व्यय हुआ और उसे किस मद से पूरा किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) वित्तीय वर्ष, 1971–72 में 60 लाख शरणार्थियों के आधार पर 300 करोड रुपये के खर्च का अनुमान है।

(ख) अप्रैल से जून, 1971 के महीनों के अन्तर्गत, सीमावर्ती राज्यों को (बिहार को मिलाकर) 2085 लाख रुपये की राशि आन एकाउंट अग्रिम के रूप में दे दी गई है। खर्च की गई वास्तविक राशि का अभी तक हिसाब नहीं लगाया गया है।

त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उठाऊ सिंचाई योजना

3583. श्री बीरेन दत्त : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कोई उठाऊ सिंचाई योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां तो वर्ष 1970-71 में योजना के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : संघ क्षेत्र प्रशासन से सामग्री एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Expenditure on Development of Mines in Madhya Pradesh.

3584 **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state the expenditure proposed to be incurred by the National Mineral Development Corporation on the development of mines in Madhya Pradesh during the Fourth Plan period ?

Minister of Steel and Mines (Shri Mohan Kumara Mangalam) : Approximately Rs. 47 crores on the development of mines including Pelletisation Plant at Bailadila.

Central Assistance for Encouragement to Minor Irrigational Scheme

3585 **Dr. Laxminarain Pandey:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to encourage minor irrigational scheme and to make it more effective and useful;

(b) the amount of financial assistance or grants given to different States by the Centre separately under the said schemes during 1969-70 and 1970-71; and

(c) the names of the agencies through whom the said scheme is proposed to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Steps taken by the Government to encourage minor irrigation programme and to make it more effective and useful include : (i) giving priority to minor irrigation in allocating funds under the State Plans; (ii) mobilising additional financial resources from the institutional agencies for minor irrigation and command area development to the maximum extent possible; (iii) introducing greater sophistication in planning and execution of minor surface water irrigation projects; (iv) introducing modern methods for fast drilling of tubewells, bore wells and boring of dugwells and for lifting of water; (v) strengthening groundwater organisations in the States as well as at the Centre for looking after the expanded programmes; (vi) extending rural electrification programme for energising wells/tubewells; (vii) encouraging conjunctive use of surface and groundwater for providing more assured irrigation and encouraging multiple cropping .(viii) undertaking command area development programmes for more efficient and timely utilisation of the available irrigation water.

(b) According to the procedure in vogue, Central assistance to the State Governments is released in the form of block loans and grants for the Annual Plan as a whole and is not related to any scheme or group of schemes or head of dovelopmnt. In view of this, separate break-up of Central assistance for minor irrigation schemes is not available.

(c) Minor Irrigation schemes are generally executed by State Governments through Departments of Agriculture, Cooperation, Irrigation & Power, Panchayati Raj etc. In addition, a large number of private contractors, several voluntary agencies and also State Agro-Industries Corporations in some States provide custom service in boring and drilling of wells and tubewells to the cultivators.

फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योगों के उत्पादों का उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात

3586. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 और 1970–71 में भारत के विभिन्न राज्यों के फल तथा सब्जी परिरक्षण उद्योगों का राज्यवार वार्षिक उत्पादन कितना कितना था; और

(ख) उक्त अवधि में देश में उनकी कितनी खपत हुई और कितना निर्यात हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी॰ शिन्दे) : (क) पंचांग वर्ष 1969 के दौरान फल उत्पाद आदेश के अधीन लाइसेंसशुदा यूनिटों द्वारा फल और सब्जी उत्पादों का राज्यवार उत्पादन बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1969 के दौरान, 12,830 मी॰ टन फल और सब्जी उत्पादों का निर्यात किया गया था। देश की मंडियों में उपयोग की गई मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1969 में फलों तथा सब्जियों का राज्यवार उत्पादन

(1)	आन्ध्र प्रदेश	1,363
(2)	असम	481
(3)	बिहार	21
(4)	गुजरात	489
(5)	हरियाणा	1,041
(6)	जम्मू तथा कश्मीर	592
(7)	केरल	2,554
(8)	मध्यप्रदेश	76
(9)	महाराष्ट्र	11,501
(10)	मैसूर	4,609
(11)	नागालैण्ड	4
(12)	उड़ीसा	56
(13)	पंजाब	2,752
(14)	राजस्थान	102
(15)	तमिल नाडु	1,446
(16)	उत्तरप्रदेश	9,236
(17)	पं० बंगाल	3,941
(18)	दिल्ली	4,650
(19)	गोआ	230
(20)	हिमाचल प्रदेश	74
(21)	मनीपुर	17
(22)	त्रिपुरा	194
	जोड़	45,400

अल्युमीनियम पर विचार गोष्ठी

3587. **श्री पि० गंगादेव :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 26 मई, 1971 को हुए दो दिन के अल्युमीनियम सम्बन्धी विचार गोष्ठी में किन विषयों की चर्चा की गई;

(ख) इस विचार गोष्ठी में कितने विशेषज्ञों ने भाग लिया; और

(ग) क्या इस विचार गोष्ठी में की गई सिफारिशें अथवा प्रकट किये गये विचारों का सरकार ने अध्ययन किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान ऐलुमिनियक निगम लिमिटेड द्वारा 26 और 27 मई, 1971 को ऐलूमिनियम के बारे में आयोजित विचार–गोष्ठी में उद्योग की समस्याओं और रक्षा, रेलवे, संवेष्ठन, वास्तुकला, इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग इत्यादि में ऐलुमिनियम के प्रयोग के बारे में अनेक कागज-पत्रों का वाचन हुआ और उन पर विचार विमर्श किया गया। यद्यपि इस विचार गोष्ठी में ऐलूमिनियम उत्पादकों और उपभोक्ताओं के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, परन्तु भाग लेने वाले विशेषज्ञों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रायोजकों द्वारा गोष्ठी की सिफारिशें, सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई हैं।

मैसूर की सहकारी संस्थाओं को केन्द्रीय अनुदान

3588. श्री डी० एस० अफजलपुरकार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में वर्ष 1969–70 में सहकारी समितियों को कितना अनुदान दिया गया;

(ख) मैसूर में ऐसी सहकारी समितियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनी सन्तोषजनक ढंग से चल रही है; और

(ग) कितने मामले बकाया पड़े हैं और कितनों का निपटारा हो चुका है और उनके निपटारे में कितना समय और लगेगा ?

कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) से (ग) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्रित तथा संकलित हो जाने पर सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से लघु सिंचाई, फार्मों के कृषि यंत्रीकरण तथा भूमि समतल करने के लिए वित्त

3589. श्री एम० एम० हाशिम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था देश के विभिन्न क्षेत्रों में लघु सिंचाई, फार्मों का यन्त्रीकरण तथा भूमि को समतल बनाने के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिये तैयार हो गई है।

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था उस पर कितना ब्याज लेगी और ऋणों की अदायगी की अवधि क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था इन परियोजनाओं पर आने वाली सारी लागत देगी, यदि नहीं, तो उसके अन्य श्रोत क्या है;

(घ) उक्त क्षेत्रों अथवा परियोजनाओं के चयन की कसौटी क्या है; और

(ङ) क्या देश के अन्य भागों में भी यह सुविधाएं दी जायेंगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तथा तमिल नाडु में लघु सिंचाई, फार्म यंत्रीकरण

भूमि समतलन तथा जल निकासी की परियोजनाओं में धन लगाना स्वीकार कर लिया है। विश्व बैंक द्वारा पंजाब में भी यंत्रीकरण के लिए एक ऋण परियोजना स्वीकार कर ली गई है। महाराष्ट्र तथा मैसूर में परियोजनाओं की स्थापना के लिये बातचीत होने वाली है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं लिया जाता केवल तीन चौथाई प्रतिशत भाग सेवा प्रभार के रूप में लिया जाता है। अदायगी के लिए 50 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है जिसमें 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि भी सम्मिलित हैं।

(ग) जो नहीं। लाभनुभागियों के अतिरिक्त जो प्रयोजनानुसार विभिन्न अनुपातों में धन की अदायगी करते हैं, आर्थिक सहायता देने वाले अन्य श्रोत इस प्रकार हैं:–सहकारी बन्धक बैंक वाणिज्यिक बैंक तथा कृषि पुनर्वित्त निगम जैसी संस्थागत एजेन्सियां और राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार।

(घ) तथा (ङ) : पहले से ही कोई मान दंड नहीं निर्धारित किये जाते, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के दलों द्वारा किये गये मूल्यांकनों के अनुभव से ज्ञात हुआ है कि लागत लाभ अनुपात, आर्थिक लाभ, व्यहार्यता, ऋण देने तथा ऋणों की वसूली की एजेन्सियां, कार्यान्विति की क्षमता, मशीनरी, आदि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ पर ही निर्भर करती है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से विचार किया जाता है और इसके उपरान्त प्राथमिक प्रस्तावों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ को भेज दिया जाता है।

मनीपुर में लघु सिंचाई योजना के अधीन परियोजनाएं

3590. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य में गत तीन वर्षों में लघु सिंचाई योजना के अधीन कितनी परियोजनाएं चालू की गई;

(ख) इन परियोजनाओं से कितने एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी; और

(ग) परियोजनानुसार कितना धन व्यय किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) मणिपुर में लघु सिंचाई की 23 योजनाएं 1969–70 और 1970–71 में आरम्भ की गई है या 1971–72 में आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस अवधि में इन योजनाओं से 9.5 हजार हैकटार भूमि के लाभान्वित होने की आशा है।

(ग) परियोजनावार 1969–70 और 1970--71 के दौरान किये गये व्यय तथा 1971–72 में प्रस्तावित व्यय प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मणिपुर में लघु सिंचाई योजनायें

क्रम सं०	योजना का नाम	1969–70 में वास्तविक व्यय	1970–71 में प्रत्याशित व्यय	1971--72 में प्रस्तावित परिव्यय
1.	लूसीपट निकासी नाली योजना भाग I, II और III	0.23	0.20	0.10
2.	साना इचल थिंगल भाग I और II	0 02	0.60	0.40
3.	इटोक लघु सिंचाई योजना	0.18	0.30	0.10
4.	सउ.ायखोंग	—	0.10	—
5.	कलवा थिंगल	0.05	0.15	—
6.	वैथो गावं के नज़दीक फां[illegible] नदी पर लघु सिंचाई योजना	0.02	—	—
7.	तेरालोक	0.02	—	—
8.	खामेलोक पर वर्तमान नालियों का आशोधन	0.32	—	—
9.	मणिपुर में लघु सिंचाई योजना के लिये खोज और सर्वेक्षण	—	1.00	1.00
10.	लालीखोग का रिमोडलिंग	0.20	—	—
11.	टेडोनयांग लघु सिंचाई योजना (नहर) संशोधन	0.04	—	—
12.	लामफलपेट में उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण	0.15	0.30	—
13.	पाओविटक सहकारी फार्मिंग समिति, पाओविटक के खेतों के ईर्द-गिर्द गोल बंध निर्माण	0.60	0.05	—
14.	मन्त्रीपुखरी पर उठाऊ सिंचाई योजना	0.13	0.30	—
15.	चालो पर मोड़ बन्ध निर्माण	—	0.50	0.14
16.	घाटी क्षेत्र में लघु सिंचाई योजना	—	2.40	2.34
17.	कदनघान से योथौग (लमशांग) तक सिंगदा नदी का रिमोडलिंग	—	0.10	0.50
18.	पम्पसैट वितरण	—	0.50	1.00
19.	यावा लामजाओ पर लघु सिंचाई योजना	—	—	0.50
20.	बिशनपुर पर लघु सिंचाई योजना	—	—	0.50
21.	खोयदुम लमजाम पर बाशीखौग का रिमोडलिंग	—	—	0.30
22.	मर्कनीमनाओचिंग से वरास्ता कौथजम वौमदयार, तिद्दन सड़क तक सिंचाई नालियों का रिमोडलिंग	—	—	0.22
23.	लोकलाओं नदी का रास्ता बदलना	—	—	0.50
	योग	1.96	6.50	7.60

विदेशों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे भारतीय

3591. डा० जी० एस० मेलकोटे : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे भारतीयों की देशवार सख्या कितनी है;

(ख) क्या इन भारतीय के साथ वहां के स्थानीय श्रमिकों जैसा ही व्यवहार किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर०के० खाडिलकर) : (क) विदेशों में नियोजित भारतीय श्रमिकों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, कुछ विदेशों में भारतीय मूल की जनता के नवीनतम उपलब्ध प्राक्कलन संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) : वैस्ट इन्डीज, मलेशिया और यू० के० जैसे कुछ देशों से उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि इन देशों में जातीय मूल के आधार पर श्रमिकों की मजदूरी, आदि के मामलों में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता ।

विवरण

विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीय मूल की जनता

देश	वर्ष, जिसके सम्बन्ध में सूचना दी गई है	भारतीय मूल की जनता
1	2	3
यूनाइटेड किंगडम	1967	2,60,000
एशिया		
बर्मा	1966	2,00,000
शिलोन	1969	11 02,000+
मलेशिया महा संघ	1969	9,00,000 लगभग§
सिंगापुर	1968	1,61,400
बहरैन	1969	6,000
थाइलैंड	1967	18,000
इन्डोनेशिया	1969	25,000++
ईस्ट एन्ड सेन्ट्रल अफ्रीका		
केनया	1969	1,82,000§§
उगान्डा	1966	88,500§
सोमालिया	1967	1,000से 1,200
साऊथर्न रोडेशिया	1966	8,100
सुरिनाम	1967	24,226†††
जाम्बिया	1969	11,000 लगभग
मलावी	1962	10,000
घाना	1967	1,750
साइरालेओन	1967	425
लाइबैरिया	1967	325
बारबाडोज	1960	464

1	2	3
वेस्ट इन्डीज		
जमाइका	1960	29,150 (ईस्ट इन्डियन्स)
त्रिनिडाड और टोबागो	1960	3,01,946§
गुयाना	1963	2,96,770
सेन्ट विनसेन्ट	1968	2,780
अन्य		
न्यूजीलेन्ड	1969	6,000
मारीसिस और आश्रित	1969	5,31,780
मेडागास्कर	1965	
	एक जनवरी, 1968	15,000§
लाओस	1968	1,000 लगभग

\+ इसमें लगभग 63,000 भारतीय यात्रा प्रपत्र-धारियों की अनुमानित संख्या शामिल है।

§ पाकिस्तानियों सहित ।

++ प्राक्कलित मध्य वर्ष आंकड़े (यूनाइटिड नेशन्स मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स, जुलाई, 1970) से लिए गए।

††† केवल भारतीय श्रमिक ।

§§ एशियाई मूल के व्यक्तियों के बारे में ।

बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के बारे में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व

3592. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार से बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों का पूरा उत्तरदायित्व सम्भालने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : पूर्वी बंगाल से अचानक भारी संख्या में शरणार्थियों के आ जाने और सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी जमाव हो जाने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार से पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का उत्तरदायित्व सम्भालने का अनुरोध किया था। इसलिए यह निश्चय किया गया था कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के जमाव को कम करने की दृष्टि से भारत सरकार पश्चिम बंगाल के भीतरी भाग तथा अन्य राज्यों में शिविर स्थापित करेगी जिनमें इन शरणार्थियों को भेजा जायेगा। इस निश्चय का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय शिविर स्थापित करने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है और 25-6-1971 तक पश्चिम बंगाल से 63,000 शरणार्थी केन्द्रीय शिविर, माना, रायपुर में भेजे जा चुके हैं।

Sugar-cane research centres and new varieties Introduced

3593. **Dr. Lnxminarain Pandey :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of sugarcane research centres functioning in the country at present;

(b) the number of new varieties of sugarcane introduced by the said centres;

(c) whether prerent variety of sugarcane being sown is prove to disease and Government's attention has been drawn to it; and

(d) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde):

(a) Sixty four sugarcane research centres are functioning in the country at present.

(b) The sugarcane Breeding Institute, Coimbatore, which deals with the evolving of new varieties suitable for the different agro-climatic regions of the country has evolved ninteen new varieties in the recent years. In addition, a few varieties have also been released by the State Research Stations in Bihar and Uttar Pradesh.

(c) Due to susceptibility to some diseases, like red rot, ratoon stunting and grassy shoot diseases, the older, popular varieties are being given up by the farmers. Government is aware of the problem.

(d) Sugarcane Research Stations are engaged in incorporating resistance to particular diseases in sugarcane through cross breeding. Some of the varieties have shown considerable staying capacity due to various degrees of disease tolerance or resistance, like Co. 419. Among the newer varieties Co 997 and Co 1287 are resistant to smut while Co 1007 and Co 1148 are resistant to red rot. Research efforts have now indicated that the deterioration of cane varieties could be checked by subjecting the cane setts to hot air or hot water treatment before planting. This pre-treatment of seed is now being propagated by the State Extension agencies and sugar mills.

गन्ने और चीनी की उत्पादन लागत

3594. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने की राज्यवार औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) गन्ना मिलें उत्पादकों से गन्ने को कितने औसत मूल्य पर खरीदती है; और

(ग) एक किलोग्राम चीनी की राज्यवार औसत उत्पादन लागत कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) 1955 से 1963 के दौरान भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ने देश के मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों में गन्ना उत्पादन की लागत का अध्ययन किया था। निम्नलिखित तालिका में अध्ययन की अवधि तथा गन्ने की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत के अनुमान दिखाये गए हैं:—

राज्य	अवधि	प्रति क्विंटल उत्पादन लागत के अनुमान (रुपयों में)
आंध्र प्रदेश	1955–58	2.50
बिहार	1955–58	2.44
महाराष्ट्र	1956–59	3.18
मैसूर	1960–63	2.87
पंजाब तथा हरियाणा	1955–58	2.43
उत्तर प्रदेश	1955–58	2.67

(ख) वर्ष 1970–71 (पहली सितम्बर, 1970 से 30 सितम्बर, 1971 तक) चीनी मिलों ने सामान्यतः सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक मूल्य पर गन्ना खरीदा है। इस वर्ष में खरीदे गए गन्ने के लिए चीनी मिलों द्वारा देय अधिसूचित न्यूनतम मूल्य 7.37 रुपये और 9.22 रुपये प्रति क्विंटल के बीच था जो कि सम्बन्धित चीनी मिलों के गन्ने से चीनी की उपलब्धि पर निर्भर करता था।

(ग) गन्ने की लागत, गन्ने से चीनी की प्राप्ति, पिराई मौसम की अवधि और रूपान्तरण लागत पर निर्भर करते हुए चीनी की उत्पादन लागत वर्ष प्रति वर्ष तथा क्षेत्र भिन्न भिन्न होता है। 1966-67 मौसम के कार्यचालन के परिणामों, जिन्हें वसूली और 1963–64 से 1967–68 के पांच वर्षों की अवधि से समायोजित किया गया था, के आधार पर टैरिफ आयोग (1969) ने 1969–70 से 1971–72 वर्षों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कारखानों के लिए रूपान्तरण लागत का हिसाब लगाया था जो कि संलग्न विवरण में दी गई है। रूपान्तरण लागत में गन्ने की लागत शामिल करने के बाद चीनी तैयार करने की लागत निकाली जाती है। टैरिफ आयोग की सिफारिशों के अनुसार चीनी के उत्पादन पर लगाई गई पूंजी पर 10.50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मुनाफा कमाने की अनुमति है।

विवरण

चीनी वर्ष 1963–64 से 1967-68 की अवधि और औसत प्राप्ति के आधार पर टैरिफ आयोग (1969) द्वारा 1969–70 से 1971–72 के वर्षों के लिए चीनी की लगाई गई रूपान्तरण लागत को बताने वाला विवरण।

	(पैसे प्रति किलोग्राम)
पंजाब	33.80
हरियाणा	26.46
राजस्थान	50.79
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	33.34
सैन्ट्रल उत्तर प्रदेश	27.60
पूर्वी उत्तर प्रदेश	31.64
उत्तरी बिहार	32.73
दक्षिण बिहार	53.9[illegible]
गुजरात	19.43
मध्यप्रदेश	72.95
महाराष्ट्र	23.67
मैसूर	25.97
आन्ध्र प्रदेश	25.85
तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	26.44
उड़ीसा, असम, केरल, पश्चिम बंगाल	39.06

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची के श्रमिकों को मनोरंजन की सुविधायें

3596. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के श्रमिकों को मनोरंजन की कोई सुविधायें मिल रही हैं।

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्या सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार उन्हें मनोरंजन की सुविधायें देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां।

(ख) मनोरंजन की निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं :

1. **खेलकूद** : भारी इन्जीनियरी निगम की बस्ती में खेलकूद के लिए एक स्पोर्टस स्टेडियम तैयार किया गया है। प्रतिवर्ष कर्मचारियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। समय समय पर फुटबाल, हाकी क्रिकेट आदि जैसे खेलों की अन्तः-कर्मशाला तथा अन्तः सयंत्र नुमायशी प्रतियोगितायें की जाती है। बाहर की टीमों के साथ भी क्रिकेट तथा फुटबाल के मैच रखे जाते हैं। बस्ती के विभिन्न सेक्टरों में भी क्रीड़ास्थल बनाए गए हैं।

2. **क्लब तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम** : कर्मचारियों को क्लब तथा सांस्कृतिक संस्थायें खोलने के लिए उत्साहित किया जाता है। बारह क्लबों के लिए (अफसरों का एक क्लब भी शामिल है) मुफ्त जगह दी गई है। इन क्लबों को वार्षिक अनुदान के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इन क्लबों में बिल्डिंग के अन्दर तथा बाहर के खेलों के लिए तथा पुस्तकालय तथा वाचनालय की सुविधायें उपलब्ध है तथा समय समय पर नाटक-गायन तथा सांस्कृतिक उत्सव भी किये जाते हैं। दो स्थायी सामुदायिक तथा मनोरंजन केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

3. **सिनेमा शो** : कम्पनी का कल्याण स्कन्ध कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए बस्ती के विभिन्न क्षेत्रों में खुले में सिनेमा दिखाने की भी व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त मनोरंजन क्लब भी सिनेमा शो का आयोजन करते हैं।

4. **मुशायरे तथा कवि-सम्मेलन** : बस्ती में स्वेच्छिक संगठनों द्वारा मुशायरों तथा कवि-सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है जिसके लिए कम्पनी के प्रबन्धक वित्तीय साखत् सहायता देते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Accumulation of coal in Giridih Colliery.

3597. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) Whether a large stock of coal has accumulated with the 23-B colliery in Giridih;

(b) if so, the date since when this stock is lying there:

(c) how much amount of the National Coal Development Corporation has been blocked as a result thereof:

(d) the grade of coal lying in stock there; and

(e) whether N. C. D. C. propose to open any depot there to dispose of the said stock of coal and if so, when ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Mohan Kumaramangalam) : (a), (b), (c) and (d) : Stock of about 52,000 tonnes of low grade (lower than Grade III-B) coal has been lying at 23-B incline of Giridih Colliery since August, 1969. This stock is valued at about Rs. 10.00 lakhs.

(e) National Coal Development Corporation does not engage in retail sales of coal and the opening of a Depot only for disposal of the low grade coal stocks of 23-B incline will not be economical. It is expected that this coal will be utilised for power generation by the Barauni Thermal Power Station where two 50-M. W. sets which are at present run on oil are proposed to be put on coal shortly.

बिहार के न्यायालयों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अनिर्णित मामले

3598. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के न्यायालयों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन कई आपराधिक मामले बकाया हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है और वे कब से अनिर्णित हैं तथा विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके शीघ्र निपटारे के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) : 31-5-1971 को 2193 मामले, जिनकी एक सूची संलग्न है, बिहार के विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े थे। बिहार की राज्य सरकार से विलम्ब के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उचित कार्यवाही के लिए यह मामला बिहार की राज्य सरकार से उठाया गया है ताकि भविष्य निधि मामलों का शीघ्र निपटान हो सके।

विवरण

क्रमांक	वर्ष जिसमें मामले दायर किए गए।	उन मामलों की संख्या जो 31-5-1971 को अनिर्णीत पड़े थे।
1.	1965	2
2.	1966	47
3.	1967	600
4.	1968	872
5.	1969	676
6.	1970	36
		2,193

नोट:—1-1-1971 से 31-5-1971 की समयावधि के दौरान कोई भी आपराधिक मामला दायर नहीं किया गया।

बरसुआ लोह अयस्क खान, उड़ीसा के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

3599. **श्री कृणचन्द्र हाल्दर : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की बरसुआ इस्पात खानों के सभी कर्मचारियों को क्वार्टरों की सुविधाएं प्राप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनके लिए क्वार्टर की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(घ) सब कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) पर्याप्त संख्या में क्वार्टर नहीं है।

(ग) लगभग 200 कर्मचारी।

(घ) इस वर्ष हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 100 क्वार्टर तैयार कर रही है तथा अगले वर्ष 100 और क्वार्टर तैयार किये जाने की संभावना है।

ग्राम्य कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिपुरा में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये योजना

3600. **श्री वीरेन दत्त : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिपुरा में काफी समय से सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1970–71 और 1971–72 में उक्त योजना से कौन कौन से क्षेत्रों को लाभ होगा; और

(घ) उक्त योजना पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) त्रिपुरा प्रसाशन ने सूखे से बुरी तरह से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों के चयन के लिये कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं, अतः ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम शुरु करने के लिये प्रदेश के किसी भी क्षेत्र का चुनाव नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं होता।

सरकारी प्रेस, त्रिपुरा के कर्मचारियों पर दण्डादेश

3601. **श्री वीरेन दत्त: क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की सरकारी प्रेस के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या पर कई प्रकार के दण्डादेश लागू हैं;

(ख) क्या उनमें से कईयों को सेवा से पृथक कर दिया गया है;

(ग) क्या विवाद को निपटाने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या क्या समझौता सम्बन्धी कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय और तराई विकास निगम के वर्षा में खराब हुये गेहूं के बीजों की बिक्री

3602. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को इस बात की जानकारी है कि पत नगर कृषि विश्वविद्यालय के बीज वर्षा से खराब हो गये हैं लेकिन फिर भी राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा उनकी बिक्री की स्वीकृति दी गई है और उनकी बिक्री तराई विकास निगम द्वारा की जा रही है क्योंकि पंत नगर विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय बीज निगम का तराई विकास निगम में शेयर है; और

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीज अधिनियम के अन्तर्गत बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी के रूप में अधिसूचित किया गया है । अतः निगम रबी 1970–71 के दौरान भी तराई विकास निगम द्वारा उत्पादित गेहूं के बीजों को प्रमाणित करती रही है । राष्ट्रीय बीज निगम केवल उन्हीं बीजों को प्रमाणित करती है जो अंकुरण, नमी, बीजों के रोग रहित होने, आनुवंशिक तथा भौतिक शुद्धता के सम्बन्ध में केन्द्रीय बीज समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों पर पूरे उतरते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

ग्रामीण बेरोजगारी को हटाने के लिये द्रुत योजना की क्रियान्विति में कठिनाइयां

3603. श्री स. के. चन्द्रप्पन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये केन्द्र सरकार को 50 करोड़ रुपयों की लागत के कार्यक्रम की क्रियान्विति में कठिनाइयां उपस्थित हो गई थीं तथा उनका आरम्भ असंतोषजनक रहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस योजना की सफल क्रियान्विति के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी जहाजों द्वारा गुजरात के पश्चिमी तट पर मछली पकड़ना

3604. श्री डी० पी० जडेजा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि गुजरात राज्य के पश्चिम तट के पास विदेशी जहाजों द्वारा भारी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती है;

(ख) क्या यह इस लिये संभव होता है कि उक्त क्षेत्र में केन्द्रीय मत्स्य परियोजना अथवा राज्य मत्स्य परियोजना विद्यमान नहीं है;

(ग) क्या निरामीषभोजी राज्य होने के कारण गुजरात राज्य ने अपने तटों पर मत्स्य विकास में कोई रुचि नहीं ली है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात के भारतीय पश्चिमी तट पर कोई परियोजना चालू करेगी, यदि हां तो उक्त परियोजना की विशेषताएं क्या हैं और उस पर कितनी अनुमानित लागत आएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) केवल मीन हरण के लिये निर्धारित क्षेत्र की वर्तमान सीमा भूभागी समुद्र की सीमा के साथ साथ तट से 12 मील की दूरी तक है। विदेशी जहाज इस क्षेत्र के अन्तर्गत मीन हरण का कार्य नहीं करते। सरकार को पता है कि विदेशी जहाज हिन्द महा सागर के खुले समुद्र में मीन हरण का कार्य करते हैं। गुजरात के पश्चिमी तट पर विदेशी जहाजों की विशेष गतिविधियों को बतलाने वाले कोई समाचार नहीं प्राप्त हुये हैं।

(ख) तथा (ग) : गुजराज का मीन उद्योग पूर्णतः विकसित है। गुजरात की चतुर्थ वर्षीय योजना में मीन उद्योग के और अधिक विकास के लिये 350 लाख रुपये का प्रावधान किया है। देश में प्रचलित यांत्रिक मीन हरण नावों में से 20 प्रतिशत से अधिक नावें गुजरात के तट से कार्य कर रही हैं। ये नावें तटीय क्षेत्र में कार्य करती हैं, किन्तु बड़े जहाजों को भी धीरे धीरे प्रचलित किया जा रहा है, जो कि दूर दूर तक कार्य कर सकते हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात तथा अन्य किसी राज्य में कोई मीन उद्योग परियोजना स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। छोटे मीन हरण जहाजों के यंत्रीकरण का कार्य राज्य क्षेत्र का विषय है। जहां तक गहरे समुद्र में मीन हरण का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार अवस्थापना की व्यवस्था कर रही है। 1965 में राज्य योजना के अन्तर्गत कांडला में एक घाट का निर्माण पहले ही किया जा चुका है, जहां से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का संचालन किया जा सकता है। भारत सरकार ने मीन हरण जहाजों को 26 लाख रुपये की लागत से वेरावल में बन्दरगाह सुविधायें प्रदान की हैं। लगभग 260 यांत्रिक नावें इन सुविधाओं का लाभ उठा रही है। इसके अतिरिक्त, मई 1971 में भारत सरकार द्वारा वेरावल में प्रवेश जल मार्ग को गहरा करने के लिये 16.49 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है जिससे कि बड़े मीन हरण जहाज इस बन्दरगाह का उपयोग कर सकें। केन्द्रीय सरकार

ने गुजरात के अन्य 9 पत्तनों पर भी यंत्रीकृत नौकाओं के लिये मीन बन्दरगाह सुविधाओं की व्यवस्था के हेतु 30 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

केन्द्रीय सरकार कई वर्षों से गुजरात के समुद्र तट से दूर स्थित मीन संसाधनों का गहन सर्वेक्षण करती रही है। वेरावल तथा कांडला में और केन्द्र बना कर सर्वेक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जा रहा है, जहां से कि पांच नये जहाज तलप्लावी तथा प्लेगिक मछलियों के समन्वेषण का कार्य करेंगे।

भारतीय वन्य पशु बोर्ड की बैठक

3605. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारतीय वन्य पशु बोर्ड की कितनी बैठकें हुई;

(ख) बोर्ड द्वारा क्या सिफारिशें की गई; और

(ग) सरकार ने किन सुझावों को स्वीकार तथा क्रियान्वित किया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) पिछले 2 वर्षों में भारतीय वन्य प्राणी मडल के 7 वें और 8 वें सम्मेलन क्रमश: 8–9 जुलाई, 1969 और 24 अक्तूबर, 1970 को हुये थे।

(ख) 8 और 9 जुलाई, 1969 और 24 अक्तूबर, 1970 को भारतीय वण्य प्राणी मंडल के क्रमश: 7वें और 8वें सम्मेलन के कार्यवृतों में दी गई सिफारिश उपलब्ध है जो ससद पुस्तकालय में मौजूद हैं।

(ग) भारत सरकार ने सिफारिशें मान ली है। संविधान के अनुसार तथा वण्य प्राणी राज्य सरकारों के विषय हैं। अत: सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

7वें सम्मेलन की सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का सार भारतीय वण्य प्राणी मण्डल की नई दिल्ली में 24-10-70 को हुए सम्मेलन की कार्यसूची पर नोट में देखा जा सकता है जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

8वें सम्मेलन में की गई सिफारिशें राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है।

Influx of Refugees from Pakistan since Partition

3606. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of times, the influx of people came over to India since the formation of Pakistan and the effective steps taken by India to check it from time to time and the results achieved ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : Apart from the people who migrated from Pakistan in the wake of partition, the displased persons came to the country from East Pakistan, in large numbers, during the years 1950–52, 1955–56, 1964–65 and 1970–71.

The Government of Pakistan have been repeatedly reminded of their solemn obligations under the Nehru–Liaqat Agreement of 1950 and Para VIII of the Tashkant Declaration of 1966. They have been urged to take all necessary measures to ensure security of life, property and honour of their minorities and to create conditions which would prevent their exodus.

पंजाब के हरिजनों में निष्क्रांत भूमि का वितरण

3607. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार को वहां के हरिजनों में वितरण के लिए एक "पैकेज डील" के अन्तर्गत निष्क्रान्त भूमि दी है;

(ख) यदि हां; तो अब तक बांटी गई भूमि (एकड़ में) कितनी है;

(ग) उक्त करार की शर्तें क्या है;

(घ) क्या पंजाब सरकार उक्त करार की शर्तों के पालन करने में विफल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख) : जी, नहीं । पंजाब में फालतू निष्क्रान्त कृषि भूमि अविभाजित पंजाब राज्य सरकार को जून, 1971 में हस्तान्तरित कर दी गई थी । राज्य सरकार द्वारा भूमि के निपटारे के बारे में कोई शर्तें नहीं लगाई गई थीं । तथापि, 1964 65 में अविभाजित पंजाब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया, कि कुछ भूमियों को छोड़कर जो वर्जित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं, सारी भूमि अनुसूचित जाति के सदस्यों को, सीमित नीलाम द्वारा बेच दी जानी चाहिये । एक विवरण, जिसमें सीमित नीलाम में अनुसूचित जाति के सदस्यों को बेची गई निष्क्रान्त भूमि का जिला वार ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है । **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.** 569/71)

(ग) से (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

इमारती लकड़ी का उत्पादन

3608. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जापान, पाकिस्तान, मलेशिया और बर्मा की तुलना में इमारती लकड़ी का प्रति हैक्टर उत्पादन क्या है; और

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) वन-भूमि तथा उससे प्राप्त होने वाली लकड़ी के उत्पादन के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर जापान, पाकिस्तान, मलेशिया तथा बर्मा की तुलना में भारत में वन लकड़ी का प्रति हैक्टर उत्पादन निम्नलिखित है :

देश	प्रति हैक्टार उत्पादन **(घन मीटर)**
भारत	0.25
जापान	2.33
पाकिस्तान	0.89
मलेशिया	0.40
बर्मा	0.07

परन्तु, इससे भारत, जापान, पाकिस्तान, मलेशिया, बर्मा की ठीक तुलनात्मक स्थिति मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि सब वन क्षेत्रों का विस्तृत तथा विभिन्न जलवायु तथा मृदा परिस्थितियों में स्थित होने के कारण एक समान उत्पादन तथा संसाधनों वाले नहीं है। वनों का उत्पादन (1) वन की फसल की किस्मों-प्राकृतिक या कृत्रिम, (2) वन की फसल के घनत्व (3) व्यवस्था के स्वरूप, जिसके लिए मुख्यत: वन फसलों की व्यवस्था की गई (4) बाजार की मांग तथा अन्तिम उपयोग के ढंग (5) चारागाह, वन में आग, आदि जैसी जीवीय बातें, (6) कार्य करने के लिये क्षेत्र की सुगमता (7) जंगलों में तथा उसके आसपास रहने वाले लोगों के अधिकार तथा विशेषाधिकार आदि विभिन्न बातों पर भी निर्भर करता है।

(ख) उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:—

(1) जल्दी उगने वाली तथा औद्योगिक महत्व की अन्य लाभदायक किस्मों के संकेन्द्रित रोपण को बढ़ाना।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से 1968--69 तक 15.2 लाख हैक्टार क्षेत्र में उपरोक्त किस्मों का रोपण किया गया। चालू चौथी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 8.8 लाख हैक्टार के अतिरिक्त क्षेत्र में इन किस्मों के पौध-रोपण का प्रस्ताव है।

(2) उजड़े वनों को फिर से ठीक-ठाक करना।

(3) उचित एवं अधिक तीव्र व्यवस्था की तकनीकों तथा परिपालन कार्यों को अपनाना।

(4) आधुनिक काष्ठ-निष्कासन तकनीकों तथा उपकरणों से सब सामग्री का पूर्ण निष्कासन।

(5) काष्ठ परिवर्तन तकनीक, काष्ठ उपचार तथा परिरक्षण उपचार का सुधार कर प्रारम्भिक या गौण उपलब्ध सब किस्मों का पूर्ण तथा यथोचित उपयोग करना।

(6) संचार व्यवस्था तथा अन्य अवस्थापना में सुधार करना।

अनुसंधान संस्था देहरादून, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया अनुसन्धान

3609. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून विशेषकर वनों का उत्पादन बढ़ाने और रोगन आदि के प्रयोग से प्रयोग में न आने वाली लकड़ी का युक्ति संगत तरीके से प्रयोग करने के बारे में अनुसन्धान कार्य कर रही है; और

(ख) वर्ष 1965-66 के बाद अनुसंधान द्वारा सरकारी निर्माण में प्रयोग में आने वाली लकड़ी जैसे टीक, स्याल और टैक के प्रयोग को किस हद तक कम किया जा सका है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून में 1965-66 से 28 अनुसन्धान योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें वनों का उत्पादन बढ़ाने और रोगन आदि के प्रयोग से प्रयोग में न आने वाली लकड़ी का उपयुक्त तरीके से प्रयोग करने की योजनायें शामिल हैं। व्यापार में शनै शनै गौण किस्मों का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है और इन्हें सैनिक इन्जीनियरी

सेवाओं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भारतीय मानक संस्थाओं की अधिकांश विशिष्टियों में भी शामिल कर लिया गया है। इन किस्मों के प्रयोग के उपबन्धों को राष्ट्रीय भवन संहिता में भी शामिल कर दिया गया है। सन् 1965-66 से विभिन्न निर्माण-सम्बन्धी अभिकरणों तथा सरकारी विभागों को लगभग 2000 नीले नक्शों के नमूने दिए गए थे। ऐसे समस्त नमूने प्रयोग में न आने वाली लकड़ी पर अनुसन्धान करने के उपरान्त ही तैयार किये गये हैं। देश के विभिन्न भागों में सरकारी विभागों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों सहित विभिन्न निर्माण-सम्बन्धी अभिकरणों द्वारा अनेक ढांचे खड़े करने की रिपोर्ट मिली है। इसके परिणामस्वरूप सागवान, साल आदि के स्थान पर उपचारित तथा प्रयोग में न आने वाली लकड़ी के प्रयोग से प्रयोग में आने वाली लकड़ी में कम से कम 50 प्रतिशत बचत हुई है।

बंगाली बाघ, भारतीय गेन्डों और चीते की नस्लों का समाप्त होने से बचाना

3610. श्री भानसिंह भौरा : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाली बाघ और भारतीय गेंडों की नस्लें तेजी से समाप्त होती जा रही हैं;

(ख) क्या चीतों की नस्ल पहले ही समाप्त हो गई है; और

(ग) जिन नस्लों के समाप्त होने का भय है उनके परिक्षण के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हां। गत 4–5 दशाब्दियों में चीतों की संख्या में कमी हुई है। किन्तु इन पशुओं को संरक्षण देने में सरकार द्वारा सामयिक कार्यवाही करने के कारण उनकी समाप्ति का भय नहीं रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जिन पशुओं के समाप्त होने का भय है उन्हें पहले ही सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। उन पशुओं के शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन पशुओं और उनसे बने पदार्थों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

युवक मण्डलों को प्रोत्साहन पुरस्कार

3611. श्री जी० भुवाराहन : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष, राज्यवार युवक मण्डलों को कुल कितनी राशि का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया,

(ख) युवक मण्डलों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार चुनने का क्या तरीका है; और

(ग) देश में राज्यवार कितने युवक मण्डल कार्य कर रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 570/71]**

हाल ही की वर्षा से खाद्य फसलों को हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय दल का उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों का दौरा

3612. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही की वर्षा से अनाज की फसलों को हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिये एक केन्द्रीय दल उत्तर प्रदेश भेजने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो क्या उक्त दल को अन्य राज्यों में जाने के लिए भी कहा जायेगा जहां पर भी वर्षा से खाद्य फसलों को क्षति पहुँची है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी. शिन्दे) : (क) जी हां। अप्रैल, मई, 1971 में हुई वर्षा से उत्पन्न स्थिति तथा राहत कार्यों के लिए धन की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल को उत्तर प्रदेश भेजने का निश्चय किया गया है। यह दल शीघ्र ही इस राज्य का दौरा करने वाला है।

(ख) केन्द्रीय दल केवल उन्हीं राज्यों को भेजें जाते हैं जहां प्राकृतिक विपदाओं की सूचनायें मिलती हैं और जिन्होंने केन्द्रीय सहायता के लिये मांग की है। ये दल स्थिति तथा राहत उपायों के लिये धन की आवश्यकता का मूल्यांकन करते हैं। इस सम्बन्ध में बिहार के अतिरिक्त और किसी भी राज्य से वित्तीय सहायता का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। मई 1971 के अन्त में एक केन्द्रीय दल बिहार का दौरा कर चुका है।

लोक निर्माण विभाग मनीपुर को इस्पात का वितरण

3613. श्री एन टोम्बीसिंह : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोक निर्माण विभाग मनीपुर को इस्पात और भारी इन्जीनियरिंग का सामान समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई कठिनाई की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या कोई ऐसे क्रयादेश अभी बाकी पड़े हैं जिनके अन्तर्गत मनीपुर लोक निर्माण विभाग को अभी तक माल नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कठिनाई को स्थाई तौर पर दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और माल का वितरण कब तक दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम ठेका सहकारी समितियां

3614. श्री एन. टोम्बी सिंह : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारिता विभाग के अधीन पंजीकृत श्रम ठेका सहकारी समितियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितनी समितियां कार्य कर रही हैं तथा कितनी निष्प्रभावी है;

(ग) इन समितियों ने मनीपुर लोक-निर्माण विभाग के अधीन क्या क्या कार्य हाथ में लिए हैं;

(घ) क्या मनीपुर में श्रम ठेका समितियों को सरकारी आरक्षण में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता की ओर मनीपुर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ङ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) मणिपुर के केन्द्र शासित क्षेत्र में 121 हैं।

(ख) सभी कार्य कर रही हैं।

(ग) 1969--70 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में 38,07,000 रु. की लागत के कार्य हाथ में लिए गए थे।

(घ) श्रमिक ठेका तथा निर्माण सहकारी समितियों के राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने अपनी विभिन्न बैठकों में इन समितियों को संरक्षण देने के बारे में जो अनेक सिफारिशें की हैं वे सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों, जिन मे मणिपुर सरकार भी शामिल है, को कार्यान्वित करने के लिए भेजी गई थीं। मणिपुर सरकार ने सामान्यतः ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

(ङ) मणिपुर के उपराजपाल एक लाख रुपये तक की अनुमानित लागत के इमारतों तथा सड़कों के निर्माण कार्य टेंडर मांगे बिना पंजीकृत श्रमिक सहकारी समितियों को दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता द्वारा 10,000 रु० तक के, अधीक्षक अभियंता द्वारा 15,000 रु० तक के और मुख्य अभियन्ता द्वारा 20,000 रु० तक के कार्य पंजीकृत श्रमिक सहकारी समितियों को, टेंडर मंगाए बिना, चालू बाजार दरों पर दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि वे जिला दर अनुसूची के अन्तर्गत आते हों। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 35,000 रु० तक की सीमा के कार्य अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन जाति श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को दिए जा सकते हैं, यदि उनके टेण्डर न्यूनतम टेण्डर के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत के अन्दर हों।

मनीपुर में सहकारी क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन

3615. श्री एन. टोम्बीसिंह : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर डिवीजन के पांच जिलों में विभक्त हो जाने के पश्चात मनीपुर में सहकारी क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किए गए हैं; और

(ख) क्या जिलों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण सहकारी समितियों में ए. आर. सी. एस. और निरीक्षकों के नये पद बनाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख): मणिपुर सरकार से मांगी गई सूचना की प्रतीक्षा है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मनिपुर में फलों का विकास और परिरक्षण

3616. **श्री एन० टोम्बीसिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के कृषि विभाग के अधीन फलों के परिरक्षण और उनके डिब्बों में बन्द करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) स्थायी उपकरणों के रूप में कितनी राशि लगाई गई है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है;

(घ) क्या मनीपुर के बाहर भी इन उत्पादनों की बिक्री होती है; और

(ङ) यदि हां तो प्रतिवर्ष कितने फलों की बिक्री होती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी. शिन्दे) : (क) 1958 में मणिपुर में एक फल परिरक्षण कारखाना स्थापित किया गया था। इस कारखाने का आरम्भिक लक्ष्य विभिन्न प्रकार के 1826 किलोग्राम फल उत्पादों का उत्पादन करना था। 1970-71 के दौरान इसका उत्पादन धीरे धीरे बढ़कर 17,000 किलोग्राम तक पहुंच गया है और 1971-72 के लिए लगभग 30,700 किलोग्राम का लक्ष्य रखा गया है। इसका और विस्तार करने का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिससे इसकी उत्पादन क्षमता बढ़कर 100 मी. टन प्रति वर्ष हो जाएगी।

(ख) 1,37,740 रुपये।

(ग) 10

(घ) अभी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का खानों पर लागू होना

3617. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खानों के जिनमें अब तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 को लागू कर दिया गया है तथा उन खानों के जिनमें उक्त अधिनियम को लागू नहीं किया गया है नाम क्या है; और

(ख) उन खानों में जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 को अभी तक लागू नहीं किया गया है, उक्त अधिनियम को कब तक लागू किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 कुछ खानों पर लागू किया गया है, जिनकी एक सूची संलग्न है। इस अधिनियम को शेष खानों (कोयला खानों को छोड़कर जिनके लिए एक अलग भविष्य निधि योजना है) पर यथाशीघ्र लागू करने का प्रस्ताव है।

विवरण

(1) लोहा अयस्क खानें ।	(2) मैंगनीज खानें ।
(3) चूना पत्थर खानें ।	(4) सोने की खानें ।
(5) अभ्रक खानें ।	(6) बाक्साइट खानें ।
(7) चीनी मिट्टी की खानें ।	(8) मैगनेसाइट खानें ।
(9) वेराइटिस खानें ।	(10) डोलोमाइट खानें ।
(11) अग्नि मिट्टी खानें ।	(12) जिप्सम खानें ।
(13) कायनाइट खानें ।	(14) सिलीमाइट खानें ।
(15) स्टियटाइट खानें ।	(16) हीरे की खानें ।

बिहार और राजस्थान में अभ्रक खानों में कर्मचारी भविष्य योजना का लागू किया जाना

3618. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार और राजस्थान में अभ्रक की बहुत सी खानों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिसके कारण इन खानों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन खानों का अल्पावधि में गहन सर्वेक्षण पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे वहां भूतलक्षी प्रभाव से कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू किया जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है । भविष्य निधि अधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :–

(क) और (ख) : कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 ऐसी अभ्रक खानों पर पहले से हो लागू है जिनमें 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं । बिहार तथा राजस्थान की अभ्रक खानों को अधिनियम की परिधि में लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है । तथापि, पहुँच से परे होने के कारण कुछ ऐसे प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण नहीं हो सका जो दूरस्थ क्षेत्रों अथवा क्षेत्रों के ऐसे अगांध भीतरी भाग में स्थित हैं और जहां नियमित परिवहन सेवा सुविधा का अभाव हैं । इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए, बिहार के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की गई है और राजस्थान के लिए गाड़ी की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

निर्माण कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन

3619. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कर्मचारियों के मामले में कोई श्रमिक कानून लागू नहीं होता;

(ख) क्या मई, 1971 में श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ग) यदि हां तो विभिन्न श्रमिक कानूनों के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) निर्माण उद्योग में श्रमिकों पर पहले से ही अनेक श्रम कानून लागू होते हैं।

सी० पी० डब्ल्यू० डी०/एम०ई० एस० श्रम विनियमन, यद्यपि सांविधिक नहीं है सी०पी० डब्ल्यू० डी० और एम० ई० एस० के विभागों में निर्माण श्रमिकों पर लागू होते हैं।

इसके अतिरिक्त, निर्माण उद्योग में नियोजित श्रमिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए विधान बनाने का एक प्रस्ताव है।

चीनी मिलों को दी जाने वाली सहायता

3620. श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में इण्डियन शूगर मिल एसोसिएशन अथवा चीनी मिलों के मालिकों को कुल कितनी राजसहायता का भुगतान किया गया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेरसिंह) : पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन या चीनी मिल मालिकों को कोई राजसहायता नहीं दी गयी थी।

बिहार में बड़ा गेमडा और गुआ लोहअयस्क खानों में ठेका उत्पादन अधिनियम की क्रियान्विति

3621. श्री विजय मोदक : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पारित ठेका उत्पादन अधिनियम को बड़ा गेमडा और गुआ (बिहार) लोह-अयस्क खानों में क्रियान्वित किया गया है।

(ख) यदि हां, तो समाप्त किये गये ठेकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : केन्द्रीय श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970, 10 फरवरी 1971 से लागू हुआ। अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए ठेका श्रम केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, रजिस्ट्री, लाइसेन्स, अपील प्राधिकारी और निरीक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं।

(ग) लौह अयस्क खानों में रोजगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता।

देश में कपास की कमी

3622. श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपास की भारी कमी है जिसके कारण बहुत सी कपड़ा मिलों के बन्द होने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये और कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1970-71 के दौरान कपास की कमी ने देश की सूती कपड़ा मिलों के कार्य में बाधा का भय उत्पदन कर दिया है ।

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने विदेशों से कपास आयात पुनः चालू कर दिया है । अभी तक लगभग 10.5 लाख गांठें आयात की गई हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने कपास की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये और उपलब्ध सप्लाई का यथासम्भव समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये हैं । देश में कपास उत्पादन बढ़ाने के लिये भी तेजी से प्रयत्न किये जा रहे हैं । कुछ वर्षों से चालू केन्द्रीय परिचालित योजना के अतिरिक्त सघन कृषि जिला कार्यक्रम की तरह सघन निर्मित कपास जिला कार्यक्रम के लिये 14.74 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक नई योजना बनाई गई है और भारत सरकार द्वारा मंजूर कर दी गई है । केन्द्रीय परिचालित योजना होने के कारण अब राज्य सरकारें, जहां तक उनका सम्बन्ध है, परियोजनायें मंजूर करेंगी । योजना के अविलम्ब कार्यान्वियन के लिये अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है । इस कार्यक्रम की मुख्य बातें दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । समन्वित सुधार योजना के अधीन कपास के बारे में अनुसंधान पर अधिक बल दिया गया है । कपास की एक संकर किस्म का (संकर-4), जिसमें उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता है, उपयुक्त क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है । सघन कपास जिला कार्यक्रम के कार्यान्वियन और संकर 4 के विस्तार से 1973-74 के दौरान देशी कपास की सप्लाई 7-8 लाख गांठें बढ़ने की आशा है ।

विवरण

सघन जिला कृषि कार्यक्रम की तरह की ही एक नई योजना सघन कपास जिला कार्यक्रम बनाई है । इसके लिये 14.74 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और भारत सरकार ने इसे मंजूर कर दिया है । यह सिंचित और वर्षा आश्रित दोनों क्षेत्रों में लागू की जायेंगी । पांचों राज्यों में समस्त छः जिले, जहां कपास के अधीन काफी बड़ा और व्यापक क्षेत्र है, सिंचित बैल्ट में चुने गये हैं । ये जिले कुल सिंचित कपास क्षेत्र के 52 प्रतिशत हैं । पैकेज पद्धतियों को सर्व प्रिय बनाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है । इस कार्य के लिये पर्याप्त फील्ड कर्मचारी रखे जायेंगे और उनके लिए परिवहन व्यवस्था की जायेगी ताकि वे कृषकों के साथ नजदीकी सम्पर्क रख सकें । उत्पादकों को वनस्पति संरक्षण की सिफारिश शुदा पद्धति अपनाने के लिये रसायनों और उपकरणों पर सहायता की व्यवस्था की गई है । वनस्पति रक्षा कार्यों को सुदृढ़ करने के लिये राज्य कृषि विभागों ने कृषकों को भाड़े पर देने के लिये उपकरण खरीदने की भी व्यवस्था की है ।

वर्षा पर आश्रित कपास के सम्बन्ध में, वर्षा में कमी, बढ़ौती होने के कारण अनिश्चितता रहती है । इसलिये इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन के आधार पर इस कार्य के लिये चुने गये प्रत्येक

सातों जिलों के 20,000 हैक्टर के क्षेत्र में आरम्भ करने का प्रस्ताव है। ऐसे क्षेत्रों में कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :–

1. सघन मार्गदर्शन प्रदर्शन
2. कुछ अधिक क्षेत्र में कार्यक्रम का विस्तार जहां कुछ चुने हुए तरीके अपनाये जायेंगे।

जबकि सघन मार्गदर्शी प्रदर्शन कार्यक्रम पर होने वाला समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, विस्तारित कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्णीय प्रयोग के लिये यूरिया तथा कीटनाशी दवाओं के लिये सहायता के रूप में प्रथम दो वर्षों में 50 प्रतिशत और अन्तिम वर्ष में 25 प्रतिशत प्रोत्साहन योजनाओं की व्यवस्था हैं।

फार्म सूचना प्रचार यूनिट

3623. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्म सूचना प्रचार यूनिट की मुख्य बातें क्या हैं और उसमें पदों की संख्या कितनी है और वेतन-मान क्या है;

(ख) यूनिट में अब कितने कर्मचारी हैं; और

(ग) इन पदों पर नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 571/71)**

(ग) ये पद या तो सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के पदों के सम्बन्ध में सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाती है और वर्ग 3 के पदों की भर्ती रोजगार कार्यालय के द्वारा की जाती है।

चावल सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था और व्यापार के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्ययन दल के सुझाव

3624. श्री पी० गंगादेव :
श्री निहार लास्कर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्ययन दल ने, जिसका 24 से 28 मई, 1971 तक रोम में सम्मेलन हुआ था, चावल सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था और व्यापार सम्बन्धी विश्व की समस्याओं का समाधान करने के लिये सुझाव दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये थे; और

(ग) भारत सरकार ने उन सुझावों को कहां तक स्वीकार किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) से (ग) : खाद्य तथा कृषि संगठन के चावल सम्बन्धी अध्ययन दल की 24 से 28 मई, 1971 तक रोम में

एक बैठक हुई थी। अभी तक खाद्य तथा कृषि संगठन से अध्ययन दल की रिपोर्ट नहीं मिली है। इस बैठक में हमारे जिस प्रतिनिधि ने भाग लिया था, उसने रिपोर्ट दी है कि अध्ययन दल ने चावल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही विषयक उस तदर्थ कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया जिसकी स्थापना इसके पिछले अधिवेशन में चावल सम्बन्धी विश्व अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं का पता लगाने और उनके सम्भव समाधान के लिये की गई थी। कार्यकारी दल ने यह सुझाव दिया था कि इसका मुख्य उद्देश्य चावल के उत्पादन, खपत और व्यापार के सम्बन्ध में सन्तुलित स्थिति प्राप्त करना होना चाहिये। अन्य बातों के साथ साथ इसकी सिफारिशों में चावल उत्पादन विषयक नीतियों में नम्यता लाने की व्यवस्था है जिससे कि बिना भारी अधिशेष के संचित हुये पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके, विश्व मण्डियों में अधिक सप्लाई की अवधि में निर्यात करने वाले विकासमान देशों द्वारा उत्पादन में कमी करना; निर्यात सहायता के लक्ष्य को सीमित करना ताकि मौजूदा विश्व भावों में बिना कोई कमी किये अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में बेची जा रही तुलनात्मक किस्मों के चावल के निर्यात को प्रतियोगितात्मक बनाया जा सके, चावल की निर्यात साहाय्य, अदायगी या क्षतिपूर्ति के अवलम्बन को कम करना, वर्षों तक चावल के निर्यात तथा आयात के लिये और अधिक समय तक ठेके की अवधि बढ़ाने की सम्भाव्यताओं पर सरकारों द्वारा विचार करना, बहुदेशीय खाद्य सहायता योजनाओं में चावल का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाना; रियायती या खाद्य सहायता कार्य सम्पादन के लिये अधिशेष निपटान के बारे में खाद्य और कृषि संगठन के सिद्धान्तों का पालन करना, आदि शामिल हैं। अध्ययन दल ने कार्यकारी दल की सिफारिशों की पुष्टि की तथा खाद्य और कृषि संगठग के निदेशक से अनुरोध किया कि वे इन सिफारिशों को औपचारिक रूप से चावल के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्याप्त दिलचस्पी रखने वाले समस्त सदस्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ भेजें कि वे चावल सम्बन्धी नीतियां बनाते समय इन्हें दृष्टिगत रखें। अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी दोहराया कि (क) विकासमान देशों में चावल के विषय में आत्म-निर्भरता का उद्देश्य आर्थिक विकास की विस्तृत नीति का प्राय: एक भाग ही है और उपचारिक कार्यवाही करने के लिये इस पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है, और यह कि (ख) सम्बन्धित सरकारों द्वारा राष्ट्रीय चावल नीतियों में समंजन करना आवश्क रूप से एच्छिक होगा।

खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक से अध्ययन दल के सुझाव प्राप्त होने पर ही उन पर समुचित विचार किया जाएगा।

मैक्सिकन गेहूं का क्षेत्र

3625. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष भारत में, राज्य, कितने क्षेत्र में मैक्सिकन गेहूं उगाया गया है और उससे उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है या होने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : राज्यों/संघ क्षेत्रों से जानकारी मांगी मांगी गई है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पटसन उत्पादन क्षेत्र

3626. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में पटसन की फसल के क्षेत्र में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और बंगाल से बाहर पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गत तीन वर्षों की अवधि में जूट का क्षेत्र निम्न प्रकार था:—

वर्ष	क्षेत्र (हजार हैक्टारों में)
1968–69	526.7
1969–70	767.6
1970–71	750.1

(ख) देश में पटसन के उत्पादन में वृद्धि के लिये, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा त्रिपुरा आदि मुख्य पटसन उत्पादक राज्यों में कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें प्रारम्भ की हैं। आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में मेस्टा के प्रचलन के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन योजनाओं में विशेष पेकेज कार्यक्रम, यूरिया का हवाई छिड़काव, पटसन के उन्नत प्रमाणिक बीजों का साहाय्यप्राप्त वितरण तथा गलाई तालों की व्यवस्था सम्बन्धी सुविधायें सम्मिलित हैं।

छोटे लौह-अयस्क खान मालिकों द्वारा खानों का मशीनीकरण

3627. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण छोटे लौह-अयस्क खान मालिकों को अपनी खानों में मशीनीकरण करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या उक्त खानों में शीघ्र उत्पादन रुक जायेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार या खनिज और धातु व्यापार निगम ने, जो उत्पादों के एकमात्र खरीदार है, खान मालिकों को अपनी खानों में मशीनीकरण करने के लिये सहायता देने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (घ) लघु लौह अयस्क स्वामियों को सम्मिलित कर खान स्वामियों के लिए मशीनीकरण जैसे प्रयोजनों के लिए निधि की अपेक्षाऐं सरकार के विचाराधीन हैं। खनन वित्त निगम गठित करने के प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है। तथापि, ऐसा अनुभव किया गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड के विद्यमान क्षेत्र और कृत्यों के क्षेत्र में भी इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

मामले का विस्तृत रूप से परीक्षण करने के लिए खान विभाग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर समिति का गठन किया गया है जिससे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्र का और अधिक परिवर्धन अथवा उपान्तरण का, जो कि इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक हों, अभिज्ञान हो सके।

खनिज और धातु व्यापार निगम की भी लौह अयस्क खान स्वामियों को, उनकी खानों के विकास हेतु खनन मशीनरी/उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता पहुचाने की योजना है। इस योजना के अधीन निगम की निधि में से मशीनरी के मूल्य का 85% तक की सीमा तक ऋण/अग्रिम राशियां दी जाती है और उसकी वसूली अयस्क आपूर्तियों में से की जाती है।

Damage to Foodgrains and Storing Capacity of the Warehouses.

3628. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains (in tonnes) for which warehousing facilities exist in the country;

(b) the approximate quantity of foodgrains (in tonnes), which is eaten away by insects and damaged due to carelessness annually;

(c) the approximate value of foodgrains damaged due to natural calamities and other factors every year;

(d) whether at present Government have under consideration any scheme to increase the existing capacity of the warehouses; and

(e) if so, the main features of the scheme and the quantity of foodgrains which could be stored there at a time ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A statement showing the total storage accommodation available with various agencies is given in the statement attached. Broadly, the owned godowns of the Food Corporation of India and the Central Warehousing Corporation can be said to meet the highest standards of warehousing facilities required to store foodgrains scientifically.

(b) & (c) : There is as yet no scientific estimates of foodgrains losses conducted on a sufficiently wide coverage to assess the damage due to various causes, including damages by insects.

(d) & (e) : Yes, Sir. An Expert Committee of the Planning Commission is currently studying the additional requirements of foodgrains storage godowns for 1973-74, the last year of the 4th Five Year Plan, keeping in view the estimates of production, consumption, buffer and operational stocks of foodgrains. Presently, the Food Corporation of India and the Central Warehousing Corporation have plans for construction of 22 lakhs and 3.8 lakhs tonnes capacities respectively of godowns for foodgrains during the remaining period of the 4th Five Year Plan. Besides, the State Warehousing Corporations have a target of constructing 6.5 lakh tonnes capacity under their general warehousing programmes during the 4th Five Year plan, a part of which will also be available for storage of foodgrains.

Statement

(in'ooo tonnes)

Agency	Owned	Hired	Total
F. C. I. (1.6.71)	3612.84	3445.37	7058.21
C.W.C. (1.5.71	809.93	517.84	1327.77
S W C. (1.4.71)	277.55	1646.53	1924 08
State Govts.	1610.72	1218.84	2829.56
Total:–	6311.04	6828.58	13139.62

Note:-- There will be some duplication as the storage capacity with one agency is hired by another, and is shown under hired accommodation by the latter.

उड़ीसा में स्पंज लोहा-संयंत्र की स्थापना

3629. **श्री पी. के. देव :**
श्री रामकंवर :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में देश के अन्य निर्माताओं के सहयोग से 0.25 मिलियन टन का स्पंज लोहा-कारखाना स्थापित करने के बारे में राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार से उड़ीसा में स्पंज आयरन का 250,000 टन की वार्षिक क्षमता का कारखाना लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम को उनके वर्तमान औद्योगिक उपक्रमों में से एक उपक्रम अर्थात् कालिंगा आयरन वर्क्स में प्रतिवर्ष 100,000 टन स्पंज आयरन तथा 80,000 टन बिलेट तैयार करने के लिए सरकार ने 8–9–70 को एक आशय पत्र दिया है। हाल में उनसे स्पंज आयरन की क्षमता 300,000 टन प्रतिवर्ष तथा बिलेट की क्षमता 240,000 टन तक बढ़ाने हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। मंत्रालय इस पर कार्यवाही कर रहा है।

स्पंज लोहा-संयंत्र, उड़ीसा का विस्तार

3630. **श्री पी० के० देव** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम ने राज्य में स्पंज लोहा–संयंत्र का विस्तार करने के लिए लाइसेन्स देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइसेन्स को सरकारी क्षेत्र में न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) : उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम को प्रतिवर्ष 100,000 टन स्पंज आयरन तथा 80,000 टन बिलेट के उत्पादन हेतु 8.9.1970 को एक आशय पत्र दिया गया था। अब उन्होंने स्पंज आयरन की वार्षिक क्षमता को 300,000 तथा बिलेट की वार्षिक क्षमता को 240,000 टन तक बढ़ाने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है। यह आवेदन इस्पात विभाग को 29.5.71 को प्राप्त हुआ है और इस पर कार्यवाही की जा रही है।

चावल का उत्पादन

3631. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में चावल का कुल कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में चावल के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) देश में 1969-70 में चावल का कुल उत्पादन 404.2 लाख मीटरी टन था। सन् 1970-71 के लिए ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) उत्पादन में वृद्धि होने का मुख्य कारण चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों की काश्त शुरू करना है जिसमें नई तकनोलौजी को अपनाना शामिल है।

कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली का नगर निगम को सौंपा जाना

3632. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालकाजी में पूर्व पाकिस्तान विस्थापित व्यक्तियों की कालोनी के अलाटियों को उस दिन से दिल्ली नगर निगम को मकान-कर का भुगतान करना पड़ेगा जिस दिन से उनके नाम में प्लाट रजिस्टर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो पुनर्वास विभाग द्वारा इस कालोनी को दिल्ली नगर निगम को न सौंपे जाने के कारण हैं, और

(ग) क्या सड़कों पर बिजली सहित सभी नागरिक सुविधायें पुनर्वास विभाग द्वारा दी जा रही है?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : कालकाजी में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में कुछ प्लाटों का विकास होना अभी शेष है इसलिए बस्ती को अभी तक निगम को नहीं सौंपा गया है। अधिक्रमण और मुकदमेबाजी के कारण इनका विकास नहीं हो सका है। जैसे ही बस्ती का विकास पूर्ण हो जायेगा, इसे नगर निगम को सौंप दिया जायेगा। निगम द्वारा खाली भूमि और भवनों पर सम्पत्ति-कर, दिल्ली नगर निगम के अधिनियम, 1957 में किए गए उपबन्धों के अनुसार लगाया जाता है।

(ग) बस्ती में घरेलू प्रयोजनों के लिए पानी और बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मल निकास का कार्य भी उचित रूप से चल रहा है। जहां तक सड़कों पर बिजली का सम्बन्ध है, निगम द्वारा इसकी व्यवस्था तभी की जाती है जबकि उस विशेष क्षेत्र में 50 प्रतिशत मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है। एलाटियों द्वारा किए गए करार के अनुसार मई, 1971 के अन्त तक 50 प्रतिशत मकानों का निर्माण पूर्ण हो जाना चाहिये था। किन्तु इस सम्बन्ध में प्रगति बड़ी धीमी है।

सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल और उन पर खर्च की राशि

3633. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी क्षेत्र में, राज्यवार, चीनी मिलों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में इन पर, कारखानेवार, यदि कोई राशि खर्च की गई है तो कितनी?

कृषि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) अब तक 117 सहकारी समितियों को चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस। आशय-पत्र दिए गए हैं, इनमें से 74 सहकारी चीनी कारखाने उत्पादन कर रहे हैं। राज्यवार सूचना अनुबन्ध 1 पर रखे विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 572/71]**

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 31 मार्च, 1970 तक राज्य सरकारों को 79 सहकारी चीनी कारखानों की अंश पूंजी में अंशदान देने के लिए 12.76 करोड़ रु० तक के ऋण दिए गए हैं। समिति-वार सूचना अनुबन्ध 2 पर रखे विवरण में दी गई है।

गन्ने की खेती वाला क्षेत्र

3634. श्री डी० के० पंडा : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कुल कितनी भूमि में, राज्यवार, गन्ने की खेती की गई थी और राज्यवार कितना उत्पादन (टनों में) हुआ;

(ख) क्या वर्ष 1970-71 में गन्ने की खेती में काफी कमी हुई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : वर्ष 1969-70 के दौरान विभिन्न राज्यों में गन्ने के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमानों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय मे रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 573/71] वर्ष 1970-71 के ऐसे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। परन्तु वर्ष 1970-71 के गन्ने के अखिल भारतीय द्वितीय प्राक्कलन के अनुसार,1969-70 के तदनुरूपी परकल्लन की तुलना में 1970-71 दौरान देश में प्रारम्भिक अवस्था पर फसल के अन्तर्गत के क्षेत्र ने 0.6 प्रतिशत की सीमान्त बढ़ोतरी प्रदर्शित की। वर्ष 1969–70 के तदनुरूपी प्राकल्लन की तुलना में 1970-71 के दौरान विभिन्न राज्यों में गन्ने के अन्तर्गत के क्षेत्र के द्वितीय प्राकक्लन के अनुसार संलग्न विवरण-2 प्रतिशतता की भिन्नता को प्रदर्शित करता है।

Setting up of Agricultural Farm Communications Centre in Madhya Pradesh

3635. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Goverument propose to set up an Agricultural Farm Communications Centere in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan period in collaboration with the Ford Foundation and the U. S. Agency for the International Development with a view to imparting training to students to maintain effective liasion with the farmers; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) &(b) : There is at present no proposal under consideration of the Government of India to set up a Communication Centre in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan Period. However, a Project entitled, "Developing an Operational Communication System" has been in operation at the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, in collaboration with the USAID who have provided assistance. The Project has been in operation since November, 1968 and is due for termination on the 30th June, 1971. Its total cost is Rs. 4,97,200/—out of which assistance from USAID is Rs. 2,93,400/-. It

will help to train staff and students in modern communications and visual aid methods. The main objectives of the scheme are :

(i) To design, prepare and print quality educational meterial for staff, students, cultivators, community groups, Govt. agencies and the public.

(ii) To prepare visual aids like flannel-graphs, flip-charts, posters, slides, film strips and folders for better transmission of educational information.

(iii) To keep a regular supply of educational material available for campus staff, mobile and field units of the University.

(iv) To keep a continuous flow of latest information to all clientele of the University.

(v) To promote unification of the efforts of all disciplines of the University in the field of information.

(vi) To teach the University faculty and students the techniques of using audio-visual technology.

Shortage of Compressors in Madhya Pradesh

3636. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there is shortage of compressors in Madhya Pradesh required for the boring tube-wells;

(b) if so, whether the shortage of such an important tool required for the smooth operation of tube-wells is detrimental to agricultural production; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. There is some shortage of compressors for development of tubewells with the Directorate of Tubewells in Madhya Pradesh.

(b) & (c) The Tube well Directorate, Madhya Pradesh, is already considering purchase of additional compressors.

Central aid for setting up of a Dairy Plant in Madhya Pradesh

3637. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the State Government of Madhya Pradesh have decided to set up a Dairy plant in the State during the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, whether the State Government have sought assistance from the Central Government for this purpose; and

(c) if so, the nature thereof and the reaction of Government therto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Sher Singh) : (a) Under the Fourth Five Year Plan, the Government of Madhya Pradesh propose to set up two town Milk Supply Schemes at Raipur and Ujjain each having an installed capacity of 6,000 litres of milk per day and, 7 small town milk supply schemes each with a capacity of 2,000 litres at Ratlam, Khandwa, Burhanpur, Sagar, Katni, Rewa and Bilaspur.

(b) Yes Sir.

(c) Since these schemes are included in the Plan, they are entitled to receive Central financial assistance. The amount of assistance, however, will be dependent on the

expenditure incurred from year to year and would be channelised in block loans and grants to the State.

भारतीय खाद्य निगम, दरभंगा, बिहार के ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों का पुनः काम पर लगाया जाना

3638. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा जिला में जयनगर में वर्ष 1957 से **1971** तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त ठेकेदारों के अधीन कई श्रमिक खाद्यान्न उठाने और परिवहन का कार्य करते रहे हैं;

(ख) क्या अब मासिक भुगतान के आधार पर श्रमिकों को नियुक्त करके इस कार्य को विभागीय तौर पर करवाने का है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त ठेकेदारों के अधीन पहले से कार्य करने वाले श्रमिकों को इस नई व्यवस्था के अन्तर्गत पुनः श्रमिक नियुक्त किया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, लेकिन भारतीय खाद्य निगम ने जयनगर डिपो को 26-12-1967 से सम्भाल लिया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन

3639. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो संशोधन विधेयक संसद में कब तक लाया जायेगा ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारत सरकार ने निश्चय किया है कि इस समय पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना

3640. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगाल देश के शरणार्थियों की स्थिति तथा उनको अलग अलग किया जाना

3641. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में बंगला देश के शरणार्थी अभी भी भोजन और शरणस्थल के बिना खुले मैदानों में रह रहे हैं;

(ख) हैजा तथा आन्त्रशोथ की महामारी के कारण कुल कितने शरणार्थियों की मृत्यु हुई है;

(ग) पूर्वी भारत से कितने शरणार्थियों को हटा कर अन्य राज्यों को भेजा गया है; और

(घ) क्या अन्य राज्यों में भेजे गये इन शरणार्थियों में सभी समुदायों के व्यक्ति है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) यद्यपि उन सभी शरणार्थियों के लिए जिन्हें शिविरों में प्रवेश दिया गया है। भोजन की व्यवस्था कर दी गई है फिर भी अचानक और भारी संख्या में शरणार्थियों के आने से सभी मामलों में आश्रय स्थान देना संभव नहीं हो सका है।

(ख) 22 जून, 1971 तक हैजे से अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों और शिविरों में 3,648 शरणार्थियों की मृत्यु हुई है।

(ग) 25 जून, 1971 तक माना, मध्य प्रदेश, में लगभग 63,000 व्यक्ति भेजे जा चुके हैं।

(घ) जी हां।

Agricultural farms with Central Aid in Kotah, Rajasthan

3642. **Shri Onkar Lal Berwa** : will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of agricultural farms functioning with the aid of the Central Government in Kotah, Rajasthan;

(b) the acreage of land on which they are situated; and

(c) the performance thereof so far ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Nil

(b) & (c) Do not arise ?

Supply of Improved Variety of Seeds to Farmers

3643. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to supply improved varieties of seeds to farmers; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministr y of Agriculture (Shri Anna Saheb P. Shinde) : (a) & (b) : It is the responsibility of the State Government to ensure that improved varieties of seeds are made available to all farmers. The main agencies for distribution of seeds to farmers are the departmental agencies of the State Governments, Cooperatives and private trade. Certified seeds are also produced by the National Seeds Corporation and the Tarai Development Corporation for meeting any shortages in the States. These Corporations distribute seeds to the State Governments,and the farmers through their depots and a net-work of more than 400 dealers appointed for the purpose all over the country.

Setting up of Seed Stores in States

3644. Shri Onkar Lal Berwa : will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) the names of the States where Government have set up seed stores; and

b) the basis on which the said stores have been set up ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The Government of India have not set up any seed stores in any of the States. However, the National Seeds Corporrtion, a Government of India Undertaking, has established stores at the processing plants located at the following places:—

S.No.	Location	Stste
1.	Hissar	Haryana
2.	Yamunanagar	Haryana
3.	Vijayawada	Andhra Pradesh.
4.	Daurala	Uttar Pradssh.
5.	Bhopal	Madhya Pradesh.
6.	Jalgaon	Maharashtra.
7.	Central Stores & Supply Depot,	Delhi.
8.	Hempur	Uttar Pradesh.
9.	Dholi	Bihar.

The State Governments of Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal, Uttar Pradesh and Rajasthan have planned to construct seed stores in their States during the Fourth Plan.

(b) The National Seeds Corporation has set up seed stores taking into consideration the area under seed production and processing facilities available there.

बंगला देश के शरणार्थियों को विमान द्वारा ले जाने का व्यय

3645. **श्री ज्योतिर्यय बसु :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी विमानों से बंगला देश के शरणार्थियों का ले जाने पर भारत सरकार को कितना व्यय करना पड़ रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : विमानों द्वारा शरणार्थियों को ले जाने के खर्च की राशि और इस बारे में भारत सरकार के दायित्व का पता तभी लग पाएगा जब यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ।

चावल की प्रति एकड़ उपज में वृद्धि

3646. **श्री एम० कतामतु :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में चावल की प्रति एकड़ उपज में कुछ वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक वृद्धि हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान भारत में चावलों के प्रति हैक्टार उत्पादन के अनुमान निम्न सारिणी में दिये गये है:

उत्पादन	प्रति हैक्टार उत्पादन (किलोग्रामों में)	1967-68 की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
1967-68	1032*	
1968-69	1076**	4.3
1969-70	1073**	4.0

*आंशिक रूप से संशोधित अनुमानों पर आधारित

**अन्तिम अनुमानों पर आधारित

वर्ष 1970-71 के लिये इस प्रकार की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

कृषि सम्बन्धी यन्त्रों और उपकरणों का उत्पादन

3647. श्री वीरेन्द्रसिंह राव :
श्री नुग्पल्ली शिवप्पा :

क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में स्वदेशी साधनों से किस किस्म के कृषि यन्त्रों और उपकरणों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार के विचाराधीन देश में फसल काटने की मशीनें बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसका कारखाना सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा अथवा गैर–सरकारी क्षेत्र में ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) इस समय देश में ट्रैक्टर, पावर टिलर, पम्पसेट, टोड कम्बाईन हारवेस्टर और अन्य शक्ति-चालित और बैलों द्वारा खेंचे जाने वाले कृषि उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) जी हां, गैर-सरकारी क्षेत्र में एक फर्म ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। एक और फर्म को आशय पत्र जारी कर दिया गया है।

(ग) विचाराधीन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव राज्य प्रतिष्ठान का है और शेष गैर-सरकारी क्षेत्र के हैं।

तम्बाकू की खेती के अधीन क्षेत्र

3648. श्री वीरेन्द्रसिंह राव : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में वर्षवार प्रत्येक राज्य में कितनी भूमि में तम्बाकू की खेती हुई है; और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक राज्य में अनुमानतः कितनी उपज हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सन् 1967-68 से 1969-70 तक के 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में तम्बाकू के क्षेत्र, उत्पादन तथा प्रति हैक्टार उपज के अनुमानों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखो संख्या एल० टी० 57/471**] वर्ष 1970-71 के सम्बन्ध में ऐसे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

कपड़ा उद्योग में औसतन दैनिक नियुक्तियां

3649. डा० जी० एस० मेलकोटे : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के कपड़ा उद्योग में वर्ष 1970 तथा 1971 के दौरान पृथक-पृथक औसतन दैनिक नियुक्तियां कितनी रहीं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : 1969 में कपड़ा उद्योग में कुल अनुमानित औसत दैनिक नियुक्तियां 1,210,000 (अन्तिम) थीं। वर्ष 1970 और 1971 के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 का उल्लंघन

3650. डा० जी० एस० मेलकोटे : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नियोक्ताओं द्वारा कितने मामलों में औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 का उल्लंघन किया गया; और

(ख) इन मामलों में नियोक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

सरकारी उपक्रमों में स्थाई आदेशों के मसौदे का प्रमाणीकरण

3651. डा० जी० एस० मेलकोटे : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में स्थाई आदेशों के मसौदे का प्रमाणीकरण किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में मसौदे का प्रमाणीकरण अभी नहीं हुआ है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में दिसम्बर 1970 के अन्त तक 24।

(ग) कुछ मामलों में स्थायी आदेशों के मसौदे प्रस्तुत किए जा चुके हैं, परन्तु प्रमाणक अधिकारियों द्वारा निर्धारित सुनवाइयों के स्थगन के लिए सम्बन्धित पक्षों द्वारा की गई प्रार्थनाओं के कारण उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

ए० बी० बी० कर्मचारी संघ का कार्यालय

3652. **श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित ए० वी० बी कर्मचारी संघ का कार्यालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा जबरन ताला लगा दिया गया है और इसके सदस्यों को अपने संघ के कार्यालय में जाने नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही श्रमिकों के लोकतन्त्रीय अधिकारों और कार्मिक संघ आन्दोलन को कुचलने की दृष्टि से की गई है; और

(ग) सरकार ने संघ के कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने और श्रमिकों के कार्मिक संघीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

3653. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बोलपुर और सूरी स्थित भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के बारे में जनता की ओर से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) इन आरोपों की जांच की जा रही है।

उड़ीसा की बरसुआ लोहखानों के श्रमिकों के लिए खनन भत्ता

3654. **श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की बरसुआ लौह खानों के श्रमिकों को खान भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बरसुआ लौह खान के श्रमिकों को खनन भत्ते का भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) : प्रबन्धकवर्ग तथा खानों की यूनियनों के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार इस्पात उद्योग के लिए इस्पात वेतन मंडल की सिफारिशों को 1-1-1967 से बरसुआ लौह अयस्क की खानों के श्रमिकों के लिए भी लागू कर दिया गया था। इस समझौते की शर्तों के अनुसार 1 जनवरी 1967 से खनन भत्ता बन्द कर दिया गया है।

श्रमिकों को खनन भत्ता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि योजना से छूट

3655. **श्री दामोदर पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में कार्य करने वाले अनेक श्रमिकों को कोयला खान भविष्य निधि योजना के प्रावधानों से छूट दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन श्रमिकों को परिवार पेंशन योजना, 1971 का लाभ कैसे मिलेगा और सरकार इन श्रमिकों को इस योजना के अन्तर्गत लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कोयला खान भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध न्यासी बोर्ड से है जो कोयला खान भविष्य निधि, परिवार पेंशन तथा बोनस योजना अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। कोयला खान भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों के निम्न लिखित वर्ग अब कोयला खान भविष्य निधि योजना की परिधि से बाहर रखे गये हैं :—

(i) ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा-शर्तें रेल प्रतिष्ठानों में प्राप्त सेवा शर्तों के समान हैं

(ii) ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा-शर्तें उन्हें सिविल नियमों के अन्तर्गत पेंशन का अधिकार देती हैं।

(iii) ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा शर्तें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने तैयार की हैं।

(ख) श्रमिकों के पूर्वोक्त वर्गों को कोयला खान भविष्य निधि योजना की परिधि में लाने के प्रश्न की ताकि वे कोयला परिवार पेंशन योजना, 1971 के लाभ उठा सकें, जांच की जा रही

मिल उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की रूई सप्लाई के लिये उसको एगमार्क दिया जाना

3656. **श्री पीलू मोदी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में अलग अलग कपड़े की कितनी गाठें "रैड लेबल" तथा "ब्लैक लेबल" से एगमार्क की गई तथा वह किस किस्म की थीं; और

(ख) मिल उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की एगमार्क रूई अधिक मात्रा में दिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें क्या कार्यवाही कर रही हैं तथा आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चंडीगढ़ में ग्राम्य-बेरोजगारी योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

3657. **श्री अमरनाथ विद्यालंकर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने ग्राम्य-बैरोजगारी का विस्तार दर्शाने वाले आंकड़े एकत्र किए हैं;

(ख) ग्राम्य-बैरोजगारी की समस्या हल करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग) चंडीगढ़ प्रशासन ने सूचित किया है कि 200 ग्रामीण परिवार बेरोजगार अथवा आंशिक रूप से बेरोजगार हैं और प्रति परिवार एक व्यक्ति की दर से 200 व्यक्तियों के लिए वनरोपण और भूमि-संरक्षण परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने का प्रस्ताव किया है। 1971-74 के तीन वर्षों के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल लागत 7.50 लाख रु० है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1971-72 के लिए 2.60 लाख रु० की राशि मजूर की जा चुकी है।

चंडीगढ़ के निष्काषितों में व्याप्त बेरोजगारी

3658. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चण्डीगढ़ नगर का निर्माण करने हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि से निष्कासित किए गये कुल व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति बेरोजगार अथवा कम रोजगार वाले हो गये थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : चण्डीगढ़ प्रशासन के नोटिस में ऐसा कोई विशिष्ट मामला नहीं आया है जिसमें ऐसे लोग बेरोजगार या कम रोजगार वाले हो गए हों जिनकी भूमि अर्जित कर ली गई हो। निष्कासितों को उनकी भूमि अर्जित करने के लिए यथोचित मुआवजा दे दिया गया था।

कच्छ में 'लिग्नाइट' के निक्षेप

3659. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ क्षेत्र में हाल ही में लिग्नाइट के निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रदेश में उपलब्ध होने वाले निक्षेपों की मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या यहां पर लिग्नाइट के विदोहन के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप कच्छ जिले के छः परिक्षेत्रों में लिग्नाइट के कुल 19·5 करोड़ टन लगभग होने का अनुमान है। इनमें से लगभग 13·5 करोड़ टन एक मीटर से अधिक की पृथक-पृथक मोटाई वाली परतों के रूप में है।

(ग) राज्य सरकार के उद्यम गुजरात खनिज विकास निगम ने पनानध्रू में मुख्य निक्षेप में प्रायोगिक खदान कार्य किया है और केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जीलगोरा, के सहयोग से 100 टन के प्रपुंज नमूने संग्रहित किए हैं। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने कच्छ लिग्नाइट हेतु ब्रिकेटिंग परीक्षण किए हैं और इस लिग्नाइट के समुपयोजनार्थ प्राद्योग आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रारम्भ किया है।

सेलम, तमिलनाडु में कंदमूल की फसल में सुधार के लिये परियोजना

3660. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में सेलम जिले में कन्दमूल, विशेषकर टेपिओका की फसल में सुधार करने के लिये अखिल भारतीय समन्वित परियोजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो उक्त परियोजना के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा चौथी योजनावधि के दौरान 9.20 लाख रुपये की अनुमानित लागत से कन्दमूलीय फसलों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य करने के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना स्वीकृत की गई है। त्रिवेन्द्रम् स्थित केन्द्रीय कन्दमूलीय फसल अनुसंधान संस्थान के अतिरिक्त इस परियोजना के 4 केन्द्र तथा उपकेन्द्र हैं। इनमें से एक उपकेन्द्र तमिलनाडु राज्य में कोयम्बैटूर में है। अन्य केन्द्र/उप केन्द्रों में से एक-एक बिहार, आन्ध्र-प्रदेश और असम में स्थित हैं।

तमिलनाडु राज्य में कोई अन्य केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मूल्यों को स्थिर करने में सुपर बाजार का योगदान

3661. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली और अन्य बड़े नगरों में स्थिति सुपर बाजारों के कार्यकरण से संतुष्ट है:

(ख) क्या सुपर बाजार की स्थापना के कारण मूल्यों में स्थिरता आई है, और

(ग) क्या सरकार सुपर बाजार को बन्द करने अथवा देश के अन्य बड़े कस्बों और नगरों में इनको खोलने पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) सरकारी बहु-विभागी भण्डारों (सुपर बाजारों) के कार्य निष्पादन में एक संस्था से दूसरी संस्था में अन्तर रहा है। कुछ संस्थाओं ने अच्छा कार्य किया है, जबकि दूसरों ने कुशलतापूर्वक कार्य नहीं किया है और हानियां उठाई हैं। उनके व्यापार और प्रचालन कुशलता को सरल तथा कारगर बनाने तथा उसमें सुधार करने के उपाय राज्य सरकारों को सुझाए गए हैं। जहां तक दिल्ली सुपर बाजार का संबंध है, इसे हानि हुई है और इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यह एक चल सकने वाली यूनिट के रूप में कार्य कर सके।

(ख) सहकारी बहु-विभागी भण्डार (सुपर बाजार) बाजार पर एक स्वस्थ प्रभाव डालते हैं और उचित व्यापार पद्धतियों को अपनाने में सहायता देते हैं।

(ग) सहकारी सुपर बाजारों को बंद करने का सरकार का इरादा नहीं है। तथापि, उनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए प्रयत्न जारी रहेंगे। चौथी योजना में ऐसे चुने हुए केन्द्रों में सहकारी बहु-विभागीय भण्डार तथा बड़े-पैमाने की खुदरा यूनिटें स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जहां ऐसे भण्डारों के लिए अच्छी मांग तथा सम्भाव्यता है। उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास का कार्य अब राज्य क्षेत्र में हैं और इस बात का निर्णय राज्य सरकारों को करना है कि विस्तार कार्यक्रमों का स्वरूप तथा सीमा क्या होनी चाहिए।

Proper utilisation of fruits and Vegetables for Processing and Bottling to Avoid Waste

3662. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether fruits and vegetables which can be processed and sealed in bottles for future use go waste and are not made proper use of in the country due to the negligence of Government to develop the industries connected therewith; and

(b) if so, the steps taken by Government to ensure full utilisation of fruits and vegetables produced in the country ?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No studies have been carried out to determine the extent of losses in fruits and vegetables, but it is estimated that on an average this wastage affects 20 to 25% of the production of fruits and vegetables in the country starting from post-harvest handling till it reaches the consumer.

(b) Various measures have been taken to minimise the losses. Research is being carried out to determine the proper stage of harvesting and to minimise damage during transit and storage. Large number of cold storages have been set up in the Cooperative and Private Sector for proper storage of perishables. Besides efforts for increasing the exports of processed fruits and vegetables, Government are also encouraging its use for domestic consumption through the setting up of Community Canning Centres and mobile Extension Vans.

Setting up of Industries for Processing, canning and Bottling of Vegetables and Fruits in Bihar

3663. Shri K. M. Madbukar : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have made any estimate about the quantity of mangoes, lichies and other fruits exported from Champaran, Saran Muzaffarpur and Darbhanga Districts of Bihar for consumption in the country and abroad every year;

(b) whether Government propose to set up an industry in each of the said districts where processing, canning and bottling of fruits and vegetables could be undertaken; and

(c) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Information is not readily available.

(b) & (c) Four Cooperative Fruit and Vegetable Processing Units have been set up in Darbhanga and Muzaffarpur Districts. In addition there are also 5 small units in private sector in these two Districts.

रेलवे एम्पलाईज एसोसिएशन द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को भेजे गए विवादास्पद मामले

3664. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 और 1971 में मान्यता प्राप्त फैडरेशन के अतिरिक्त रेलवे एम्पलाईज एसोसियेशनों ने क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों को कितने विवादास्पद मामले भेजे गये तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों द्वारा कितने मामलों का निपटारा किया गया;

(ख) क्या आल इण्डिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसियेशन ने मई, 1971 में कुछ विवादास्पद मामले भेजे थे; और

(ग) यदि हां, तो विवाद की मुख्य बातें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही का गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) : एसोसियेशन ने श्री दीनानाथ खंडुजा, पार्सल क्लर्क, अहमदाबाद की ब्रांच को बदली के सम्बन्ध में एक विवाद प्रादेशिक श्रमायुक्त, बम्बई को भेजा है। एसोसिएशन से सम्बन्धित कागजात पेश करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार यह मामला फैसले के लिए विचाराधीन है।

कर्मचारी भविष्य निधि के दावे

3665. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत क्षेत्रीय आयुक्तों के विभिन्न कार्यालयों में बहुत बड़ी संख्या मे दावे के लिए आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हैं और यदि हां, तो 31 मार्च 1971 को क्षेत्रवार उनकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा शाखाएं अंशदाताओं को परेशान कर रही हैं और क्या सरकार ने कभी इस मामले की अब तक जांच करवाई है कि लेखा शाखा कुछ तुच्छ आधारों पर वास्तविक दावों को पास नहीं कर रही है; और

(ग) 31 मार्च, 1971 को, क्षेत्रवार कुल कितने लेखों का स्थानान्तरण हुआ, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेखों के स्थानान्तरण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा उसमें शीघ्रता लाने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और केन्द्रीय सरकार से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है:—

(क) 31-3-71 की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। एक विवरण, जिसमें सांविधिक निधि के सदस्यों के 31-12-1970 तक अनिर्णित दावा-आवेदन-पत्रों की क्षेत्रवार संख्या दिखाई गई है, संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 575/71]

(ख) जी नहीं। प्राप्त हुए, हर लिहाज से परिपूर्ण दावे, क्षेत्रीय कार्यालयों में मिलने के आम तौर पर 10 से 15 दिनों के अन्दर अन्दर भुगतान के लिए पास कर दिये जाते हैं। चूंकि दावे पास करने का सम्बन्ध भारी राशियों की अदायगी से है, इसलिए अधिक/गलत अदायगी से बचने के लिए उचित जांच करनी पड़ती है तथा काफी सावधानी बरतनी पड़ती है।

(ग) 31-3-1971 की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। एक विवरण, जिसमें 31-12-70 को अनिर्णित पड़े लेखों के स्थानान्तरण के मामलों की क्षेत्रवार संख्या दी गई है, संलग्न है। (परिशिष्ट II)। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लेखों के स्थानान्तरण में विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं:—

(i) विहित फार्मों की अप्राप्ति अथवा अपूर्ण प्राप्ति;

(ii) अधिकतर जमा-इन्दराज को खोजने के सिलसिले में विभिन्न पक्षों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया (या किया जाने वाला) लम्बा पत्र-व्यवहार; और

(iii) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा जारी की गई जमा-सूचनाओं के आधार पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की विभिन्न शाखाओं द्वारा राशियों के स्थानान्तरण में विलम्ब।

हाल ही में आदेश जारी किये गये हैं ताकि प्राप्त करने वाले क्षेत्र के हक में जारी किए गए रेखित चैक/मांग-ड्राफ्ट द्वारा भविष्य निधि संग्रह, एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानान्तरित किये जा सकें। इस उपाय के लाभदायक परिणाम निकलने लगे हैं।

चाय बगानों को अमोनिया सल्फेट का वितरण

3666. **श्री वयालार रवि** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रेल-जून, 1971 की अवधि में चाय बगानों के लिए कुल कितना अमोनिया सल्फेट वितरित किया गया है; और

(ख) इसका वितरण किन एजेन्सियों के द्वारा किया गया।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) अप्रैल-जून, 1971 की अवधि में चाय बागानों को 19,236 मीटरी टन अमोनियम सल्फेट का वितरण किया गया था।

(ख) केन्द्रीय उर्वरक भण्डार ने आयातित एमोनियम सल्फेट का वितरण भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय राज्य भण्डागार निगमों के माध्यम से किया है। भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान स्टील निगम ने अपने अमोनियम सल्फेट का वितरण अपने वितरकों द्वारा तथा फर्टिलाइजर केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड ने एमोनियम सल्फेट का वितरण स्वयं ही किया है।

मन्नम शुगर मिल लिमिटेड, केरल को ब्याज मुक्त ऋण

3667. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचाराधीन केरल राज्य में पोंडालम स्थित मन्नम शुगर मिल कोआपरेटिव लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण देने का कोई प्रस्ताव है जिससे मिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम आदि को देय राशि चुका सके, और

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है और यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यावाही की गई है तथा उसे कब तक ऋण दिया जायेगा ?

कृषि मत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 150 लाख रू० का ब्याज मुक्त ऋण देने का अनुरोध किया था, ताकि केरल राज्य में पन्दलम स्थित मन्नम शुगर मिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, औद्योगिक वित निगम और जीवन बीमा निगम को अपनी देय राशी चुका सके। भारत सरकार ने इस सहकारी सोसायटी की आर्थिक जीव्यत्ता तथा इसकी पुनःस्थापना की संभाव्यता पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की है, जिसमें राज्य सरकार का भी एक प्रतिनिधि शामिल है। इस समिति से अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1971 के अन्त तक देने की आशा की जाती है। इस सहकारी सोसायटी की पुनः स्थापना के लिए और सहायता देने की आवश्यकता के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

केरल में भुवैज्ञानिक सर्वेक्षण

3668. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के कस्मगप्पली, चुरावा, क्विलोन और वडागरा स्थानो में विभिन्न खनिज पदार्थो के भारी निक्षेपों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में व्यापक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का है जिससे खनिज पदार्थो के इन निक्षेपों का उपयोग किया जा सके : और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने क्युलोन, एल्लेप्पे और कोजिकोडे जिलों में मिट्टियों, ग्रेफाइट, अभ्रक और बाक्साइट के लिए पहले ही अन्वेषण किये हैं। कोजिकोडे जिले के वादागारा क्षेत्र में पारे के लिए अन्वेषण गत वर्ष प्रारम्भ किया गया था और वर्तमान सत्र के दौरान जारी रखा जारहा है। क्युलोन जिले के

कुरणागप्पली और चुरावा और कोजिकोडे जिले के वादागारा क्षेत्रों में खनिज निक्षेप अवस्थित करने के लिए व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण और सर्वेक्षण भी प्रगति पर है।

(ख) इस समय, राज्य में अवस्थित किए गए खनिज निक्षेपों के पूर्वेक्षण सहित, इस सर्वेक्षण के पूरा होने का समय विनिर्दिष्ट करना कठिन है।

बालू तथा चीनी मिट्टी पर अनुसन्धान करने के लिए केरल में अनुसन्धान केन्द्र

3669. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के 'वाडगरा' क्षेत्र में पारे की विद्यमानता के बारे में उस क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण करने तथा समुद्री बालू और चीनी मिट्टी का अनुसंधान करने के लिये राज्य में अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इस बारे में कोई अनुरोध किया गया है। और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस कार्य में कुल कितना धन व्यय होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कुमारमंगलम्) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में वाडागारा के नजदीक पारा के लिए पहले ही अन्वेशण कार्य किया है और चालू क्षेत्रीय सत्र के दौरान कार्य को अग्रता आधार पर जारी रखा जारहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रयोगशालाओं में इस क्षेत्र से लिए गए अनेक नमूनो को विश्लेषित किया गया है और आस्ट्रेलिया की खनिज विकास प्रयोगशाला, एडेलैडे को दो नमूनो को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। इन परीक्षणों के परिणाम प्रतीक्षित है ।

इस समय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का केरल में तटीय रेत और चीनी मिटटी के लिए अ्नुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : केरल सरकार द्वारा राज्य में पारे केलिए समन्वेषण कार्य को त्वरित करने के लिए अनुरोध किया गया है। संक्रिय को उत्कट बनाने का कार्यक्षेत्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निरन्तर संवीक्षाधीन है और क्षेत्र मे किए जारहे परीक्षणो के परिणाम प्राप्त होने पर आगे संवर्धन निर्भर होगा। चालू अन्वेषणो पर लगभग 2 लाख रुपए के व्यय के उपगत होने की सम्भावना है।

विदेशी तेल कम्पनियों में रोजगार की सुरक्षा

3670. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोखले आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के उपरान्त विदेशी गैर-सरकारी तेल कम्पनियों में कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में बर्माशैल, एस्सो तथा कालटेक्स विपणन कम्पनियों और उनकी तेल शोधन कम्पनियों में कर्मचारियों और प्रबन्धकों का रोजगार स्तर क्या है;

(ग) क्या उन भूतपूर्व कर्मचारियों, जिन्हें सामान्य सेवानिवृत्ति से पूर्व अनिच्छा से अपने रोजगार से वंचित होना पड़ा था, को इस विदेशी तेल कम्पनियों से नयी खुदरा बिक्री की एजेंसियों का नियतन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादनों का वितरण करने में प्राथमिकता देने की वांछनीयता के बारे में विचार किया गया है; और

(घ) क्या वह उन अत्यधिक कर्मचारियों, जिनकी सेवाए विदेशी तेल कम्पनियों के व्यापार में गिरावट आने और प्रशासनिक, प्रबन्ध, संचालन और तकनीकी कार्यों का कम्यूटीकरण होने के कारण फालतू किये जाने के फलस्वरूप उन विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा समाप्त कर दी गई थीं, के तकनीकी ज्ञान, प्रबन्ध-कुशलता और औद्योगिक अनुभव का पूर्ण उपयोग करने के लिये योजना बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) तेल कम्पनियों तथा अन्य समान उद्योगों में श्रमिकों की नौकरी की अधिकाधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव विभिन्न सम्बंधित पक्षों के पास टिप्पणियों के लिए भेजे गए हैं। कुछ टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं; अन्यों की प्रतीक्षा है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 576/71]**

(ग) और (घ) भारतीय तैल निगम की यह नीति है कि जब कभी भारतीय तेल निगम को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तब वह विदेशी तेल कम्पनियों के भूतपूर्व कर्मचारियों को भर्ती के लिए, पूर्णतम अवसर देगा। इस प्रकार के कर्मचारियों की खपत को सुकद बनाने के लिए, भारतीय तेल निगम ने इन कर्मचारियों के पक्ष में न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में ढील देने पर भी विचार किया है।

बेरोजगारी दूर करने के लिए कारखानों और खानों में कार्य घंटों को कम करना

3671. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कारखानों और खानों में कुल दैनिक कार्य घंटे कितने है; और

(ख) क्या बेरोजगारी दूर करने के लिये एक उपाय के रूप में कार्य-घंटे कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 के अधीन वयस्क श्रमिकों के सम्बन्ध में दैनिक कार्य घंटे नौ घंटों (खानों में भूमि के नीचे नियुक्त श्रमिकों के सम्बन्ध में आठ घन्टे) से अधिक नहीं होने चाहिएं।

(ख) इस समय इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गोवा में खनिज सम्बन्धी रियायतों को समाप्त करना

3672. श्री इराज्युद सेकेरा : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके द्वारा गोवा में दी जाने वाली खनिज सम्बन्धी रियायतों को समाप्त कर दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो किन खनिजों के लिए रियायतों को समाप्त कर दिया गया है और ये आदेश किस तारीख को जारी किए गए थे; और

(ग) गोआ की किन–किन पार्टियों को ये रियायतें दी गई थीं और उपर्युक्त आदेश की तारीख से पिछले तीन महीनों के लिए किस–किस तारीख को इनमें से प्रत्येक रियायत दी गई थी ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) : जी हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तावित समन्वेषण कार्य को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, गोवा, दमन और दिव सरकार से 6-7-69 को यह कहा गया था कि वह अन्वेषण के समाप्त होने तक क्षेत्र में बाक्साइट के लिए प्राइवेट दलों को खनिज रियायतें अनुदत्त न करें।

(ग) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में तांबे के निक्षेप

3673. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य के साउथ अर्काट में ममोंदुर स्थान पर ताम्बे के भारी निक्षेपों के बारे में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है।

(ख) क्या वहां से तांबे के निक्षेपों को निकालने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप 0.63% स्यू०, 2% पीबी० और 2.73% जैड़न० को विश्लेषित करने वाली अयस्क की 9 लाख टन उपलभ्य राशियां उपदर्शित हुई थीं। चूंकि उपलब्ध उपलभ्य राशियां इतनी वृहद मात्रा में नहीं है कि उनका पृथक-पृथक समुपयोजन किया जा सके, अतः तमिलनाडु राज्य सरकार ने, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में क्षेत्र में अतिरिक्त उपलभ्य राशियां प्रमाणित करने के लिए और पूर्वेक्षण प्रारम्भ किया है। क्षेत्र में के सामांतर गुप्त निक्षेपों को, यदि कोई हों, अवस्थित करने के लिए संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा प्रवृत ध्रुवण प्रणाली से भूवैज्ञानिक समन्वेषण अपेक्षित है। इन अन्वेषणों पर संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम की अन्तिम रिपोर्ट की परीक्षा की जा रही है।

(ख) अतिरिक्त उपलभ्य राशियों को प्रमाणित करने के लिए अनुध्यात अन्वेषणों के परिणाम प्राप्त होने पर ही समुपयोजन के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बंगला देश के शरणार्थियों द्वारा दम दम हवाई अड्डे के कुछ भाग पर कब्जा

3674. श्री समर गुह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के बहुत से शरणार्थियों ने दम दम हवाई अड्डे के एक भाग पर कब्जा कर लिया है;

(ख) क्या इससे किसी विमान के उतरने में खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो बंगला देश के शरणार्थियों को वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इन शरणार्थियों को वैकल्पिक स्थानों पर भेजा जा रहा है । वास्तव में इनमें से 30,000 शरणार्थियों को पहले ही माना शिविर समूह, (मध्य प्रदेश) में भेजा जा चुका है ।

आंन्ध्र प्रदेश में दोषपूर्ण आर० एस०—09 ट्रैक्टरों का वितरण

3675. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में वापस लिये गए दोषपूर्ण आर० एस०—09 ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या ट्रैक्टर का पूरा मूल्य लौटा दिया गया है; और

(ग) क्या मूल्य नकदी में लौटाया गया है, अथवा नहीं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम ने बताया है कि अब तक 21 संशोधित और 20 असंशोधित आर० एस०-09 ट्रैक्टर वापस दिये गये ।

(ख) अभी तक ट्रैक्टरों की लागत वापस नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

हिन्दुस्ताव स्टील लिमिटेड के अधीन इस्पात कारखानों का कार्यकरण

3676. श्री अचल सिंह : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में किस तिथि से कार्य किया जा रहा है;

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अन्तर्गत कितने कारखाने हैं तथा उनके चैयरमैनों के नाम क्या हैं; और

(ग) अब तक प्रत्येक कारखाने में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 19 जनवरी 1954 को संस्थापित की गई थी।

(ख) और (ग) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन कारखानों के नाम, उनके महा-प्रबन्धकों के नाम तथा 31-3-1971 तक उनमें लगी पूंजी इस प्रकार है:—

	कारखाना	महाप्रबन्धक	31-3-1971 तक लगी पूंजी (करोड़ रुपये)
1.	भिलाई इस्पात कारखाना	श्री जी० जगतपति	401.76
2.	राउरकेला इस्पात कारखाना	श्री आर० पी सिन्हा	405.72
3.	उर्वरक कारखाना, राउरकेला		21.42
4.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	मेजर जनरल बी० पी० वढेरा	274.25
5.	मिश्रित इस्पात कारखाना, दुर्गापुरा	डा० ए० के० बोस	63.34

इन आंकड़ों में सम्मिलित 1970-71 के पूंजीगत व्यय के आंकड़े अस्थायी हैं क्योंकि वर्ष 1970-71 का हिसाब किताब अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

कृषि के विस्तार के लिये क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3677. श्री जी० भुवाराहन : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विस्तार के लिये क्षेत्र विकास कार्यक्रम की राज्य-वार मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु राज्य के लिये इस प्रयोजन हेतु कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ग) : अब तक दो प्रकार के क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किये गये हैं और उनकी मुख्य बातों का वर्णन नीचे किया गया है :—

1. सिंचाई की सम्भाव्य क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 करोड़ रुपये (प्रत्येक चुनींदा कमान्ड क्षेत्रों के लिये 1.5 करोड़ रुपये) के योजना प्रावधान से कुछ नई विकसित सिंचाई परियोजनाओं में एक समेकित विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, उपयुक्त केन्द्रों पर नियंत्रित बाजार स्थापित किये जायेंगे और उनको समीपवर्ती क्षेत्रों से सम्बद्ध करने के लिये सब मौसमों की सड़कों का निर्माण किया जायेगा। इन मदों का व्यय केन्द्रीय क्षेत्र से पूरा किया जायेगा और ये योजनायें सम्बन्धित राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जायेंगी। किसी कमान्ड क्षेत्र को उपरोक्त कार्यक्रम में सम्मिलित करने से पहले, सम्बन्धित राज्य सरकार को निम्नलिखित अन्य सब आवश्यक सेवाओं तथा आदानों की व्यवस्था करने के लिये मानना पड़ता है :—

(क) उचित प्रशासन व्यवस्था

(ख) मृदा सर्वेक्षण

(ग) भूमि समतलन तथा भूमि को ठीक करना

(घ) उचित सिंचाई पद्धति तथा जल निकास की मांग का निर्धारण

(ङ) फसल प्रतिमान

(च) जोत की चकबन्दी

(छ) ऋण, बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधि तथा कृषि मशीनरी जैसे आदानों की व्यवस्था।

(ज) पर्याप्त अनुसंधान आधार का निर्माण

(झ) किसानों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण का विस्तार

(ट) मंडी नगरों के आस-पास नगरों तथा नये शहरी केन्द्रों की योजना।

(ट) परिसंस्करण उद्योग

(ड) भूगत जल की खोज द्वारा पूरक सिंचाई

2. हाल में निम्नलिखित क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है :

राज्य	कमान्ड क्षेत्र
1. बिहार	कोसी कमान्ड
2. आंध्र प्रदेश	नागार्जुन सागर तथा पौचामपेड कमान्ड
3. मैसूर	तुंगभद्रा कमान्ड
4. राजस्थान	राजस्थान कानन कमान्ड
5. गुजरात	माही–कदना कमान्ड
6. मध्य प्रदेश	तावा कमान्ड
7. तमिलनाडु	कावेरी कमाण्ड
8. पश्चिम बंगाल	कंगसाबती कमान्ड
9. महाराष्ट्र	जयकवाडी स्टेज–1

2. संघ गणराज्य जर्मन सरकार की तकनीकी तथा सामग्री सम्बन्धी सहायता से, हिमाचल प्रदेश के मंडी तथा कांगड़ा जिले, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले तथा उत्तर प्रदेश के अलमोडा जिले में, कृषि विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ये क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं, जिन पर अन्य बातों के साथ–साथ चारा तथा भूशा की खेती, मृदा संरक्षण, बागवानी का विकास, फार्म यंत्रीकरण, पशुपालन का विकास, डेरी आदि, तथा सिंचाई सुविधाओं का सृजन, गोदामों का निर्माण, विपणन का विकास तथा कृषि कार्मिकों एवं किसानों की प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने जैसे अवस्थापना के विकास सहित मिश्रित खेती पर बल दिया गया है।

सघन फार्म योजना, आदानों की सुविधा तथा क्षेत्र में किसानों के लिए खेत में मार्गदर्शन तथा मरम्मत सेवा के माध्यम से तथा भूमि ठीक करने, फसल का विकास, सिंचाई का विकास, फार्म यंत्रीकरण तथा धान का परिसंस्करण जैसे क्रिया-कलापों सहित उत्पादन–क्षमता के विकास से, कृषि उत्पादन को बढ़ाने लिये, महाराष्ट्र के कोलाबा जिले में जापान सरकार की सहायता से एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

(ख) उपरोक्त विवरण से ज्ञात होगा कि तमिलनाडु कावेरी कमान्ड क्षेत्र हाल में समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अब सम्मिलित किया गया है और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको 1.5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मिल सकती है, जिसकी कीमत 1.50 करोड़ रुपये हैं। इस क्षेत्र के लिये हाल ही में सड़क निर्माण तथा बाजार क्षेत्र से सम्बन्धित 1.50 करोड़ रुपये की लागत की योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

भारत–जर्मन नीलगिरी विकास परियोजना भी तमिलनाडु में स्थित है और भारत सरकार के माध्यम द्वारा संघ गणराज्य जर्मनी सरकार से तकनीकी तथा सामग्री सम्बन्धी सहायता प्राप्त की जा रही है। धन राशियां, समय--समय पर परस्पर स्वीकार की गई तकनीकी तथा मदों के स्वरूप तथा परिमाण पर निर्भर करती हैं।

मेघालय में बंगला देश के शरणार्थियों की स्थिति

3678. **श्री बी० के० दास चौधरी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये बहुत से व्यक्तियों ने मेघालय राज्य में शरण ली है जिनकी उपयुक्त रूप से देखभाल नहीं की जा रही है, यद्यपि इस दिशा में भारत सरकार के स्पष्ट निदेश हैं;

(ख) यदि हां, तो शरणार्थियों की संख्या कितनी है तथा उनके राशन तथा अन्य आवश्यकताओं की क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या मेघालय सरकार उन्हें इस बात की अनुमति नहीं दे रही है कि वे कैम्पों से अपने सम्बन्धियों के पास जा सकें जो अन्य राज्यों में रहते हैं तथा उनका सारा उत्तरदायित्व सम्भालने के इच्छुक हैं; और

(घ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध मे कोई शिकायत प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई हिदायतों के अनुसार, राज्य सरकार उचित रूप से इन शरणार्थियों की देख-भाल कर रही है।

(ख) 22-6-1971 तक 2,54,927 व्यक्ति मेघालय में आये थे, जिनमें से 2,39,800 व्यक्ति शिविरों में रह रहे थे। शिविरों में रहने वालों के लिए राशन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) और (घ) : जी, हां। इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946 की धारा 3 में की गई व्यवस्था के अनुसार, पूर्वी बंगाल से आने वाले सभी शरणार्थियों का भारत आने पर पंजीकृत होना आवश्यक है और शुरू में उन्हें तीन महीनों की अवधि के लिए अस्थायी रिहायशी परमिट जारी किये जाते हैं। सामान्यतः उन्हें उस स्थान को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाती जहां कि उनका पंजीकरण किया गया हो। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकारों को शर्तों में छूट देने का अधिकार दे दिया गया है और वे उन्हें बाहर जाने की अनुमति दे सकती हैं।

प्र० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : अध्यक्ष महोदय ! केरल सरकार से मुझे अभी सूचना मिली है कि वहां पर भारी बाढ़ के कारण अत्यधिक विनाश हो गया है अन्य राज्यों में अर्थात उत्तर प्रदेश तथा बिहार भी ऐसी घटनाएं हुई होंगी। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर चर्चा का प्रबन्ध किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं केवल ध्यान दिलाने वाली सूचना की ही अनुमति दे सकता हूं। मैं आगामी सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा। चीनी और बाढ़ सम्बन्धी दोनों समस्याओं पर चर्चा बहुत दिनों से अपेक्षित की जा रही है अतः इसके लिए कोई समय निकालने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! मन्त्री महोदय भी समाचार पत्रों को पढ़ते हैं अतः उन्हें स्वयं ही महत्वपूर्ण मामलों पर वक्तव्य देना चाहिये। आप उनसे याह्या खां के वक्तव्य के बारे में वक्तव्य देने के लिय कहिये। अमरीका ने पाकिस्तान को पुनः हथियार देना आरम्भ कर दिया है। कृपया मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप श्री सिद्धार्थ शंकर राय की नियुक्ति के बारे में चिंतित हैं। मैंने आपके पत्र को प्रधान मन्त्री के पास भेज दिया है। मन्त्रिमण्डल में पदों के सम्बन्ध में मैं कोई विनिर्णय नहीं दे सकता। उन्होंने मन्त्री की नियुक्ति कर दी है।

श्री समर गुह : मैंने आपका विनिर्णय नहीं मांगा था। मैं इस मामले को सदन में उठाना चाहता था। यह नियुक्ति असंवैधानिक तथा अवैध है। मैं यही प्रश्न उठाना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों को कार्यभार सौंपने का अधिकार प्रधान मन्त्री को है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, we have not received today Hindi list of Business. Hindi is being ignored now.

Mr. Speaker : I will look into the matter.

श्री एम० एम० पटेल (धन्धुका) : आपने बताया कि आपने उसे प्रधान मन्त्री को भेज दिया है। वह कब तक अपने विचार व्यक्त करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

सभा–पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पत्र

इस्पात और खान मंत्री (श्री मोहन कुमारमंगलम्) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) तुंगभद्र स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 548/71]**

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 549/71]**

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली बैलन मिल गेहूं उत्पाद (मिल वाह्य तथा खुदरा) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 943क में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 567/71]**

अनुदानों की मांगें 1971-72
DEMANDS FOR GRANTS 1971-72

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय-जारी

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अपना भाषण जारी करें।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं वर्तमान श्रम सम्बन्धी स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। वास्तव में हमारे समक्ष आर्थिक रूप से आपतकाल है, क्योंकि सीमापार से लाखों व्यक्ति हमारे देश में मजबूरी में आ गये हैं।

पाकिस्तानी सैनिक शासक भी हमारी अर्थ-व्यवस्था को अव्यवस्थित करना चाहते हैं। वर्ष 1962 और 1965 में पड़ोसी देशों द्वारा उत्पन्न की गई आपतकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिये जनता ने अद्‌भुत एकता का परिचय दिया था। आज की परिस्थिति में भी जनता, कर्मचारी और सरकार को भी उसी एकता और त्याग की भावना से कार्य करना चाहिये।

मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में बहुत से सुझाव दिये गये हैं। मैं यहां केवल कुछ बातों का ही उल्लेख करूंगा तथा मननीय सदस्यों के यथासम्भव प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लिखित आंकड़ों से पता लगता है कि औद्योगिक विवादों के कारण बहुत घाटा हुआ है। किन्तु फिर भी वर्ष 1971 में परिस्थिति में कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। मैं मानता हूँ कि श्रमिकों की कुछ वास्तविक कठिनाइयां हैं तथा उनके अधिकारों को छीना नहीं जाना चाहिये। तथापि इस स्थिति में कोई ऐसा कार्य करना जिससे उत्पादन में रुकावट आये, राष्ट्रीय हितों के विपरीत है। खेद की बात है कि कारखानों के बन्द होने के कारण लाखों व्यक्तियों को बेरोजगार होना पड़ा है।

ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब प्रबन्धकों को विवश होकर कारखानों को बन्द करना पड़ता है, किन्तु प्रायः कभी-कभी ऐसा भी होता है कि औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिये प्रबन्धक तालाबन्दी को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। इस मनोवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिये तथा ऐसे प्रबन्धकों को अवश्य दण्ड मिलना चाहिये।

मैं डा० रानेन सेन, श्री एस० एम० बनर्जी आदि अन्य माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इस मामले को त्रिपक्षीय बैठक में उठाया जायेगा तथा सभी दलों के सहयोग से ऐसे उपाय किये जायेंगे जिससे बिना उचित समय का नोटिस दिये कारखानों को बन्द करने तथा लाखों व्यक्तियों को बेरोजगार करने की प्रक्रिया को रोका जा सके।

सूती कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त भी कुछ अन्य उद्योगों ने कारखानों को बन्द करने की धमकी दी है। कुछ कारखानें बन्द भी कर दिये गये हैं। अतः इस समस्या के बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक सम्बन्ध और औद्योगिक विवादों को सुलझाने के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट सिफारिशें की थी किन्तु श्रम आन्दोलन से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण वर्गों ने इन पर अपने विचार व्यक्त नहीं किये है। मुझे संतोष है कि गत मई मास में कार्मिक संघों के नेताओं से मेरी सफलतापूर्वक बातचीत हुई है तथा कुछ विवादास्पद समस्याओं को सुलझाने की सम्भावनाएं हुई हैं। कार्मिक संघों में एकता के लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है तथा प्रसन्नता को बात है कि श्रमिकों तथा उनके नेताओं के रवैये में परिवर्तन आया है। आशा है राष्ट्रीय त्रिपक्षोय बैठक में कार्मिक संघों को मान्यता देने तथा विवादों को हल करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकेंगे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिये उनको भी बुलाया जाना चाहिये। मैं बताना चाहता हूँ कि इस सुझाव पर भी विचार किया जायेगा।

यह बात सही है कि मूल्यों में वृद्धि के कारण श्रमिकों की वास्तविक आय में कमी हुई है किन्तु इस कठिनाई को मजूरी में वृद्धि करके अधिक दिन तक नहीं सुलझाया जा सकता। वर्तमान स्थिति में उत्पादिता में वृद्धि करके ही वास्तविक आय बढ़ाई जा सकती है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मूल्यों में वृद्धि से आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक हानि नहीं हुई है। गत कुछ वर्षो में उनकी वास्तविक आय लगभग समान रही है। इसके विपरीत कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को ही इससे अधिक हानि हुई है। हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिये कि कृषि तथा इससे सम्बद्ध कार्यों में लगे लोगों की संख्या बहुत अधिक है तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई हैं। अतः उनकी वास्तविक आय तथा औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों की वास्तविक आय में मूल्यों में वृद्धि के कारण बहुत अन्तर

पड़ गया है। तथापि मैं यह नहीं मानता कि आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों की आय पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे कहने का आशय यह है कि तुलनात्मक रूप से इन पर कम प्रभाव पड़ा है।

कुछ माननीय सदस्यो ने बोनस का प्रश्न भी उठाया था। जब सदन को सम्पूर्ण स्थिति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा, तब इसके बारे में मैं एक नया विधेयक बनाऊंगा। बोनस अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र ही आता है किन्तु गैर-प्रतिस्पर्धी क्षेत्र को भी इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया है। सम्बद्ध पार्टियों के परामर्श से पूरी स्थिति की समीक्षा अवश्य की जायेगी।

भविष्य निधि के भुगतान का प्रश्न भी उठाया गया है तथा वह न्याय संगत भी है। कुछ मामलों में देखा गया है कि मालिक कर्मचारियों को अपने अंशदान के बजाय उनकी भविष्य निधि की पूंजी का जो मालिकों ने श्रमिकों की मजूरी में से काटी थी, भुगतान नहीं करते हैं। सरकार ने इस प्रवृत्ति को समाप्त करने का निश्चय कर लिया है तथा ऐसे मालिकों को दण्ड देने के बारे में वैधानिक उपाय तैयार कर लिये गये हैं जो उचित समय पर भविष्य निधि का भुगतान नहीं करते।

प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की योजना अभी तक अधिक सफल नहीं रही है। अब प्रस्ताव यह है कि निदेशक मंडल में श्रमिकों के प्रतिनिधि को वास्तविक श्रमिकों में से ही मनोनीत किया जायेगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में यह व्यवस्था पहले ही विद्यमान है। कार्मिक संघों का यह उत्तरदायित्व है कि वह उपयुक्त व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त करें जो सभी कार्यों पर पूरी निगाह रख सके तथा अपने उद्देश्य को न भूले। इस सम्बन्ध में मैं सभी श्रम-नेताओं का सहयोग चाहता हूँ कि वे ऐसा तरीका निकालें जिससे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व प्रभावकारी तथा लाभप्रद रहे।

अस्पतालों या शिक्षा-संस्थाओं में कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा देने की माँग की गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कृषि-श्रमिकों की समस्याएं भीउठाई हैं। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही नहीं कहा जा सकता कि उनकी स्थिति में सुधार करने का कार्य राज्य सरकारों का है।

यह समस्या बहुत गम्भीर है तथा इसका समाधान तभी सम्भव है जब कृषि कार्य को व्यवस्थित किया जाये, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो तथा ग्रामीण उद्योग आधुनिक बनाये जा सकें। हरित क्रांति से भी ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों की समस्याएं बहुत कुछ हल होंगी। श्रम नेताओं से भी मेरा निवेदन है कि वे उस क्षेत्र में प्रभावकारी संगठन बनायें।

जहां तक ठेकेदारों के अधीन कार्य करने वाले श्रमिकों की कठिनाइयों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में नये कानूनों को लागू कर दिया गया है। इससे उनको राहत मिलेगी।

बेरोजगारी तथा कम रोजगार की समस्या से मै भी चिंतित हूँ। जन संख्या में भारी वृद्धि के कारण इस सम्बन्ध में गत तीन योजना अवधि में जो भी उन्नति की गई है वह समाप्त प्रायः हो गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गत तीन योजना अवधि में 3,15,00,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था। वर्ष 1966, 1967 और 1968 में सूखा के कारण यह

समस्या और भी गम्भीर हो गई। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये हैं किन्तु सीमापार उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थिति के कारण हमारे सभी प्रयत्न विफल हो गये हैं।

श्री वी० के० आर० वी० राव ने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं। उनका पहला सुझाव श्रमिक विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है। मेरा निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार करें जिस पर विचार किया जा सके। उनका यह भी सुझाव है कि उस विश्वविद्यालय का नाम एन० एम० जोशी विश्वविद्यालय रखा जाये। मेरे विचार से श्री जोशी भारतीय श्रम आंदोलन के जनक थे और उनके नाम पर इस संस्थान का नाम रखना उचित है। आशा है श्री राव इस बारे में सदन के समक्ष ठोस प्रस्ताव रखेंगे।

बंगला देश के विस्थापित व्यक्तियों के बारे में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किये जाने के उनके दूसरे सुझाव के बारे में मेरा निवेदन है कि यह कार्य तभी आरम्भ हो सकता है जब हम यह माने कि वे यहां हमेशा के लिए बस गये हैं। हम ऐसा नहीं मानते और हमने उन्हें वापस भेजने का निश्चय कर लिया है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से वर्तमान समस्या का कोई समाधान भी नहीं होगा। अतः में उनके इस सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

उन्होंने रोजगार कार्यालयों में कतिपय कदाचारों का भी उल्लेख किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में रोजगार कार्यालयों का प्रबन्ध राज्यों के अधीन है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान श्रम मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिसमें उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण देश में विभिन्न स्तर की योग्यता वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाया गया है।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, लुधियाना, कानपुर तथा नई दिल्ली में ऐसे सात संस्थान स्थापित कर दिए गए हैं। अन्तिम संस्थान महिलाओं के लिए है। इन सस्थानों में नये प्रशिक्षकों के अतिरिक्त पुरानों को भी आधुनिकतम तकनीकों से परिचित कराने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें इन्जीनियरी में स्नातक तथा डिप्लोमा धारियों को भी एक वर्ष का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे प्रशिक्षण को विदेशों में भी मान्यता दी गई है तथा अब तक 21 देशों के 800 व्यक्तियों को हस्तशिल्प तथा शिल्प प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय! यदि सरकार एल्धाक एश्डान के प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लें तो उसको दिवालिया होने से बचाया जा सकता है।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधि मुझ से मिले थे। मालूम हुआ है कि सट्टेबाजी के कारण इन कम्पनियों ने लाभ को अपने अधिकार में कर लिया गया तथा इन कम्पनियों को घाटा दिखा दिया। मुझे ज्ञात हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : 'दि स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने एल्धाक एशडान को 100 लाख रुपयों तथा महाराष्ट्र बैंक ने 50 लाख रुपयों का ऋण दिया है। अतः दि स्टेट बैंक आफ इण्डिया उस कम्पनी में अपना प्रशासक नियुक्त कर सकता है।

भावनगर में काम कर रही इन्जीनियरिंग कम्पनी के कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। इस सम्बन्ध में जांच के आदेश जारी किये गए हैं। लेकिन इस बीच प्रशासक की नियुक्ति जरूर की जानी चाहिये।

श्री आर० के० खाडिलकर : वर्तमान स्थिति में फर्म को अपने अधिकार में लेना बहुत कठिन है। राज्य सरकार इस बारे में रूचि ले रही है और मैं भी इस मामले में कार्यवाही कर रहा हूँ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि आप अपने संवर्ग के जिम्मेवार व्यक्ति की नियुक्ति वहां प्रशासक के रूप में करते तो फर्म को दिवालेपन से रोका जा सकता था और समस्या को हल किया जा सकता था। यह बात महाराष्ट्र सरकार पर ही नहीं छोड़ी जानी चाहिये थी।

श्री पी० एम० मेहता : वित्त मन्त्रालय के द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया से प्रशासक नियुक्त करने का आग्रह किया जा सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : क्या बन्द और संकटग्रस्थ मिलों को अपने हाथ में लेने का सरकार ने कोई निर्णय किया है ? मैं औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम के कार्य के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस बारे में सभी सुझाव औद्योगिक विकास निगम को भेजे जाने चाहियें। हमारा केवल बेरोजगारी के मामले से सम्बन्ध है।

केन्द्रीय क्रियान्विति और मूल्यांकन समिति ने, अगस्त, 1967 में हुई अपनी 13वीं बैठक में यह निर्णय किया था कि उसकी बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होनी चाहिये। गत वर्षों में विभिन्न कारणों से केन्द्रीय क्रियान्विति और मूल्यांकन समिति की बैठक वर्ष में चार या तीन बार नहीं हो सकी। वास्तव में समिति की केवल एक बैठक 1962, 1963, 1964 आदि में हुई।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) आई० ई० एल० कर्मचारियों की मांगें सरकार के समय पर हस्तक्षेप के कारण हल हो गई हैं। जे० के० रेयान मिल के मामले में श्रमिकों ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के मध्यस्थ निर्णय को स्वीकार कर लिया है लेकिन कम्पनी ने उनके निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। सरकार को इस मामले में कुछ सहायता देनी चाहिये।

श्री आर० के० खाडिलकर : इस मामले के लिए मुख्यतया राज्य सरकार जिम्मेवार है। आई० ई० एल० और आई० सी० आई० मिलों के बन्द हो जाने से देश को 4 करोड़ रुपये की हानि हुई और बड़ी कठिनाई से हमने हड़ताल समाप्त कराई है। इस मामले में प्रबन्धक मुख्य मन्त्री को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : सरकार ने जे० के० रेयन्स को एक करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी है। क्या मन्त्री महोदय इसको मुख्य मन्त्री का मध्यस्थ निर्णय स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आशा है मन्त्री महोदय इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे।

श्री आर० के० खाडिलकर : कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने मेरे से भेंट की थी और मुझे आश्वासन दिया था कि "यदि सरकार उनसे अनुरोध करेगी तो वे बिना शर्त काम पर आने

को तैयार हैं" लेकिन मैं मजबूर था और इसीलिए इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर सका था।

कोयला खनिक उद्योग के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए उपदान योजना की सिफारिश की थी। सरकार ने उक्त योजना को सिद्धान्ततः स्वीकार करने की घोषणा की थी। उक्त योजना को वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है। मंत्रिमण्डल ने यह इच्छा व्यक्त की है कि इस मामले पर वित्त मंत्रालय से सलाह कर आगे विचार करना चाहिये। उपदान को दायित्व मानते हुए इस मामले में तदानुसार कार्यवाही करनी चाहिये। उक्त योजना पर मंत्रिमंडल में विचार किया गया था और इस पर कुछ मामूली से मतभेद थे। विचार विमर्श के बाद उक्त योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

मजूरी बोर्ड द्वारा की गई उक्त सिफारिश को कि कोयला खानों में न्यूनतम उपस्थिति पर कर्मचारियों को बोनस दिया जाना चाहिये, समाप्त नहीं किया गया है। उक्त सिफारिश बोर्ड ने सर्वसम्मति से नहीं की थी। खान तथा धातु मन्त्रालय और वित्त मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव को इस आधार पर सहमति नहीं दी थी कि इनके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की अनुपस्थिति बढ जायेगी। हम इस मामले पर मंत्रिमण्डल स्तर पर विचार कर रहे हैं। श्री कैलाश द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में दिये गये तथ्य गलत हैं। मैं इस सम्बन्ध में वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। डाक्टरों की प्रति व्यक्ति फीस में 2.50 रुपये की वृद्धि की गई है और उन्हें अब प्रति व्यक्ति 20 रुपये फीस मिल रही है। लेकिन वे इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं कह नहीं सकता कि वित्तीय निगम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इस बारे क्या कार्यवाही करेंगे।

यह कहना भी सच नहीं है कि अंशदान के रूप में प्राप्त धनराशि में से 5 प्रतिशत धनराशि भी कर्मचारियों के लाभ के लिए खर्च नहीं की जा रही है। इसके विपरीत 50 प्रतिशत आय को बीमा करने वाले कर्मचारियों को नकद देने और उनकी चिकित्सा पर खर्च किया जाता है। आधे से कुछ अधिक राशि उन्हें चिकित्सा सुविधायें देने के लिए खर्च की जाती है।

यह सच है कि बम्बई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये बिस्तर आरक्षण के लिए 12 रुपये प्रति बिस्तर के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। प्रत्येक राज्य में इसकी भिन्न भिन्न दरें हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी दर 12 रुपये करने का सुझाव दिया था और निगम ने इसको स्वीकार करके ऐसा ही कर दिया है।

खास बम्बई में तपेदिक के रोगियों के लिए सरकारी तथा अन्य अस्पतालों में 565 बिस्तरों की व्यवस्था है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार इस बीमारी का इलाज अब घर में भी किया जा सकता है। अतः बिस्तरों की वर्तमान संख्या पर्याप्त ही है।

निगम पर राज्य सरकारों की 7.48 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। 1 अप्रैल, 1970 से कर्मचारियों के विशेष अंशदान में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और उक्त अंशदान का उपयोग बकाया राशि का भुगतान करने के लिये किया जा रहा है।

निगम ने 16.96 करोड़ रुपये की राशि बीमा किए हुए कर्मचारियों के काम करने में पूर्णतया असमर्थ होने पर देने के लिए रखी है। इसमें से बीमा करने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों को भी भुगतान किया जाता है। नियम के कर्मचारियों

को इस राशि में से पेंशन और भविष्य निधि का भुगतान भी किया जाता है। होटलों में की जा रही हड़ताल के बारे में मैं जांच करूंगा।

राष्ट्रीय श्रमिक आयोग ने न्यूनतम मजूरी के बारे में विचार किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि न तो राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी व्यवहार्य है और ना ही वांछनीय है लेकिन क्षेत्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जा सकती है। उक्त सिफारिश को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों से विचार किया जायेगा।

रेलवे कुलियों और संकटग्रस्त मिलों का भी उल्लेख किया गया है। इस मामलों में हम यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही करेंगे

पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों को पका पकाया खाना सप्लाई किया जाता है। कुछ स्थानों पर प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण पका पकाया खाना सप्लाई नहीं किया जाता। पश्चिम बंगाल में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पका पकाया खाना इस्तेमाल करने के लिए एक रुपया और मेघालय और त्रिपुरा में 1.10 पैसे निर्धारित किए गये हैं। इसमें नमक, सब्जी और ईंधन का खर्च सब कुछ आ जाता है।

बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों की संख्या कभी घट जाती है और कभी बढ़ जाती है। लेकिन अन्ततः यह वृद्धि पर ही है, आगामी कुछ महीनों में उनकी संख्या 80 लाख तक पहुंच जायेगी ऐसा मै समझता हूं।

हम चाहते हैं कि ये शरणार्थी अपने घरों को लौट जाये। वे अभी भी बंगला देश के नागरिक हैं। उनके आने से हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है और इससे हमारी अर्थ व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। अन्त में ऐसी स्थिति पैदा की जायेगी कि ये शरणार्थी अपने घरों को वापस चले जायेंगे। इस बारे में राजनयिक स्तर पर की गई कार्यवाही से हमारी स्थिति और मजबूत हो गई है। इस बारे मे पूरी कार्यवाही की जा रही है और यदि कोई कमी रह जाती है तो माननीय सदस्यों को हमें उसकी जानकारी देनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

Shri Ram Chand Vikal (Baghpet) : It has been stated by the hon. Minister that the Refugees from Bangla Desh have been admitted as Pakistani Citizens. I want to know whether Government is demanding any Compensation from Pakistan for the amount being spent on their food.

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 से 25, 26, 27, 28 से 36 तथा 38 से 40 सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

All the Cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1971–72 के लिए श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय की निम्न-लिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of Ministry of Labour and Rehabilitation were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
63	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय	1,13,64,000
64	खान सुरक्षा महानिदेशक	41,89,000
65	श्रम और नियोजन	17,01,73,000
66	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	37,64,97,000
67	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	9,67,900
132	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की पूंजी परिव्यय	7,57,60,000

इस्पात और खान मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब इस्पात तथा खान मंत्रालय की मांग संख्या 78 से 80 और 137 पर विचार तथा मतदान होगा।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे 15 मिनट में सभापति को पर्ची भेज दें।

वर्ष 1971–72 के लिए इस्पात और खान मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
78	इस्पात और खान मंत्रालय	56,16,000
79	भूगर्भ सर्वेक्षण	9,32,99,000
80	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	17,07,61,000
137	इस्पात और खान मंत्रालय की पूंजी परिव्यय	1,50,00,52,000

श्री कृष्ण हाल्दर (औसग्राम) : श्रीमन्, इस्पात के बारे में मैं कुछ बातें सभा के सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि इस्पात उद्योग देश का प्रमुख उद्योग है लेकिन इसकी महत्ता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस्पात के उत्पादन के लक्ष्यो को सरकार ने कभी भी पूरा नहीं किया है। वर्ष 1969–70 में 81·01 करोड़ रुपये के इस्पात का आयात किया गया था। जबकि कोई आयात नहीं होना चाहिये था। इसको न्यायोचित ठहराने के लिये यह दलील दी जाती है कि हम इस्पात और लौह अयस्क का निर्यात भी करते हैं। क्या इस प्रकार की बातों से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड अथवा इस्पात मंत्रालय की असफलता पर पर्दा डाला जा सकता है ? भारत का इंजीनियरिंग उद्योग और अधिक इस्पात की मांग कर रहा है, लेकिन सरकारी

क्षेत्र में स्थित इस्पात संयंत्र अपनी क्षमता का 60 प्रतिशत इस्पात का भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में स्थित कोई भी इस्पात कारखाना इस्पात उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है। इसके परिणामस्वरूप हम अभी भी अपनी आवश्यकताओं के लिये विदेशी साधनों की ओर देख रहे हैं।

केवल पश्चिमी बंगाल में ही कच्चे माल मुख्यतया इस्पात के उपलब्ध न होने कारण बहुत बड़ी संख्या में कारखाने बन्द हो गये हैं। सरकारी क्षेत्र में स्थित कारखानों के अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ? मैं समझता हूँ कि इसका मुख्य कारण संयंत्रो में भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध का होना है। इस बारे में नियुक्त समिति ने इसके लिये प्रबन्धको को दोषी ठहराया। परन्तु सरकार दोषी अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की बजाये उन्हें संरक्षण दे रही है और प्रबन्धकों की असफलता के लिये कर्मचारियों को दोषी ठहरा रही है। इन सब मामलो की ओर सरकार का कई बार ध्यान दिलाया जा चुका है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इस्पात मंत्री को प्रस्तुत किये गये एक ज्ञापन में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारी संघ ने कुछ उच्च अधिकारियों पर घोर लापरवाही बरतने, विशेषकर इस्पात उत्पादन के मामले में लापरवाही बरतने और वास्तविक तथ्यों को सरकार से छिपाने और इसका दोष श्रमिक असंतोष पर डालने का आरोप लगाया है।

संघ ने प्रबन्धको पर निर्धारित नीति न होने का आरोप भी लगाया है प्रबन्धक कच्चे माल को असामान्य ऊंचे मूल्यों पर खरीदते हैं जबकि उक्त माल की किस्म बहुत घटिया होती है।

भिलाई इस्पात कारखाने में घटिया किस्म के अयस्क की सप्लाई की जाती है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की क्षमता का तब ही पता लग गया था जब कि उसके द्वारा इतने महत्वपूर्ण कारखाने के लिये सप्लाई किये गये उपकरण घटिया किस्म के पाये गये।

इन कारखानो में कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार का बोल बाला है और ये गैर-सरकारी ठेकेदारों और पूंजीपतियों से सांठ-गांठ कर काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों द्वारा कारखाने में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की नियुक्ति का विरोध किया है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल कर्मचारियों के बीच लगातार फूट डाल रही है। इन कारखानों में उत्पादन बढ़ाने का यह अर्थ नहीं है कि कर्मचारियों का दमन किया जाये। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की कारखानों में उपस्थिति से औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़ेगे। वहां पर कर्मचारियों का दमन अभी भी जारी है। कार्मिक संघो के सक्रिय कर्मचारियों की हत्या की जा रही है, उन्हें पीटा जा रहा है तथा अभित्रस्त किया जा रहा है। हाल ही में एम० ए० एम० सी० कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री श्री गोपाल सिंहा की हत्या की गई थी। कर्मचारी कभी भी बन्दूक की नोक पर आत्म सर्म्पण नहीं करेंगे।

यदि इस्पात मंत्रालय वास्तव में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में उत्पादन बढ़ाना चाहता है तो उसे कर्मचारियों, और निम्न वर्ग के अधिकारियों में विश्वास पैदा करना चाहिये। कर्मचारियों को उचित वातावरण में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की नियुक्ति करने बाद कारखाने के 700 सुरक्षा कर्मचारियों की छंटनी की गई है और उन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है। उन्हें बिना विलम्ब बहाल किया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि तभी वहां शांति स्थापित हो सकेगी।

बड़ी संख्या में ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों को न तो स्थायी किया गया है और न ही का श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें कोई लाभ दिये गये हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को बुरी तरह परेशान किया जा रहा है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा इस्पात उद्योग में मजूरी करार को अभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। यह बहुत गम्भीर मामला है। इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये।

कोयले का उत्पादन देश में लक्ष्य से बहुत कम है। वर्ष 1970 में कोयले का उत्पादन 7 करोड़ 58 लाख टन था जबकि वर्ष 1969 में कोयले का उत्पादन 7 करोड़ 96 लाख टन हो गया था। झरिया कोयला क्षेत्र में लगभग 25 कोयला खानों के बन्द हो जाने से 40,000 कर्मचारी बेकार हो गये और रानी गंज में 20 कोयला खानों के बन्द हो जाने से लगभग 18,000 कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। वास्तव में कर्मचारियों को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार महगाई भत्ते की अदायगी, नहीं की गई है। इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

रानीगंज की कोयला पट्टी में कोयला खानों को केवल एक वर्ग 1 रुपया 86 पैसे की दर से मंहगाई भत्ता देने को सहमत हुआ है। जबकि पांच कोयला खानो में मंहगाई भत्ते की दर 1 रुपया 62 पैसे प्रति दिन, 38 कोयला खानों में 1 रुपया 58 पैसे. प्रतिदिन और शेष कोयला खानों में 1 रुपया 29 पैसे प्रतिदिन है। अभी भी कोयला खान मालिक उत्पादन लागत में वृद्धि होने की बात करते हैं। मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है।

हाल ही में 8 कोयला खानों को मजदूरों की मर्सेबू सप्ताह की मजूरी किये बिना बन्द कर दिया गया है। रानी गंज के कोयला खान मालिक पुलिस की सहायता से आतंक का वातावरण बना रहे हैं। 2,000 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 400 झूठे मामले चलाये गये है जो 3,000 कर्मचारियों से सम्बद्ध हैं। बन्द मिलो को खोलने और कर्मचारियों को संरक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। सब बन्द मिलो को खोलने और कर्मचारियों को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार पूरी मजूरी देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिये। सरकार को कोयला खानों और कोयला उद्योग का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
78	1.	**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :**	इस्पात संयंत्रों को आत्म-निर्भर बनाने के लिये समाजवादी देशों से सहायता लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
78	2.	,,	सरकारी क्षेत्र के इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी उद्योग को बदनाम करने के लिये एकाधिकारवादी पूंजीपतियों के साथ सांठ–गांठ।	,,
78	3.	,,	देश को इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी उद्योग में आत्म-निर्भर बनाने में असफलता।	,,
78	4.	,,	इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये अर्जित की गई भूमि के लिये पर्याप्त मुआवजा देने में असफलता।	,,
78	5.	,,	सरकारी क्षेत्र में इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी उद्योग की प्रबन्ध-व्यवस्था में श्रमिकों को समुचित भागिता का अधिकार देने की आवश्यकता।	,,
78	6.	,,	टाटा स्टील फैक्टरी, जमशेदपुर के लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता।	,,
78	7.	,,	सरकारी उपक्रमों में दुर्व्यवस्था जिसके कारण भारी हानि होती है।	,,
78	8.	,,	श्रमिकों के साथ केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का दुर्व्यवहार, जिसके कारण उत्पादन में बाधा पड़ती है।	,,
78	9.	,,	कोयला खानों को बन्द करने और उनमें तालाबन्दी करने को समय पर ही रोकने में असफलता।	,,
78	10.	,,	लघु उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में इस्पात की सप्लाई करने में असफलता।	,,
78	11.	,,	खानों में, विशेषकर सरकार की खानों में, श्रमिकों को ठेके पर रखने की प्रणाली को समाप्त करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
78	16.	श्री डी० के० पंडा	चौथी पंच वर्षीय योजना में उड़ीसा में एक और इस्पात संयंत्र स्थापित करने में असफलता।	राशि घटाकर एक रुपया करदी जाय
78	21.	,,	चौथी पंच वर्षीय योजना में उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने में असफलता।	,,
78	22.	,,	सरकारी क्षेत्र में पांच "लघु इस्पात संयंत्र" स्थापित करने में सरकार की असफलता और इन संयंत्रों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को लाइसेन्स दिये जाना।	,,
78	17.	श्री भोगेन्द्र झा	कोककर कोयले की खानों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
78	18.	,,	'इस्को' और 'टिस्को' का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	,,
78	19.	,,	देश को इस्पात के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने में असफलता।	,,
78	20.	,,	रूरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में निर्धारित क्षमता तक इस्पात का उत्पादन करने में असफलता।	,,
78	23.	,,	इस्पात का मूल्य घटाने में असफलता।	100 रुपये
	24.	,,	मिश्र-इस्पात उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनाने की आवश्यकता।	,,
78	25.	,,	सभी इस्पात कारखानों की प्रबन्ध-व्यवस्था में श्रमिकों की भागिता की आवश्यकता।	,,
78	26.	,,	कोयले का मूल्य घटाने की आवश्यकता।	,,
78	27.	,,	1967 के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान भारी इन्जीनियरी निगम के विस्थापित मुस्लिम कर्मचारियों के शीघ्र पुनर्वास की आवश्यकता।	,,
78	28.	,,	भारी इन्जीनियरी निगम के परिसर में ही लग रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को रोकने तथा निगम के कर्मचारियों को उन में भाग लेने से तुरन्त रोकने की आवश्यकता।	,,

1	2	3	4	5
78	41.	श्री एन०श्रीकांतन नायर :	केरल के कालीकट क्षेत्र में लौह अयस्क के निक्षेपों की मात्रा का अनुमान लगाने के कार्य की धीमी गति ।	,,
78	42.	,,	केरल में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
78	43.	,,	इस्पात संयंत्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने में प्रबन्धकों की असमर्थता ।	,,
78	44.	,,	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में हुई भारी हानि ।	,,
78	45.	,,	सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का दक्षताहीन प्रबन्ध ।	,,
78	46.	,,	भारी इन्जीनियरी निगम में दुर्व्यवस्था ।	,,
78	47.	श्री रामावतार शास्त्री :	कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
78	48.	,,	बन्द कोयला खानों को पुनः चालू करने की आवश्यकता ।	,,
78	49.	,,	कोयला खानों का विकास करने में असफलता ।	,,
78	50.	,,	देश में कोयले के संकट को दूर करने में असफलता ।	,,
78	51.	,,	कोयला खानों में श्रमिकों को ठेके पर रखने की प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
78	52.	,,	कोयला खानों को बालू से भरने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग ।	,,
78	53.	,,	बोकारो इस्पात कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की यूनियन को मान्यता देने की आवश्यकता ।	,,
78	54.	,,	इस्पात में आत्म-निर्भर होने में असफलता ।	,,
78	55.	,,	देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये समाजवादी देशों से अधिक सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता ।	,,
78	56.	,,	खान मजरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
78	57.	,,	खान मजदूरों की दयनीय दशा सुधारने की आवश्यकता ।	,,
78	58.	,,	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की धांधलेबाजी समाप्त करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
78	59.	,,	भारी इन्जीनियरी निगम, हाटिया (रांची) के मजदूरों की मांगों को स्वीकार करने में असफलता ।	,,
78	60.	,,	भारी इन्जीनियरी निगम, हाटिया के मजदूरों पर लाठी चलाये जाने की हाल की घटना की न्यायिक जांच कराने की आवश्यकता ।	,,
78	61.	,,	1967 के साम्प्रदायिक दगों में मारे गये, भारी इन्जीनियरी निगम, रांची के मजदूरों के परिवारों को मुआवजा देने में असफलता ।	,,
78	62.	,,	बोकारो कारखाने को पूरी क्षमता के साथ शीघ्र चालू करने की आवश्यकता ।	,,
78	63.	,,	बोकारो कारखाने के मजदूरों की मांगें स्वीकार करने में असफलता ।	,,
78	64.	,,	श्रमिकों को ठेके पर रखने की प्रणाली समाप्त कर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में मजदूरों को नियमित रूप से नियोजित करने की आवश्यकता ।	,,
78	65.	,,	हाटिया श्रमिक संघ को मान्यता देने में असफलता ।	,,
78	66.	,,	भारी इन्जीनियरी निगम, हाटिया (रांची) के मुस्लिम कर्मचारियों को फिर से बसाने में असफलता ।	,,
78	67.	,,	भारी इन्जीनियरी निगम, हाटिया (रांची) द्वारा जनसंघ को दिया गया प्रोत्साहन ।	,,
78	68.	,,	"टिस्को", जमशेदपुर का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
78	69.	,,	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में बर्बादी के लिये प्रबन्धकों को उत्तरदायी ठहराने की की आवश्यकता ।	,,
78	70.	,,	सरकारी क्षेत्र के इस्पात तथा इन्जीनियरी उद्योगों में और खानों में ऊंचे पदों पर, सरकारी क्षेत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने में असफलता ।	,,
78	71.	,,	मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में हो रही हानि को रोकने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
78	72.	,,	इस्पात और खान मन्त्रालय में खर्च कम करने की आवश्यकता ।	,,
78	73.	,,	इस्पात और खान मन्त्रालय के अधिकारियों के नौकरशाही रवैये में परिवर्तन लाने में असफलता ।	,,
79	74.	श्री डी० के० पंडा	लौह अयस्क निक्षेपों और खनिज निक्षेपों के लिए उड़ीसा को पूर्णरूपेण भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता ।	,,
78	75.	श्री रामावतार शास्त्री :	कोयला खानों में दुर्घटनाएं रोकने में असफलता ।	,,
78	76.	,,	कोयला खानों में आग के फैलाव पर नियन्त्रण करने में असफलता ।	,,
78	77.	,,	झरिया नगर को आग के खतरे से बचाने के लिये विशेष प्रबन्ध करने की आवश्यकता ।	,,
78	78.	,,	ताम्र उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनाने में असफलता ।	,,
78	79.	,,	अमझोर की गंधक खान का विकास करने की आवश्यकता ।	,,
78	80.	,,	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में व्याप्त अशान्ति को दूर करने में असफलता ।	,,
78	81.	,,	उड़ीसा और केरल में इस्पात कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
78	82.	,,	इस्पात का मूल्य कम करने में असफलता ।	,,
78	83.	,,	सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में मजदूरों के सहयोग की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
78	84.	,,	भारी इन्जीनियरी निगम, रांची के मज़दूरों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गति-विधियों में भाग लेने से रोकने में असफलता ।	,,
78	85.	,,	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में ठेका प्रणाली समाप्त करने में असफलता ।	,,
78	86.	,,	कोयला बोर्ड का असन्तोषजनक कार्य ।	,,

Shri Prabodh Chandra (Gurdaspur) : Sir, I am thankful to the hon. Speaker and the hon. Minister of Parliamentary Affairs for affording me an opportunity to speak on the demands of the Ministry of Steel and Mines. The working of this ministry and of the various undertakings under its control has been quite disheartening.

While laying the foundation of the public sector steel units in the country the then Prime Minister Pdt. Jawahar Lal Nehru said that our Public Sector undertakings will provide base for our development because no country has developed without being self-suffient in the production of steel. We cannot fulfil our military requirements without steel. In this connection I may state that production in the public sector steel plant is not encouraging. Even the cost of production is 30 to 40 percent high as compared to other countries. I have found that in the Bhillai Steel Plant the actual production is far below than the rated capacity. In 1969-70 the rated capacity of this plant was 25,00,000 tonnes whereas the actual production was only 18,59.000 tonnes. In Durgapur Steel Plant also only 6,34,000 tonnes steel was produced in 1970-71. It is far below the rated capacity. The rated capacity of the Rourkela Steel Plant in 1970-71 was 18,00.000 whereas it produced only 10,38 000 tonnes of steel. It is little more than fifty five percent.

Now take the case of Private Sector. The private sector steel plants have gained better. The Tata Iron & Steel Co., has produced 17,15,000 tonnes of steel as against its rated total capacity of 20,00,000 tonnes. It is 25 percent more than the public sector units.

It has been stated that the production of steel has gone down due to the non-availability of coal.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

All the departments are under the Goverment and hence it is not proper to put forward one excuse or the other for the less production. In my view the difficulty is that non-technical personnel such as I.A.S. officers have been appointed on the managerial posts. I would request the hon. Minister to look into the whole set up of the steel plants and deploy proper persons in proper places for the better results.

The hon. Minister is now attaching too much hope on the scheme of having two labour representatives in the Board of Directors. In this connection a Joint Wage Committee has also been set up to solve the problems of the public as well as private sector plants. But in this connection I would request that strikes and other labour troubles have political aspects only. Some parties are trying to have the Government of their own liking by taking advantage of the labour unrest. So I would like to point out to the hon. Minister not to ignore this aspect also.

The wages of the labourers should be related to the production as is done in several other foreign countries.

Distribution is not being made on the basis of first come first served. Consumption is rampout in the distribution department also. This matter should also be looked into.

The prices of the steel should also be checked. I know that one Rathy Mill has increased the price of its products by 110 Rupees per tonne during the last three months. Similarly one more Mill named Guest Keer and Williams has increased the price of its product from Rs. 1490/—to 1950/—per tonne during the last one year. It has adverse effect on the consumers. Government can also save some lakhs of rupees if it supplies steel to the contractors at control rates and ask the contractors to reduce the price of construction accordingly.

I have an occasion to see the officers of the Hindustan Steel Limited. They behave like Nawabs We should deal with them firmly.

There should be greater co-operation between the Ministries of Steel and roibraj. We should have long term planning in this regard. Sufficient spare parts should be kept in store for immediate replacement.

In the end I would request the hon. Minister to appoint technical, able and honest persons in the steel plants if he desires that their Mills should work as models for other factories of the country.

श्री डी० के० पण्डा (भंज नगर) : देश में इस्पात का लगभग अकाल है। हम देखते हैं कि मिलों की क्षमता बेकार पड़ी है, मूल्य बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन इस्पात का आयात किया जा रहा है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि इस्पात देश के आर्थिक विकास एवं समृद्धि का बैरोमिटर है। हम इस बारे में कोई योजना बनाते समय भविष्य में इस्पात की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिये। आप देखें कि लगभग सभी राज्यों में लौह अयस्क मिलता है। उड़ीसा में लौह अयस्क के पर्याप्त भण्डार हैं, जोकि उड़ीसा की इस्पात आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिये इस्पात संयत्र लगाते समय हमें उड़ीसा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

हमें आशा थी कि पर्याप्त बहुमत प्राप्त होने पर सरकार पूंजीपतियों से अपने सम्बन्ध अलग कर लेगी, परन्तु हम देख रहे हैं कि छोटे संयंत्रों के नाम पर लाइसेंस दिये जा रहे हैं और वह अधिक धनवान होते जा रहे हैं। मि० मोदी को पहले ही आशयपत्र जारी किया जा चुका है। छोटे संयंत्रों पर केवल 60–70 करोड़ रुपये ही लागत आयेगी। अतः मैं समझता हूँ कि इतनी कम लागत के संयंत्रों को लगाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित करना ठीक नहीं है। अतः छोटे संयंत्रों के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस दिये जाने का मैं विरोध करता हूँ। इससे औद्योगिक नीति संकल्प की अवहेलना होती है। यह सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध है। इन लाइसेंसों को रद्द करने की भी मांग की गई थी, परन्तु वार्षिक प्रतिवेदन से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

उड़ीसा औद्योगिक तौर पर एक पिछड़ा हुआ राज्य है जबकि प्रकृति ने इसे पर्याप्त खनिज तथा लौह अयस्क दिया है। दस्तूर एण्ड कम्पनी ने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि उड़ीसा में बोनाई तथा नयागढ़ को इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिये। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि बोनाई और नयागढ़ में इस्पात की उत्पादन लागत कम आयेगी। उड़ीसा से अन्य स्थानों में इस्पात के परिवहन पर भी कम व्यय आता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस्पात संयंत्रों की स्थापना करते समय उड़ीसा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि गैर-सरकारी क्षेत्र को इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए जो लाइसेंस जारी किये गये हैं वे रद्द कर दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : हमे लगभग 6 बजे तक चर्चा समाप्त कर देनी चाहिये। माननीय मन्त्री को मैं लगभग पांच बजे बुलाऊंगा।

Shri Damodar Pandey (Hazari Bagh) : I want to say something about coal industries. The coal mines Amalgamation Committee constituted in 1956 had reported that if this condition in the coal industries will be allowed to continue then I think that time is not very far off when instead of exporting we will have to import coal from outside. Our steel plants will stop their work in want of coal. Keeping this in view Government should decide its course of action. The Coal Amalgamation Committee gave its report in 1956 but no decision has been taken on that till today. The mine owners do not want loss in any way. Now the time to nationalise the coal industry has come. It should be done

immediately. The mine owners do not care for the interest of the country only they are worried for their money which they have invested. They want their own profit and for that they can even give any amouut of loss to the country. They are wasting the coal and not exploiting it fully. So much of coal is going waste in barriers which could make up the shortage. The mine owners are not paying the Provident Fund and Royalty cess and a heavy amount of Government is lying with them and as such Government will not have to pay any compensation while nationalising the coal mines.

On one side we say that employment should increase but just on the other side machines are being introduced in the coal industry. The labourers are being retrenched by introducing voluntary retrenchment scheme. They are giving employment to machines instead of man.

Shri Hukam Chand Kachwai : There is no quoram in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें क्योंकि गरणपूर्ति नहीं है– घंटी बजाई जा रही है..... ....अब गणपूर्ति हो गई है। अब अपना भाषण प्रारम्भ करें।

Shri Damodar Pandey : The cooking coal is being used for brick-burning when third rate coal can be used there. This is being done in the country every where with the convenience of mine owners and coal controllers.

Most of the mine owners have not introduced Wage Board Rules but even then nearly 90 percent of them have got the fitness certificate to run the mine.

Nationalisation of coal mines cannot go in loss. N. C. D. C. is having loss due to Giridih Colliery, where the loss was 5 crores 13 lakhs of rupees when in all the loss was 5 crores 9 lakhs of rupees. National Coal Development Corporation is earning profit even from the mines which were left by private sector thinking that they are non-remunerative. Therefore I suggest that why the profit cannont be earned from coal rich mines after their nationalisation.

It was decided that the sulphuric acid of private mines in Arah, Bihar will be used in Sindri Fertilizers, but now due to change in policy that the imported acid is cheaper, this acid is being imported. Government is ready to spend two crores of foreign exchange but they are not worried about the employment of 5 thousand persons with these words I support these demands.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : यह एक सराहनीय बात है कि पिछले वर्ष एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को हमने 67 करोड़ रुपये के इस्पात का निर्यात किया है। ऐसा लगता है कि हम अपना ध्यान इस्पात के निर्यात पर ही केन्द्रित किए हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अफ्रीकी देशों मे भी निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाएं।

दूसरी असंगत बात यह है कि जहां हमने 67 करोड़ रुपये के इस्पात का निर्यात किया है उसके साथ ही साथ 64 करोड़ रुपये के इस्पात का आयात भी किया है। इस आयात की मात्रा को कम करने के लिए हमें हाल ही मे घोषित तीन कारखानों की यथाशीघ्र स्थापना कर देनी चाहिए तथा वर्तमान इस्पात कारखानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए जो कि गिरती जा रही है। इसका एक कारण श्रमिक असंतोष हो सकता है। मंत्रालय को उत्पादन बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय शीघ्र अपनाने चाहिए।

*मूल तमिल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English Translation of speech delivered in Tamil.

सलेम, तमिल नाडु मे स्थापित किये जा रहे इस्पात कारखाने की निर्धारित उत्पादन क्षमता 2.5 लाख टन से बढ़ा कर तमिलनाडू की आवश्यकता के अनुरुप 5 लाख टन निश्चित की जानी चाहिए क्योंकि तमिलनाडु में गृह उद्योगों के लिए इस्पात की नितान्त कमी है। इस कारखाने के लिए तमिलनाडू के लोग पिछले 15 वर्षो से प्रयत्नशील हैं। इसको स्थापना यथाशीघ्र की जानी चाहिए। अच्छा यह होगा कि इसे केन्द्रीय और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए। इसके संयुक्त क्षेत्र में होने से इसके कार्यकरण और श्रम सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में सुविधा रहेगी। आशा है मन्त्री महोदय मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे।

तमिलनाडु में विभिन्न खनिजों की बहुतायत है। उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मुख्यालय को दिल्ली से हटा कर हैदराबाद ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली खनिज मिलने के स्थान से बहुत दूर है।

सभी प्रकार की खानों का राष्ट्रीय करण शीघ्र किया जाना चाहिए। कुप्रबन्ध के कारण बहुत सी खानें बन्द हो गई हैं क्योंकि वहां श्रमिक असन्तोष उठ खड़ा हुआ है। इस प्रकार की स्थिति से बचने और खनिज पदार्थों के उचित उपयोग के लिए उनका राष्ट्रीयकरण करना अत्यंत आवश्यक है।

सलेम इस्पात कारखाने को शीघ्र पूरा करने के लिए नैवेली लिगनाइट परियोजना को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। सलेम से तिरुचिरापल्लि तक रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए जिससे भारी बायलर फैक्टरी, तिरुचिरापल्ली से बायलर सलेम इस्पात कारखाने में लाया जा सके।

इस मन्त्रालय का यह दुर्भाग्य रहा है कि इसके मन्त्री बार-बार बदलते रहे है और इसी कारण इस्पात सम्बन्धी नीति भी बदलती रही है।

मैं आशा करता हूं कि श्री मोहन कुमारमंगलम् एक अनुभवी तथा श्रम विवादों को समझने वाले है और इसलिये इन मिलों में लाभ के लिये सभी संभव प्रयत्न करेंगे।

Shri K. N. Tiwary (Bettiah) : If the report for 1970-71 wherein,it is said that prices of plates, hot rolled sheets corrugatted sheets etc. showed downward trend. But in the open market we see just the opposite. It is not possible to get these things on the control price and they are being sold on higher prices in Black Market. Therefore, I would like to say that this sort of misleading reports should not be given to public.

Sheets are very much in demand. Are you importing the sheets after assessing the country's demand properly and what is your plan for meeting the shortage of these sheets.

Administration in the steel plants is not good; it should be improved. Good workers and officers should be employed and encouraged to work efficiently.

The prices of house building steel are very high in the market. They are only available in the black market. The procedure of supply of these articles is faulty and therefore, the articles which are not available to the public are available in the blackmarket only.

The manufacturers of stainless steel should get the raw material. There are certain false industries having the permits of steel and they are selling it in black market. This should be stopped.

Working in the public sector should be improved. Responsibility should be fixed on the officers and incharge persons to increase the production in them.

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya) : We in India are not using the minerals properly and fully. A study regarding the requirements of the minerals in the country should be made. India and Japan started this at the same time but now position is this that we are exporting raw material to Japan and getting finished steel from there. This shows that we are very indifferent in this matter.

Mineral department does not have perfect co-ordination with Trade Department, Naval Department, Railways and Transport Departments. In the absence of this co-ordination it has become impossible to utilise the our minerals fully.

There is no proper arrangement for the transporting and marketing of certain minerals.

The position of Hindustan Steel is also not good. It is going in loss. The prices of steel are going high. As a result of this the indiginous consumers are not in a position to utilize the country made steel.

There has been a great downfall in the production of all types of steel in the country when the capacity is quite enough.

Arrangements for the export of raw material and other finished goods of steel should be made so as to remove poverty.

Proper steps should be taken for the exploration of lime, and manganese, mica etc. They are abundantly available in the country.

श्री जे० बी० पटनायक (कटक) : भारत ने पिछले दो दशकों में इस्पात, कृषि, खान, परिवहन और संचार आदि में अत्यधिक उन्नति की है तथा अब इस्पात की आवश्यकता के सम्बन्ध में भी वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है ।

भारत में अपनाई गई ठोस इस्पात नीति के कारण आज हम इस्पात कारखानों का सभी प्रकार का सामान स्वयं निर्मित कर सकते हैं । विदेशों में भी हमने अपना बाजार बनाया है ।

अशांत औद्योगिक सम्बन्धों, निर्णय में विलम्ब, मरम्मत और पुर्जे बदलने में विलम्ब आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जिनके कारण सरकारी क्षेत्र के कारखानों में घाटा हुआ है और वे अपनी निर्धारित क्षमता को प्राप्त नहीं कर सके हैं ।

यह प्रसन्नता की बात है कि संयुक्त मजूरी समझौता वार्ता समिति ने चार वर्ष के लिए मजूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से समझौता किया है । इस समझौते के बाद अब हड़तालों आदि के कारण उत्पादन की हानि नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूँ ।

इस्पात एक ऐसी धातु हैं जिसकी मांग अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है, किन्तु मांग के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने में हम सफल नहीं हो पाये हैं, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा है । अगले दशक में अर्थात् 1980 तक हमने इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य 200 लाख टन रखा है, किन्तु इस अवधि में भिलाई, बोकारो, रूरकेला और दुर्गापुर आदि कारखानों में इस्पात का कुल उत्पादन 174 लाख टन होगा । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि फिर भी 30 लाख टन की कमी रहेगी । अत: मैं जानना चाहता हूँ कि उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के

लिए मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि मांग को देखते हुए हमें इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा देने चाहिये और दो या तीन और इस्पात के कारखानें स्थापित करने चाहिये।

जहां तक लौह अयस्क के निर्यात का सम्बन्ध है, हमने इसके निर्यात में प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है। किन्तु अकेले जापान को ही 356से400 लाख टन तक लौह अयस्क का निर्यात किया जा सकता है। हम 1973-74 तक उनकी मांग को 25 से 30 प्रतिशत तक पूरा कर सकते हैं। इसी सन्दर्भ में यह याद दिलाना भी अनुपयुक्त न होगा कि हमारे देश में कई स्थानों पर हाई ग्रेड वाले लौह अयस्क की खानें छिपी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहां लौह अयस्क तथा डोलामाइट और लाइम स्टोन जैसे अन्य कच्चे माल की खानें छिपी पड़ी हैं। अतः उनका विकास किया जाना चाहिये। अब प्रश्न यह नहीं है कि इस्पात कारखानों को विभिन्न राज्यों में वितरित किया जाये। उचित तो यह है कि नये कारखानें उन्हीं राज्यों में लगाये जाने चाहिये जहां इस्पात और इस्पात में काम आने वाला अन्य कच्चा माल उपलब्ध हो। इस्पात के उत्पादन मे तभी वृद्धि होगी।

अब मैं मन्त्री महोदय का ध्यान उड़ीसा राज्य की बोनाई-नयागढ़ खानों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। विशेषज्ञों के अनुसार इन खानों की क्षमता 2000 करोड़ टन हाई ग्रेड वाले लौह अयस्क की है। यदि इन खानों को मशीनीकृत कर दिया जाये और इस क्षेत्र को रेलवे लाइन से पारादीव से जोड़ दिया जाये तो इसी क्षेत्र से लौह अयस्क के निर्यात का लक्ष्य बढ़ाया जा सकता है।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों को देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई है। मेरे विचार से खान आदि संसाधनों से राजकीय कोष में लगभग 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होने चाहिये। किन्तु दुर्भाग्य से इस मंत्रालय का बजट भी घाटे का ही है। इस मंत्रालय को अधिक आय होनी चाहिये। हमें लौह अयस्क के बजाय तैयार इस्पात का निर्यात करना चाहिये। इसके लिए समुद्र तट के पास इस्पात के कारखानें लगाने चाहिये जिससे कम खर्च हो और अधिक आय हो। हमारे यहां इस्पात पर आने वाली लागत अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय तत्सम्बन्धी तकनीक के विकास पर अधिक ध्यान दें। साथ ही इस्पात के लिए अपेक्षित कोककर कोयले के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। अन्यथा इसके आयात करने की नौबत आ जायेगी।

गुजरात के समुद्री तट पर किसी भी स्थान पर एक इस्पात का कारखाना लगाया जाना चाहिये जिससे यहां से मध्य-पूर्वीय अफ्रीकी और पश्चिमी देशों की मांग पूरी की जा सके। मेरा सुझाव है कि इस्पात के नये कारखानें ऐसे स्थानों पर लगाये जाने चाहिये, जहां उसके लिए अपेक्षित सभी सामग्री उपलब्ध हो और कारखाना घाटे में न जाये। हमारे देश में आर्मर और बायलर किस्म के इस्पात की प्लेटों और चद्दरों का भारी अभाव है। कोल्ड रोल्ड ग्रेन-ओरिएन्टिड सीलिकन चद्दरों का अभी तक भी आयात किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि देश में ऐसे इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये।

कुछ लोग लघु इस्पात कारखानों की आलोचना करते हैं, किन्तु मैं तो उनकी स्थापना को मंत्रालय की सफलता ही मानता हूं, क्योंकि वे लोहे के कबाड़ को काम में लाते हैं। यदि ये छोटे-छोटे कारखाने न होंगे तो विभिन्न प्रकार का मिश्रित इस्पात तैयार न किया जा सकेगा।

मेरे विचार से तो ऐसे छोटे कारखानें अधिक से अधिक लगाये जाने चाहिये जिससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न हों और इनसे बड़े कारखानों के इस्पात के उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

जहां तक अलौह धातुओं—अलुमिनियम, जिंक, कोपर और लीड का सम्बन्ध है, भारत सरकार कोरबा और कोयना में भारत अलुमिनियम परियोजना को क्रियान्वित करने जा रही है। इन दोनों परियोजनाओं पर शीघ्र काम चालू होना चाहिये। गुजरात में बाक्साइट का बड़ा भण्डार है। अलुमिना का हमारी सरकार को निर्यात नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपने यहां कच्चे माल के रूप में काम में लाया जाना चाहिए। कापर, लीड और जिंक का उत्पादन भी जहां का तहां है। खेतड़ी कापर स्मैल्टर में 94 से 100 करोड़ रुपये तक लगाये जाने की व्यवस्था है, किन्तु यह पता नहीं कि उसमें उत्पादन कब शुरू होगा। अन्त में मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि इस्पात के दो कारखानें एक गोवा में और दूसरा गुजरात के समुद्र तट पर, शीघ्र ही लगाये जायें, ताकि इस्पात की सप्लाई के मामले में भारत की स्थिति सन्तुलित रहे।

श्री पी० ए० पी० राव (ओंगोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस्पात और खान मंत्रालय की प्रस्तावित मांगों का समर्थन करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में खनिज सम्पदा का बाहुल्य है, किन्तु हम उसका ठीक से विदोहन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार खनिज सम्पदा को खोजने और निकालने के लिए प्रयास तो कर रही है, किन्तु ये प्रयास और अधिक तेजी से किये जाने चाहिए, जिससे देश धातुओं के क्षेत्र में उसी प्रकार आत्म-निर्भर हो सके, जैसे वह खाद्यान्नों के मामले में हो गया है। इससे न केवल हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए प्रदेशों की दशा भी सुधर जायेगी, क्योंकि अधिकांश खनिज सम्पदा ऐसे ही क्षेत्रों में हैं।

सरकार खनिज सम्पदा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है, किन्तु मेरे विचार से इस दिशा में प्रगति बहुत ही धीमी है। विशेष रूप से जिंक, कापर और लीड के मामले में तो प्रगति नगण्य सी है। यदि किसी खान से खनिज निकालने की कोई योजना स्वीकार भी कर ली जाती है तो प्रशासनिक विलम्ब के कारण ऐसी परियोजना सालों तक क्रियान्वित नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए मेरे राज्य में अग्निकुंडला नामक एक परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। उसके लिए राशि भी दी गई थी, किन्तु दस वर्ष तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। ऐसी परियोजनाओं के लिए अधिक राशि दी जानी चाहिए और उनके बारे में निर्णय लेने में विलम्ब नहीं होना चाहिए।

रामल सीमा नामक क्षेत्र में अत्यधिक खनिज सम्पदा है। उस क्षेत्र में हीरे, सोना, एब्सटोस आदि खनिज पदार्थ उपलब्ध है। वहां के हीरे इतने उत्तम है कि उनकी तुलना में किम्बरले हीरा खान से उपलब्ध हीरों से की जा सकती है। किन्तु फिर भी उस क्षेत्र में से हीरे निकालने का निर्णय अभी तक नहीं किया जा रहा है। सुना है उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है, किन्तु सर्वेक्षण कितने वर्ष में पूरा होगा, यह कोई नहीं जानता।

इसी प्रकार रामगिरी में सोने के निक्षेप हैं, जिन्हें निकालना वाणिज्यिक दृष्टि से लाभदायक है। यहां पर भी काम शुरू नहीं किया जा रहा है। जिंक, लीड और कोपर जैसे खनिजों का विदोहन भी अभी तक नहीं किया जा रहा है। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय लें। राज्य सरकार ने यह सम्भावना व्यक्त की है कि ओंगोल के

पास पूर्वी तट पर भी लौह अयस्क के निक्षेप हैं। यदि सर्वेक्षण के उपरान्त यह सिद्ध हो जाता है कि वहां पर भी लौह अयस्क के निक्षेप हैं तो उसे निकालने के लिए शीघ्र ही निर्णय किया जाना चाहिये और पास में ही एक छोटा बन्दरगाह भी बना दिया जाना चाहिये।

अब सरकार की नीति में यह परिवर्तन आता जा रहा है कि खान–विदोहन का काम सरकारी नियंत्रण में हो, यह नीति बड़ी अच्छी है। किन्तु इसके लिए अपेक्षित धन को जुटाने के लिए प्रयास किये जाने जाने चाहिए। यदि सरकार धन जुटाने में असमर्थ है तो फिर खान-विदोहन का काम गैर-सरकारी क्षेत्र पर भी छोड़ा जा सकता है। इसी सम्बन्ध में मैं यह कहना उचित समझता हूँ कि खान उद्योग को भी सरकार अन्य उद्योगों की भांति सहायता प्रदान करे जिससे देश में उपलब्ध खनिज सम्पदा का लाभ देश को मिल सके। इन मामलों में निर्णय लेने में सरकार को विलम्ब नहीं करना चाहिये।

श्री एन० ई० होरो (खुंटी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के अधिकतर उद्योग संकटग्रस्त हैं। उनमें श्रम--अशांति, प्रबन्ध और तकनीकी ज्ञान सम्बन्धी समस्याएं हैं। मै हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां शुरू से ही कुप्रबन्ध चला आ रहा है। वहां के चेयरमैन बार-बार बदल दिये जाते हैं। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसे भी बदल दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि इस कारपोरेशन को घाटा हो रहा है, जो देश के अहित में है। सरकार के दृढ़ता से ठीक समय पर निर्णय शीघ्र होने चाहिए।

रांची में जब यह परियोजना शुरू हुई तो वहां के लोगों को यह आशा बनी थी कि उन्हें अब रोजगार प्राप्त होगा। किन्तु जिन आदिवासी लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई, उनकी आशा पूरी न हुई। उक्त परियोजना में केरल, बंगाल और पंजाब के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोग बेरोजगार हैं। उन लोगों की और केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, पदोन्नति के मामले में भी स्थानीय लोगों की अवहेलना की जाती है। इन बातों के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब तक स्थानीय लोगों की आशाएं पूरी नहीं होंगी, तब तक उक्त परियोजना की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। प्रबन्धकों की अक्षमता और स्थानीय लोगों के प्रति उनके असहानुभूतिपूर्ण रवैये तथा व्यवहार के कारण वहां कई बार घेराव आदि हुए हैं।

मैं समझता हूँ कि उक्त निगम और उद्योग का हित इसी बात में है कि स्थानीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक और श्रम सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किया जाये। इस परियोजना के निकट जो 'हाटिया' नामक एक नगर बसाया गया है, उसकी योजना ही बिल्कुल दोषपूर्ण है। अधिकारीगण भी इस बात को मानते हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन केवल एक स्थानीय फर्म से ही लो ग्रेड की ताप-सह ईटें खरीदता है। ये ईटें वहां की धमन भट्टियों में लगाई जाती हैं। इससे पूरे संयंत्र को हानि हो सकती है। मन्त्री महोदय इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें। इस मामले में सरकार को जांच करानी चाहिए। अन्त में मैं राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि उसने हजारीबाग जिले में एक विस्तृत कोयला बहुल क्षेत्र अधिग्रहीत किया है, किन्तु वह उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे उस क्षेत्र के कुछ भाग को गैर-सरकारी पार्टियों को पट्टे पर दे देना चाहिए, ताकि राष्ट्र को करोड़ों रुपये की हानि न हो और उस पूरे क्षेत्र का उपयोग किया जा सके।

Shri Satpal Kapoor (Patiala) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the problem is this that our Government is allowing the private and the public both the sectors to run the same industry. Our policy about iron and steel need basic changes and we are not changing them.

{श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए}
{Shri K. N. Tiwary *in the chair*}

We should try to detact loop-holes intheir working procedure. We are being bitterly criticized for low percentage of profits in Public Undertakings as compared with those in Private Sector.

It is not correct to have the same industry in both Public and Private sectors. It needs a change in our planning system. We should have a plan to have a particular industry confined exclusively to one sector. Such an arrangement would make useless all the efforts of Private Sector to harrass the Public Sector. The hon. Minister should look into the matter. He should try to bring about a change in basic policy and discuss the matter with Planning Commission and the Cabinet.

The iron and coal mines are in private sector whereas steel units are set up in public sector. This creates confusion. So unless you change the basic policy, this work will always remain in doldrums.

An Industrial Resolution was passed in 1956 to place steel item in the public sector. But nothing has been done in this direction and now mine steel plants are being set up in the private sector. Such wrong policy should not be followed. I do not accept this argument that it is a secondary industry. Due to wrong policy some steel industries are suffering from set backs. So the basic policy should be changed. Out of six steel plants only two are in the public sector. Punjab has been given a mini steel plant in public sector But it exists only on papers. Actually it has gone to Dalmia to be established in the private sector. The policy of the Government is to associate private sector and 25 percent share can be sold to them. They further manage to procure 26 percent. Thus they get majority of shares. This is a wrong policy and we should not be satisfied by establishing unit in the public sector. This policy will not go. If a wrong foundation is put, then how-can we expect benifits. I will urge the Government not to follow a wrong policy, and it demands basic change.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : इस्पात मंत्रालय समूचे इस्पात सम्बन्धी बातों के लिए उत्तरदायी है, वह इसके उत्पादन, मूल्य निर्धारण तथा अन्य बातों की देखभाल करता है। यद्यपि उसने इसके विकास के लिए योजना बनाई है और यह भविष्यवाणी की है कि इसकी आवश्यकताएं क्या होंगी ? परन्तु यह सुस्पष्ट नहीं है कि वे एकक, जिनकी स्थापना के लिए इसने योजनाएं बनाई हैं, अपेक्षित समय में इस्पात का उत्पादन कर सकेंगी। पिछला अनुभव बताता है कि ऐसा होना संभव नहीं है।

एक बात सुस्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में समय या अत्यावश्यकता की भावना का अभाव है। वर्तमान तीन इस्पात एककों में किसी में भी निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। दुर्गापुर में तो निर्धारित क्षमता का 40 प्रतिशत भी उत्पादन नहीं हो रहा है। रूरकेला में लगभग 57 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। इसकी भी कोई आशा नहीं है कि दुर्गापुर में संतोषप्रद ढंग से कार्य हो सकेगा। जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों का प्रश्न है, मेरे विचार में मन्त्री महोदय कुछ ही समय के लिए श्रमिक असन्तोष को दूर करने में सफल रहे हैं। मुझे आशा है कि ऐसा आगे भी रहेगा और कारखाने का कार्य सुचारु रूप से चलेगा। संचालन सम्बन्धी कठिनाइयां क्या हैं ? कारखानों को सन्तोषजनक रूप से न चलाने और उसकी देखभाल में हुई असफलता के कारण बड़ी

कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। भविष्य में उठने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन कारखानों का विस्तार किया जा रहा है। परन्तु इसमें सन्देह है कि उनका विस्तार करने पर भी उनमें निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन होगा। मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया है कि रूरकेला और दुर्गापुर में बिगड़ी हुई स्थिति को कब तक सुधारा जायेगा। वे फिर भी यह कहते हैं कि भविष्य में उत्पादन सन्तोषजनक होगा और वे मांग को पूरा कर सकेंगे। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय उत्पादन की संभावनाओं को वास्तविकता और अत्यावश्यकता के संदर्भ में देखेंगे।

वितरण के मामले में मंत्रालय मौन है। उनके विचार में लोहा और इस्पात नियंत्रक और उनका संगठन सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है, परन्तु वास्तव में इस सम्बन्ध में वितरण का कार्य असन्तोषजनक हैं।

जैसा कि आपने पहले बताया है कि मंत्रालय का यह दावा है कि खुले बाजार में इनका मूल्य कम हो रहा है, परन्तु यह सब सच नहीं है। नियमित मूल्यों पर इस्पात को प्राप्त करना असम्भव है, दुगने मूल्यों पर भी इस्पात नहीं मिलता है। यह सब मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। मत्रालय स्पष्टतः यह स्वीकार क्यों नहीं करता है कि ऐसा हो रहा है। मेरे विचार में विशेषकर इस्पात के मामले में स्थिति सन्तोषजनक नहीं है।

मेरा मंत्रालय से अनुरोध है कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर गम्भीरता से विचार किया जाये ताकि भविष्य में योजना वस्तुतथ्यों पर बनाई जाये। वे उन प्रत्येक कारखानों की प्रगति के बारे में बतायें, जिनकी स्थापना की जानी है। जहां तक बोकारो इस्पात कारखाने का सम्बन्ध है, इसमें अत्यधिक विलम्ब हो गया है। वे सभा में विलम्ब के कारणों पर प्रकाश डालकर न्याय कर सकते हैं। इसका कारण यह भी है कि भारी इंजीनियरिंग निगम ने माल के भेजने में बहुत विलम्ब किया है।

मुझे इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना है और मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय इस ओर पर्याप्त ध्यान देगा।

Shri Chandu Lal Chandrakar (Durg) : I regard Steel and Mines Ministry essential for the industrial development of the country. The success and failure of this Ministry will influence greatly the industrial development of our country.

Among the three Steel Plants in the public sector only Bhilai Steel Plant is running on Profit and the rest are not maintaing the level of rated capacity and are thus incurring heavy losses. Tata Iron and Steel Plant is showing good Performance. As the steel plants are producing less than the rated capacity, the country is losing 30 lakhs tons ingot. The people want to know as to who is responsible for this but no reply is coming from the Government. Unless responsibility is fixed, there cannot be any improvement. Blackmarketing in steel is going on. The Ministry has mentioned in its report that distribution system of steel is being streamlined in such a way as to frustrate blackmarketing. But despite such assurances the blackmarketing is going on unabated. It has increased from Rs. 100/-to Rs.300/-per ton for the last three months. If the hon. Minister looks into this matter,then a lot can be done to eliminate this ill. So far as Bhilai Steel Plant is concerned many complaints have been sent to Governmenment of India and the Steel Ministry regarding this plant but no action has been taken on this for the last many years. It is assumed that the Bhilai Steel Plant is running on profit and there is no need to look into its complaints. I warn the Government that if no action is taken in this regard, the Bhilai Steel plant will also run on loss like others. I want to know from the hon.

Minister about the production in the Bhilai Steel plant for the month of May. There is a breakdown in the three Coke-Ovens due to choking of gas line. This has resulted in the diminishing of production capacity.

Besides this our Present member Shri Jyotirmoy Basu and former member** are increasing their activities there. Like the fall of production in Durgapur Steel Plant where** and Shri Jyotirmoy Basu extended their activities, it seems to me the same condition Will be here, because** and Shri Jyotirmoy Basu are engaged to strengthen their union there............

Shri Manoranjan Hazra (Arambagh) : ....** is not in the House. why his name is being mentioned here.

Shri Chandulal Chandrakar : I have not gone in details. Only I said that they are strenthening their union activities.

Nothing is being done to improve INTUC there. If no action is taken, the situation may be deteriorated. So it is essential to take co-operation from the officers and workers. Frustration has prevailed among the workers because they may not get bonus due to fall in production.

Mr. Chairman** is not in the House. The objection raised by him may not go in records.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : He is not an officer.

Mr. Chairman : Being member of this House Shri Jyotirmoy Basu can defend himself but** is not a member of this House.

Shri Chandulal Chandrakar : I was urging that unless immediate decision is taken, the production capacity will fall. The workers are dissatisfied over leaves and leave-travelling allowance.

The Bhilai Steel plant has land measuring 4 Sqr. miles out of 40 Sqr. miles earmarked for it. The rest 36 Sqr. miles land has been occupied by over one lakhs people and three or four storeyed houses have come up there. But there is no provision of road, water, electricity etc. So I would like to say that these facilities may be provided to them. Besides this officers and employees are utilizing thousands acres of land for agricultural purposes. Those evicted persons, who have been rendered homeless, may be given compensation or their land may be given back to them. Otherwise the situation may go worse.

श्री चपल भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं नये मन्त्री महोदय की इस इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बोकारो इस्पात कारखाने के लिए कुछ किया है, यह कारखाना विवाद का विषय बना हुआ था। निश्चय ही इसमें पूंजी निवेश 671 करोड़ रुपयों से बढ़कर 700 करोड़ रुपये हो गया है और कइयों को आशंका है कि यह 1400 करोड़ रुपये तक बढ़ जायेगा, परन्तु हमें यह देखना चाहिए कि पूंजी निवेश के साथ-साथ उत्पादन भी बढ़े।

यह कहा गया है कि इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए, परन्तु इसके लिए क्या कार्यवाही की जायेगी। जिन व्यक्तियों पर इस्पात उत्पादन का कार्यभार है, उन्हें कहा जाये कि यदि वे इस्पात का पर्याप्त उत्पादन नहीं करा सकते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ेगा।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

Expunged as ordered by the Chair.

इस्पात की मांग तेजी से बढ़ रही है । लघु इस्पात कारखानों के बारे में विवाद उठा हुआ है । हमें यह देखना है कि लघु इस्पात कारखानों में इस्पात उत्पादन की लागत बड़े कारखानों की तुलना में अधिक न हो । रद्दी लोहे को उपयोग में लाने की सुविधाओं का विस्तार करके देश में इस्पात की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है । रेलवे, जो इस्पात और रद्दी लोहा ऊंची बोली बोलने वाले को बेचती है, उसे छोटे लोगों को भी उपलब्ध कराया जाये ।

इस्पात कारखानों का विस्तार करते समय आस्ट्रेलिया में विकसित प्रौद्योगिकी सफलताओं को उपयोग में लाया जाये ।

सरकार को धातुकर्मिक कोयला सीवनों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए, नहीं तो इस्पात तैयार करने का हमारा भविष्य सकट में पड़ जायेगा । मैं अब अभ्रक के बारे में कहूँगा जो कि एक श्रम प्रधान उद्योग है । सम्पूर्ण अभ्रक उद्योग पर कतिपय व्यक्तियों का नियंत्रण है । मेरा अनुरोध है कि यह नियंत्रण कतिपय लोगों के हाथ से निकालकर इसके स्वामित्व का फैलाव किया जाये । मैं अपने जिले में बरगौडा तांबा खनन और नूरनगो में टिन खनन के बारे में कहूँगा । भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण और ब्यूरो आफ माइन्स वहां सर्वेक्षण कार्य हेतु गये थे, परन्तु बहुत धन व्यय करने पर भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ । जर्मन इंजीनियरों ने वहां 1913 से पूर्व कार्य किया था और उसमें वे सफल भी हुए थे ।

श्री पी० के० घोष (रांची) : पहले यह मंत्रालय केवल इस्पात और भारी इंजीनियरी से सम्बन्धित था, परन्तु अब इसमें खान विभाग भी जोड़ दिया गया है अतएव इस पर चर्चा के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाया जाये ।

Mr. Chairman : What is the opinion of the Parliamentary Affairs minister regarding extension of time.

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री केदारनाथ सिंह) : मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय : इस पर चर्चा का समय 1 घंटा बढ़ाया जाता है ।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : हमारा पहला कार्य भूगर्भ में छिपे खनिजों का पता लगाना है और फिर उसे बाहर निकालना है । यह कार्य केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अथवा बहुत ही धनी व्यक्ति द्वारा ही हो सकता है । उदाहरण के लिए कोयला खान को ही लें इसके लिए गड्ढा खोदने से पूर्व सड़कें बनानी पड़ेंगी तथा श्रमिकों को वहां ले जाना पड़ेगा, कोयला निकालने के लिए बहुत खुदाई करनी पड़ेगी, इसके लिए काफी समय लग सकता है, फिर कोयला निकाल कर उसे रेल द्वारा देश के विभिन्न भागों में भेजने की व्यवस्था करनी पड़ती है । मुझे आशा है कि हमारे नये मन्त्री महोदय इस कार्य में पीछे नहीं रहेंगे । परन्तु एक बात निश्चित है कि जब तक इनका उपयोग न किया जायेगा तब तक देश में बेरोजगारी बनी रहेगी ।

यहां के श्रमिकों की क्या स्थिति हैं । शायद मन्त्री महोदय ने विभिन्न देशों की खानों का दौरा किया है । वहां प्रत्येक खनिक को सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं । उनकी अपेक्षा हमारे यहां के खनिक बहुत दयनीय स्थिति में है । मन्त्री महोदय ने प्रतिवेदन में सरकार की नीति का कोई उल्लेख नहीं किया है । यह प्रतिवेदन पुराना हो गया है और इसको सचिवालय ने तैयार किया है जिसको नई नीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है । अतएव मेरा मन्त्री महोदय से यह

कहना है कि वे रोजगार के सम्बन्ध में सरकार की नई नीति को बतायें, क्योंकि यह एक बड़ा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किये जा सकते हैं।

आप दुर्गापुर और अन्य ऐसे कारखानों का उदाहरण ले सकते हैं, जहां करोड़ों रुपया व्यय किया जा चुका है, परन्तु फिर भी हमें उनसे घाटा ही प्राप्त हो रहा है। ऐसा होने का क्या कारण है ? वहां कब तक विदेशी विशेषज्ञ रहेंगे ? हम उन्हें वापिस भेज कर अपना कार्य स्वयं क्यों नहीं संभालते हैं ? हमें यह घाटा इस प्रकार के बड़े उद्योग से मिल रहा है जो देश में महत्वपूर्ण है। इसके लिए श्रमिकों को दोष देना ठीक नहीं है, उनका जीवन-स्तर अन्य देशों के श्रमिकों की अपेक्षा बहुत नीचा है। सरकार उनके वेतन मान और अन्य अपेक्षित कल्याण के लिए क्या नीति अपना रही है ?

प्रतिवेदन में इस प्रकार की बातों का उल्लेख होना चाहिए। कम से कम इसमें मन्त्री महोदय की यह टिप्पणी होनी चाहिए कि उनकी भावी नीति क्या होगी। क्या हम इस उद्योग का विकास करने के लिए आगामी 100 वर्ष लगायेंगे ? इस विषय से सम्बन्धित तीन-चार मांगों पर यहां चर्चा हो चुकी है ? परन्तु मन्त्री महोदय कोई आश्वासन नहीं दे पाये है कि श्रमिकों का जीवन–स्तर ऊंचा उठाने और उनकी भलाई के लिए क्या किया जायेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि विभिन्न समितियों की स्थापना की गई है, परन्तु मुझे आश्चर्य है कि उत्तर और दक्षिण के प्रश्न को लेकर इन विभागों में कोई कार्य नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए हैदराबाद में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय है। गत दो वर्षों से वहां कार्य सन्तोषजनक ढग से नहीं हो रहा है। ये ऐसे राष्ट्रीय संस्थान हैं जिसे जनता को कुछ देना है। यदि यहां भी उत्तर और दक्षिण की भावना लाई गई तो कार्य कैसे चलेगा ? सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रही है। इसके अतिरिक्त ऐसी भी भावना है कि इन विचारों का प्रयोग केवल कुछ ही चुने हुए क्षेत्रों के विकास के लिए किया जा रहा है जबकि अन्य क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। विभिन्न राज्यों के मुख्य मन्त्री केन्द्र को कार्यक्रम भेजते हैं, परन्तु उस पर कुछ नहीं होता है। इस प्रकार राज्य कब तक चुप बैठे रहेंगे ? क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि राज्यों ने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए क्या सिफारिशें की हैं तथा केन्द्रीय सरकार उन राज्यों में रोजगार के अवसर जुटाने के लिए क्या करेगी ? प्रतिवेदन में इन सब बातों का कोई उल्लेख नहीं है , मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय मंत्रालय में नवीन विचार लायेंगे और वे ऐसी नीति निर्धारण करेंगे जिससे समूचे राष्ट्र का उत्साह बढ़ेगा।

Mr. Chairman : The Hon. Minister will reply tomorrow and Hon. Members can take part in the discussion upto Six O'clock today.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : मेरी मन्त्री महोदय के प्रति सहानुभूति है, क्योंकि उन्हें ऐसा विभाग मिला है जहां का कार्य पूर्णतया अस्तव्यस्त है और जो घाटे पर चल रहा है।

प्रतिवेदन के बारे में मेरा कहना है कि यह सार्थक होना चाहिए था और इसमें देश में व्याप्त प्रवृत्तियों का उल्लेख होना चाहिए था। इसमें केवल यह कहा गया हैं कि इस्पात के मूल्य कम हो रहे हैं। इसको कहने से क्या लाभ है ? यह सभी जानते हैं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है और इस्पात नियंत्रित मूल्य पर भी उपलब्ध नहीं है, जो इस्पात मिल भी रहा है, उनका मूल्य बहुत अधिक है।

पृष्ठ 60 में कहा गया है कि हमने यह आरम्भ किया है तथा ऐसा किया है आदि परन्तु यह नहीं बताया गया है कि उसके क्या परिणाम निकले हैं और कितनी सफलता प्राप्त हुई है। अतएव ऐसे प्रतिवेदन भेजने से क्या लाभ है।

किसी भी उद्योग में तीन बातों की आवश्यकता होती है—श्रम, सामग्री और पूंजी। इस मंत्रालय में तीनों बातें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जहां तक श्रम का सम्बन्ध है, इनकी संख्या कारखाने में 10,000 अथवा 8,000 हैं जबकि 5,000 व्यक्तियों से यह चलाया जा सकता है।

प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रम समिति में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सरकार को प्रतिवेदन भेजने के पश्चात् कितनी नियुक्तियां की गयी हैं। ये सब नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं ? जो भी अध्यक्ष अथवा महाप्रबन्धक आता है अपने पक्ष के 50 अथवा 100 कर्मचारी लाने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाती है।

जहां तक पूंजी का प्रश्न है, संयत्रों में आवश्यकता से अधिक पूंजी लगायी जा चुकी है। पूंजी निवेश के मामले में रेल मत्रालय के पश्चात् यही मन्त्रालय आता है। इस्पात संयंत्रों में 2,000 करोड़ से अधिक राशि लगाई जा चुकी है। इन संयंत्रों से हमें लाभ क्या है ? कुछ नहीं। अब भी हमें इस्पात का आयात करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को हानि होती है, क्योंकि उनको अधिक मूल्य देना पड़ता है।

यदि वस्तु सूची की ओर ध्यान दिया जाय तो पता चलता है कि यह बहुत बड़ी है। वहां पर कुछ उपलब्ध वस्तुयें 10 वर्ष के लिये पर्याप्त हैं। सरकारी उपक्रमों के एक प्रतिवेदन में बताया गया है कि वहां इतना अधिक माल का स्टाक है कि उसको 30 वर्ष तक उपयोग में लाया जा सकता है। इतना बड़ा स्टाक करने की क्या आवश्यकता है ? क्या गत 4–5 वर्षों में वस्तु सूची में कोई कमी हुई है अथवा ये और अधिक बढ़ गयी हैं।

कर्मचारी, माल तथा पूंजी इतने अधिक होने पर भी इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहे हैं। इसका कारण यह है कि मजदूरों में असन्तोष है। उनके साथ भेद-भाव का बर्ताव किया जाता है। सरकारी उपक्रम समिति के 29 वें प्रतिवेदन में पृष्ठ 32 और 33 पर वे कारण बताये गये हैं जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। दुर्गापुर में नाजायज पदोन्नतियां की गयीं जिससे कर्मचारियों में असन्तोष फैला। यदि कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया तो निगम कठिनाई में पड़ जायेगा।

इन उपक्रमों में महाप्रबन्धक अथवा अध्यक्ष सर्वशक्तिवान हैं। किसी भी कर्मचारी को सेवा से हटाना, उसकी पदोन्नति अथवा पदावनति करने सम्बन्धी मामले इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब उन्हें और शक्तियां दे दी गयी हैं। इसीलिये यह सब गोल-माल हुआ है। शक्तियां दी जानी चाहियें, परन्तु उसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिये, इन उपक्रमों से अलग एक बोर्ड होना चाहिए जहां ऐसे मामले लाये जा सकें। बोर्ड को देखना चाहिये कि कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार किया गया है। इससे असन्तुष्ट कर्मचारियों को सन्तोष मिलेगा। ऐसी स्थिति दूसरे सरकारी विभागों में विद्यमान है। रेल कर्मचारी अपना मामला रेलवे बोर्ड तक ले जा सकता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया यहां भी होनी चाहिये।

जो भी अध्यक्ष अथवा महाप्रबन्धक नियुक्त किया जाय, उसे इस बात के लिये एक या दो वर्ष का समय दिया जाना चाहिये कि वह उपक्रम के कार्यकरण में सुधार करके दिखाये। यदि उत्पादन कम होता है, तो उसे हटाया जा सकता है।

स्थानीय लोगों को हानि होती है। उनकी भूमि ले ली जाती है और उन्हें रोजगार तक नहीं मिलता। 500 रुपये से कम वेतन पाने वाले पद स्थानीय व्यक्तियों द्वारा भरे जाने चाहिये। बिहार में सरकारी उपक्रमों में समस्त देश के कर्मचारी हैं, परन्तु बंगाल और मद्रास में ऐसा नहीं है। मेरी भी यही इच्छा है कि प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय उपक्रमों में सभी राज्यों के कर्मचारी होने चाहिये। आज बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वह अन्य दूसरे राज्यों में नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के सम्बन्ध में ऐसी नीति निर्धारित की जानी चाहिये कि 500 रुपये से कम वेतन वाले पदों पर स्थानीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाय। इससे ऊपर के वेतन वाले पदों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जा सकता है।

श्री के० गोपाल (करुर) : हमारे सरकारी उपक्रमों के सामने विशेषकर इस्पात उद्योग के सामने मुख्य समस्या औद्योगिक सम्बन्धों की है। मन्त्री महोदय ने कुछ समय पूर्व कहा था कि निदेशक बोर्ड में कर्मचारियों के दो प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जायगी। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय श्रमिक असन्तोष को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।

हाल ही में समाचार-पत्रों में एक समाचार छपा था कि अधिकारियों के वेतन बढ़ाये गये हैं। क्या इससे उत्पादन मूल्य बढ़ेगा ? क्या इससे उत्पादन में वृद्धि होगी ? क्या इससे औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होगा ? यदि ऐसा होता है, तो हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलना ही चाहिये। यदि इससे ऐसा नहीं होता है तो मन्त्री महोदय को कोई उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न है, जापान से लौह अयस्क का आयात किये जाने के पश्चात् भी तैयार माल का निर्यात कम मूल्य पर होता है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ? हमारे सामने ऐसा करने में क्या कठिनाई आती है ? इन समस्याओं पर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। इस्पात संयंत्रों में फालतू कर्मचारियों की सेवा को उपयोग में लाना चाहिये। इस समस्या की ओर भी मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

केवल बाहर से अध्यक्षों और महाप्रबन्धकों की नियुक्ति की पद्धति समाप्त की जानी चाहिये। हमारे संयंत्रों में ईमानदार तथा मेहनत से कार्य करने वाले अधिकारी उपलब्ध हैं, उन्हें भी ऐसे अवसर दिये जाने चाहियें। बाहर से अध्यक्षों तथा महाप्रबन्धकों की नियुक्ति करने से संयंत्रों में कार्य कर रहे अधिकारियों का मनोबल गिर जायेगा। हमें व्यवसायिक प्रबन्धकों का एक संवर्ग तैयार करना चाहिए तथा उसमें ऐसे व्यक्तियों को लिया जाना चाहिए जो काम जानते हों। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार होगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में एक विपणन संगठन है। यह हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पादन से स्वतन्त्र होना चाहिये। भारत में विदेशी कम्पनियों के लाभ कमाने का कारण यही है कि उनके उत्पादन तथा विपणन एकक अलग हैं तथा अपने अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र हैं। विपणन एकक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उत्पादन एकक को बतायें कि किस प्रकार का माल तैयार करना है।

गत 20 वर्षों में हमारे उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। परन्तु हम अभी भी विदेशी तकनीकी ज्ञान पर आश्रित नहीं रह सकते। भविष्य में देश की इच्छानुसार हमारे इंजीनियरों और कर्मचारियों से, योजना तैयार करने, माल का उत्पादन तथा वितरण करने के लिए कहा जाना चाहिये।

सलेम इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ कराया जाना चाहिये। इसके लिये धनराशि की आवश्यकता है। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कदम उठाये जाने चाहिये जिससे कि इसके निर्माण पर लागत कम आये। इस संयंत्र के लिए उपकरण हैवी इलैक्ट्रीकल्स, तिरुचि से मगाने के आदेश दिये जाने वाले हैं। यदि तिरुचि से सलेम तक एक बड़ी लाइन बना दी जाय तो माल यातायात व्यय कम होगा और यह लाइन केवल सलेम इस्पात संयत्र की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करेगी, अपितु इससे जनसाधारण की आवश्यकतायें भी पूरी होंगी।

इस्पात आवंटन के मामले में कुछ विषयों पर विशेष विचार करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ तमिलनाडु सरकार ने गंदी बस्तियों को हटाने के लिए एक बोर्ड बनाया है। उन्हें बहुत अधिक इस्पात की आवश्यकता है। ऐसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और ओपचारिकतायें समाप्त की जानी चाहियें।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : हमारे देश में गंधक की केवल एक ही खान है। यह खान बिहार राज्य के अमझोर नामक स्थान पर है। इस क्षेत्र में गंधक का स्टाक 30 करोड़ टन है। आज इस खान पर पूरी क्षमता से कार्य नहीं हो रहा है। केवल सिन्दरी के रासायनिक संयत्र में ही अमझोर का 150 से 200 टन तक गंधक अयस्क उपयोग में लाई जाती है। भारत सरकार ने रासायनिक संयंत्रों पर 12 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है। दूसरा सयंत्र 1972 के अन्त तक स्थापित होने जा रहा है। पता चला है कि इस संयंत्र को लगभग 900 टन गन्धक की आवश्यकता होगी। यह भी ज्ञात हुआ है कि इस संयंत्र के लिए जितनी गन्धक अयस्क की आवश्यकता होगी, उसका 50 प्रतिशत विदेशों से आयात किया जायेगा। इस निर्णय का कारण यह है कि यह गन्धक अयस्क अमझोर की अपेक्षा सस्ता होगा। इस आयात पर 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय होगी। यदि इस निणय को कार्य रूप दिया गया, तो इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा ही व्यय नहीं होगी, अपितु उस क्षेत्र के 5000 व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिलेगा। यह ठीक है, कि आज वहां गन्धक सस्ती है कुछ समय पश्चात् यदि उन देशों ने इसके मूल्य में वृद्धि की तब क्या स्थिति होगी ? मन्त्री महोदय को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये और चौथी योजना की आवश्यकताओ के लिए अमझोर क्षेत्र की खान की पूर्ण क्षमता का उपयोय किया जाना चाहिये।

जहां तक इस्पात संयंत्रों का प्रश्न है, मंत्रालय के प्रतिवेदन में एक ही बात मिलती है कि संयंत्र घाटे में चल रहे हैं। पता नहीं इन संयंत्रों से लाभ कब मिल पायेगा। इस घाटे का एक कारण मजदूरों में असन्तोष बताया जाता है। इसका कारण, जैसा कि श्री तिवारी ने बताया है, मजदूरों के साथ भेद-भाव की नीति अपनाना है। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और उचित कदम उटाने चाहियें।

श्री के० बासप्पा (चित्रदुर्ग) : हमारे देश में बहुत से लघु उद्योग ऐसे हैं जो अधिकांशत: इंजीनियरी उद्योगों के लिए सहायक उद्योगों का कार्य करते हैं। इन उद्योगों का प्रमुख कच्चा माल इस्पात है और इसकी सप्लाई की ही कमी है। कभी-कभी तो यह बिल्कुल नहीं मिल पाता, जिसके कारण इन छोटे उद्योगों को बहुत हानि होती है। मैं मन्त्री महोदय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि लघु उद्योगों को अपेक्षित कच्चे माल, विशेषकर इस्पात की सप्लाई करके उनकी सहायता की जायेगी। यदि इसके लिये आवश्यक समझा जाय तो आयात में वृद्धि की जाये।

तीन नये इस्पात संयंत्रों की घोषणा एक वर्ष पूर्व की गई थी। अब तक इस मामले में क्या प्रगति हुई है ? चालू वर्ष के बजट में इन संयंत्रों के लिए 4½ करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है जबकि इन पर कुल लागत 1,500 करोड़ आती है। इससे हमारी प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। दो इस्पात संयंत्रों का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है, परन्तु हास्पेट में इस्पात संयंत्र का निर्माण कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं जबकि यहां अच्छी श्रेणी का लौह अयस्क, विद्युत, जल, भूमि, सड़कें, रेल सेवा तथा कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं ? इस संयंत्र के निर्माण कार्य में शीघ्रता की जानी चाहिए। इस कार्य के लिए अलग से एक कम्पनी बनाई जानी चाहिये जो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से स्वतन्त्र हो और इसका कार्यालय बंगलौर में होना चाहिये, जिससे यह राज्य सरकार तथा दूसरी एजेन्सियों की सहायता कर सके।

1967-68 में तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड में 1,050 टन उत्पादन था और लाभ की प्रतिशतता 15.28 लाख थी। यह उत्पादन 1970-71 की तुलना में चार गुना कम था, जबकि इस वर्ष लाभ केवल 95 लाख ही हुआ है। इसकी विस्तार पूर्वक जांच की जानी चाहिये।

मैसूर में कुदरेमुख परियोजना को कार्यरूप दिये जाने पर यह विश्व का सबसे बड़ा खनन समूह होगा। यह सबसे पुरानी परियोजना है जिसका विचार मैसूर की तात्कालिक सरकार ने 1913-14 में बनाया था। यह कार्य खनिज विकास निगम को सौंपा गया था और परियोजना पर अभी कोई ठोस कार्यान्वयन नहीं हुआ है। इस परियोजना को यथासंभव शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

Shri Pairsuli (Tehri-Garhwal) : Between Ladakh to Nepha, there exists no industry, no factory. Forest and mineral reserves are the only source for providing employment to the people of the area. The possibilities of the mineral reserves of the area have not so far been explored in full, yet the reserver already found out are not being utilized to the minimum possible extent.

There is a large maganite reserver available in Almorah district but the mining operation has not yet been started. I hope that the work would be done in public sector so that the profit might not be earned by private parties and the people of the area might be employed. The Government should not have given contracts to private parties for exploiting lime stone and Gypsum who are not giving any attention to the amenities of the local labours.

The long outstanding demand of establishing a cement factory at Dehradun should be accepted. The projects already started and which are going to be started in this region would require cement in large quantity. The raw material needed for the cement factory and available in this area is being transported to other areas. It should be stopped and I hope that the material would be utilized for providing employment to the people by establishing a factory in that region.

The arrangements should be made to make use of uranium deposits available in Almorah, Chamoli, Mahasu and Kulu. The work to explore cock phosphate possibilities was being carried out by N M.D.C. but the same has been transferred to pysite Phosphate and Chemicals Limited. Thousands of workers have been rendered jobless since the work has been stopped. The Government should look into the matter.

The Government should not give the work to explore mineral possibilities to private contractors since they exploit the labour and earn huge profits. The matter should be looked into and necessary steps be taken.

श्री के० डी० मालवीय (डुमरिया गंज) : देश में धातु कार्मिक कोयले की क्या स्थिति है। कितना ऐसा कोयला खानों में पड़ा है जिसे निकाला नहीं गया है। कुछ समय पहले मुझे ज्ञात हुआ था कि खानों का उपयोग कोयला निकालने के लिये नहीं, अपितु अन्य कामों जैसे ऋण लेने के लिये सम्पत्ति के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार प्राप्त किये गये ऋणों को किसी अन्य उद्योग में लगाया जाता है। यदि यह सच है, तो क्या मंत्री महोदय सरकारी नियंत्रण में धातु कार्मिक कोयला निकालने के काम को तेज करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम कोयले की कमी को हल करने में आगे बढ़ सकें।

दूसरी बात हवाई सर्वेक्षण के विषय में हैं। कोयले के गुण-प्रकार तथा तत्पश्चात उसकी मात्रा का पता लगाने के लिये कुछ समय पहले मंत्रालय ने हवाई सर्वेक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया था। इस समय इसकी क्या स्थिति है ? मंत्री महोदय को भूसर्वेक्षण विभाग का कार्यक्रम इस प्रकार का बनाना चाहिये कि खनिजों को निकालने का कार्य कम समय में और कम धन खर्च करके पूरा किया जा सके।

हमारी ताम्बे की खानों की क्या स्थिति है ? भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने भारत में ताम्बे की खानों का पता लगा कर महत्वपूर्ण कार्य किया है। परन्तु ताम्बा निकालने, उसे शुद्ध करने आदि का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। हमें न केवल राजस्थान की खानों से बल्कि राखा खानों से भी तांबा निकालने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना चाहिये ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके और देश में तांबा उपलब्ध हो सके।

सभी प्रकार के खनिजों का पता लगाने के लिये भूरसायन शास्त्र के तकनीकी ज्ञान का उपयोग करने की आवश्यकता है। यह ज्ञान खोज कार्य के प्रथम चरण में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इन दिनों भारतीय भूसर्वेक्षण विभाग तेजी से कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा पनपती जा रही है कि अन्य उपायों से खनिजों का पता लगाया जा सकता है। मन्त्री महोदय को इन सब बातों का उत्तर देना चाहिये।

श्री पी० के० घोष : मैं इस्पात मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूँ। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में कुप्रबन्ध व्याप्त है। इसमें शुरू से ही लाभ की आशा नहीं की जा सकती, लेकिन जो भारी घाटा हुआ है, उसका भी कोई औचित्य नहीं है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थिति भी खराब है। सारा दोष श्रमिकों को नहीं दिया जा सकता। इसमें हानि का कारण कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार है।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को भी जिसने पिछले वर्ष लाभ दिखाया था, इस वर्ष घाटा हो रहा है।

मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय ने एच० ई० सी० के वर्तमान चेयरमैन को हटा दिया है। यद्यपि उत्पादन आदि के सम्बन्ध में चेयरमैन ने गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रयास किया तथापि मन्त्री महोदय ने उन्हें हटाकर अच्छा किया है।

एच० ई० सी० में विद्यमान समस्या को एक व्यक्ति के हटाये जाने से दूर नहीं किया जा सकता। उसके बहुत से उच्च पदाधिकारियों का उसमें हाथ है। आपको इन सभी को हटाना होगा।

मैंने गत वर्ष अपने भाषण में यह कहा था कि एच० ई० सी० में भारी राजनीति खेली जा रही है। यह भी कहा था कि कुछ बड़े अधिकारी तथा तत्कालीन डिप्टी चेयरमैन× षड़यंत्र कर रहे हैं तथा श्रमिकों को भड़का रहे हैं। उन अवांछनीय तत्वों को दूर करने की बजाय×

श्री मोहन कुमारमंगलम् : महोदय मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य ऐसे व्यक्तियों का यहां नाम न लें, जो अपनी सफाई देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री पी० के० घोष : एच० ई० एस० के कुछ अधिकारियों के मंत्रालय में कुछ सम्बन्धी हैं, जिनका एच० ई० एस० को वर्तमान स्थिति में बहुत हाथ है।

वहां पर पक्षपात और भाई-भतीजावाद तथा अन्य व्यवहार बरते जाते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि वर्तमान चेयरमैन ने, जब वह डिप्टी चेयरमैन थे, अपने पुत्र को अन्य तीन-चार कुशल कर्मचारियों को अवसर न देकर पदोन्नत कर दिया था।

{**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**}
{**Shri K. N. Tiwary** *in the chair*}

श्री मोहन कुमार मंगलम् : महोदय ! इस प्रकार व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाना उचित नहीं है ....

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय का कहना ठीक है। कोई नाम रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री पी० के० घोष : भेद-भाव की नीति के कारण वहां लोगों में असन्तोष है तथा उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। यह भी देखा गया है कि किसी त्रुटि की ओर ध्यान दिलाये जाने पर भी उनका सुधार नहीं किया जाता। मेरा निवेदन है कि पक्षपात की ऐसी घटनाएं सामने आने पर उनको तुरन्त दूर किया जाना चाहिये, अन्यथा कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ता जायेगा।

मुस्लिम कर्मचारियों को बसाने की समस्या अभी भी उसी प्रकार विद्यमान है। रांची में उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। सरकार या चेयरमैन जब भी उनको बसाने का प्रयत्न करते हैं, जनसंघो विचारधारा के अधिकारी उन प्रयत्नों को विफल कर देते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में अवश्य कोई प्रभावकारी कार्यवाही की जानी चाहिये।

देश में इस्पात की भारी कमी है तथा हम बड़े इस्पात कारखानों की योजना बना रहे हैं जिनमें पांच या छः वर्ष में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। अतः इस अवधि के बीच में अधिक से अधिक छोटे इस्पात कारखानों की स्थापना होनी चाहिये जो एक वर्ष के अन्दर ही उत्पादन करना आरम्भ कर सकें।

श्री गजाधर माझी (सुन्दरगढ़) : महोदय ! मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम है जिसका नाम एच० एस० एल० है।

महोदय ! रूरकेला इस्पात संयंत्र की गत वर्ष 56 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया तथा इसका उत्पादन 1,038,000 मीट्रिक टन था, जबकि इसकी निर्धारित क्षमता 14 लाख मीट्रिक टन है। मेरा प्रश्न यह है कि जब इस संयंत्र पर इतनी बड़ी राशि व्यय की गई है तथा विदेशों को इतना अधिक ब्याज देना पड़ रहा है तो इसके उत्पादन में इतनी कमी क्यों रहनी चाहिये।

यह सच है कि सभी उद्योगों के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है तथा यह भी सच है इस्पात संयंत्रों से लाभ कुछ समय के पश्चात् ही मिलता है। किन्तु रूरकेला इस्पात संयंत्र को

×अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।
Expunged on ordered by the chair.

आरम्भ किये 14 वर्ष बीत चुके हैं, किन्तु देश को इससे अभी तक पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा है। अतः अब हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में पूरी कार्यकुशलता बरतनी चाहिये।

इन उपक्रमों को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इनको व्यावहारिक तथा कुशल इंजीनियरों के नेतृत्व में चलाया जाये तथा नौकरशाही बरतने वाले लोगों को अलग किया जाये।

अधिकतर इस्पात परियोजनाए आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं जिससे आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। किन्तु उनकी भूमि को इन कारखानों के लिये 'अधिग्रहीत कर लिया गया है। यह सच है कि उनको मुआवजा दिया गया है, किन्तु चालाक लोगों ने उनके मुआवजे की राशि को हजम कर लिया है जिसके परिणाम स्वरूप वे भोले-भाले लोग अब गन्दे स्थानों पर रह रहे हैं तथा उनके विकास और उनकी शिक्षा आदि के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। 'चिराग तले अंधेरा' वाली कहावत इनके सम्बन्ध में पूरी तरह चरितार्थ होती है।

बोनाई क्षेत्र में उत्तम लौह अयस्क बहुतायत में मिलता है। वहां डोलोमाइट और चूना पत्थर भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। अतः इन बातों को देखते हुए वहां दूसरा संयंत्र लगाया जाना चाहिये।

इस मांग के पीछे ठोस तथ्य हैं तथा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए आशा है माननीय मन्त्री इस मांग को शीघ्र पूरा करेंगे।

श्री राम सहाय पांडे (राजनन्द गांव) : महोदय ! मै भाषण न देकर केवल यह पूछना चाहता हूं कि बोकारो कारखाने के निर्माण मे अब तक कितनी प्रगति हुई है ? क्या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन किया जा रहा है। अर्थात क्या पहली धमन भट्टी का निर्माण कार्य इस वर्ष के दिसम्बर मास तक पूरा हो जायेगा तथा 17 लाख मीट्रिक टन का पहला चरण मार्च 1979 तक पूरा हो जायेगा ?

दूसरा प्रश्न यह है कि बोकारो कारखाने के लिये उपकरणों की शीघ्र सप्लाई कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

तीसरे मैं मिश्र धातु तथा विशेष इस्पात के उत्पादन में वृद्धि से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ। छोटे इस्पात कारखानों तथा स्पज लौह संयंत्रों की नवीनतम स्थिति क्या है ?

डा कैलास (बम्बई दक्षिण) : सरकार ने धातु ससाधनों के विकास तथा उनकी खुदाई को बहुत महत्व दिया है तथा प्रगति में तेजी लाने के लिये उसने सराहनीय कार्य किया है।

पहली योजना में योजना परिव्यय 73 करोड़ रुपये था किन्तु चौथी योजना में यह बढ़कर 510 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है। इसके आंकड़े इस प्रकार हैं : पहली योजना में 470 करोड़ रुपये, दूसरी योजना में 688 करोड़ रुपये, तीसरी योजना में 969 करोड़ रुपये तथा चौथी योजना में 1967-68 तक यह आंकड़े, 1471 करोड़ रुपये हो गये हैं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान खेतडी ताम्बा संयंत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। इस सयंत्र में लगभग 90 से 100 करोड़ रुपये तक खर्च किये गये है तथापि अभी तक इसके भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं है। देश में ताम्बे की भारी कमी को ध्यान में रखते हुये अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। मेरा सुझाव है कि कोयला खानों का बहुत पहले ही राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये था। कहा जाता है कि माल डिब्बों की कमी के कारण कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि रेलवे मंत्रालय तथा इस्पात और खान मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को लेकर एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति स्थापित की जाये जो माल डिब्बों की आवश्यकता को पूरा करा सके।

वर्ष 1970–71 के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस्पात की प्राप्ति तथा वितरण की देखभाल लौह और इस्पात नियंत्रक द्वारा की जाती है। आश्चर्य की बात है कि नियंत्रक के होने पर भी व्यापारी इतना अधिक लोहा इस्पात कहां से और कैसे प्राप्त कर लेते हैं तथा किस प्रकार कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं। **(व्यवधान)** बम्बई में कोई कितना भी इस्पात खरीद सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में अवश्य कहीं हेर-फेर किया जाता है। मेरा अनुरोध है है कि सरकार वितरण व्यवस्था को अपने अधिकार में ले।

विचाराधीन प्रतिवेदन में कहा गया है कि मंत्रालय की तापीय ईंटों की आवश्यकताएं प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं तथा विदेशों से खरीद पर हम और अधिक निर्भर नहीं कर सकते। प्रतिवेदन में ईंटों के निर्माण की योजना का भी उल्लेख है। जब मंत्रालय के पास तकनीकी कविच हैं तथा ऐसे सामान की सप्लाई की योजना है तो हमें दूसरों के ऊपर आश्रित क्यों रहना चाहिये। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि 80,000 मीटिक टन की क्षमता वाले जोड रहित ट्यूबों के कारखाने की कब तक स्थापना की जायेगी? मंत्री महोदय देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सफल बनाने का प्रयत्न करें। मुझे आशा है वह इसमें अवश्य सफल होंगे। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : महोदय! मुझे माननीय मंत्री तथा मंत्रालय के लिये मांगी गई राशि के प्रति कोई गिला नहीं है। किन्तु मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यह मंत्रालय आरम्भ से ही भ्रष्टाचार, अकार्य कुशलता आदि का शिकार है। 20 वर्षों के पश्चात भी इस मंत्रालय का सुधार नहीं हो पाया।

उदाहरण के लिये बोकारो इस्पात संयंत्र में निस्तापन संयंत्र की आवश्यकता है निस्तापन प्रक्रिया इस्पात के साधारण उत्पादन की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। इस प्रक्रिया से अधिक शुद्ध वस्तुओं का निर्माण होता है। बोकारो इस्पात संयंत्र ने निस्तापन संयंत्र के लिये टेंडर मांगे। ए० सी० सी० ने अपने टेंडर के साथ यह भी सुझाव दिया था कि यदि हमारे विशिष्ट विवरण के अनुसार सयंत्र की स्थापना की जायेगी तो अधिक उपलब्धि के साथ साथ 75 लाख रुपयों की बचत भी होगी। किन्तु खेद की बात है कि उसके प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाता है जो इसी घात में रहते हैं कि जब भी अवसर मिले कुछ न कुछ गोलमाल कर लिया जाये।

मंत्री महोदय के नियंत्रण में बहुत से कारखानों में भारी धन राशि व्यय की गई है। अतः उनको ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्र को इन से हानि न होने पाये। मेरा सुझाव है कि इस्पात कारखानों की निर्धारित क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये तथा उनके अधीन सभी परियोजनाओं से राष्ट्र को लाभ हो। मै यह भी चाहता हूं कि वह इस बात का स्पष्टीकरण दें कि अभी तक राष्ट्र को इन से लाभ क्यों नहीं हो रहा है।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : महोदय! भारत सरकार ने देश के सभी क्षेत्रों में सन्तुलित विकास की नीति को स्वीकार किया है तथा उसी के अनुसार विजाग, होस्पेट और सेलम में तीन नये इस्पात कारखाने स्थापित करने का निर्णय किया है। इस आधार पर इन कारखानों की स्थापना की आलोचना करना काल्पनिक है कि इनकी उत्पादन लागत बहुत होगी। यदि नई तकनीक का उपयोग किया जाये तथा धमन भट्टी के स्थान पर विद्युत भट्टी का प्रयोग किया जाये तो उत्पादन लागत में कमी हो सकती है। यदि दूरदर्शिता से काम लिया जाये तो दक्षिण में भी चौथे संयंत्र की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि मैसूर राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध है। पश्चिमी घाट से बहने वाली छोटी छोटी नदियों से पनबिजली उत्पन्न की जा सकती है। दक्षिण कनारा जिले में बाराही नदी पर पनबिजली परियोजना स्थापित करने के लिए जांच कार्य किया जा रहा है। अतः इस परियोजना से बिजली प्राप्त करने तथा पश्चिमी घाट से लौह

अयस्क प्राप्त करके मैसूर राज्य के कनारा जिले में चौथे इस्पात संयंत्र को चलाया जा सकता है। मंगलौर के निकट पनांबूर में बन रहे दत्तन से भी सहायता मिलेगी। गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे कारखानों की स्थापना करने की अनुमति दिये जाने पर सरकार की आलोचना की गई है। मंत्री महोदय ने कहा है कि औद्योगिक नीति संकल्प का इससे कोई विरोध नहीं है। अतः मेरी दृष्टि में इनकी स्थापना की अनुमति देने में सरकार ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूँ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! छोटे इस्पात संयंत्रों के लिए लाइसेंस दिये जाने तथा ऐसे व्यक्तियों को लाइसेंस दिये जाने की सरकारी नीति की मैं भर्त्सना करता हूँ जिनके विरुद्ध कई-कई जांच आयोगों ने अपने प्रतिवेदन दिये हैं। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूँ कि मध्यावधि चुनाव के तुरन्त पश्चात् छोटे इस्पात कारखानों के लिये लाइसेंस दिये जाने का निर्णय किन कारणों से किया गया ?

महोदय ! मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के लिये देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र का होना निःसंदेह उचित है। किन्तु प्रश्न यह है कि ये लाइसेंस उन्हीं व्यक्तियों को क्यों दिये गये हैं जिनका पटसन, सूती कपड़ा, चीनी आदि उद्योगों में पहले से ही एकाधिकार है। इस मामले की जांच की जानी चाहिये तथा इन लाइसेंसों को रद्द किया जाना चाहिये।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रिटिश सरकार हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर रही है तथा वह 1939 के करार का उल्लंघन करना चाहती है। अतः क्या इस समय यह उचित नहीं है कि ब्रिटिश नागरिकों अथवा ब्रिटिश पूंजी वाली मेंगनीज और ताम्बा खानों को सरकार अपने अधिकार में ले।

मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार खान श्रमिकों को वेतन दिये जाने के दृष्टिकोण से कोयले के मूल्य में वृद्धि की गई थी, किन्तु उनको उसके अनुसार वेतन दिया नहीं गया। जिन खान मालिकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं किया, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। यदि सरकार वास्तव में समाजवाद में विश्वास रखती है तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

इस्पात की कमी के कारण इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी बन्द हो रही है। मन्त्री महोदय को इस्पात के वितरण के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Sir, I rise to support the Demands and to make certain suggestions. The employees in Bhilai Steel Plant employed prior to 1-4-1960 get one month's earned leave and 15 days casual leave in a year while those who were recruited after 1-4-1960 get only 15 days earned leave and seven days casual leave. I request that this disparity should be removed.

I also suggest that the percentage of local employees in Heavy Electricals and Bhilai should be increased. Several junior officers are promoted in these Plants resulting in resentment of the emploees. The officers in the management are required to be changed. A heavy amount has been invested in these plants and it is the responsibility of the Government to ensure that these plants give good return to the Nation.

It is said that due to the faulty procedure of distribution of steel, the public sector undertakings do not get adequate coal supplies. Government should look in to this matter.

Farmers should be supplied steel and other commodities at cheaper rates. Lead deposits discovered in the District of Tikamgarh should be exploited soon.

(इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 2 जुलाई, 1971 / 11 आषाढ़ 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 2, 1971/ Asadha 11, 1893 (Saka).

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर-३